सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 3 – वर्ष 2019

Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd dk
jkT; ljdkj ds foRr ij ys[kkijh{kk izfrosnu
31 ekpZ **2018** dks lekIr gq, o"kZ ds fy,

mÙkj izns'k ljdkj
izfrosnu la[;k **3** & o"kZ **2019**

vuØef.kdk

fooj.k	lnHkZ	
	çLrj	i"B l[;k
çkDdFku	-	v
dk;Zdkjh lkj	-	vii
v/;k; 1 jkT; ljdkj dk foRr		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.2	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.3	5
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.4	8
राजस्व बकाया	1.5	17
संग्रह की लागत	1.6	17
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.7	18
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.8	25
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.9	29
ऋण प्रबन्धन	1.10	35
अनुवर्ती कार्यवाही	1.11	36
v/;k; 2 foRrh; çcU/ku ,oa ctVh; fu;U=.k		
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.1	37
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.2	38
v/;k; 3 foRrh; fjiksfVZx ,oa y[kkvksa ij fVIi.kh		
वैयक्तिक जमा खाता	3.1	43
उपभोग प्रमाणपत्रों को प्रेषित न किया जाना	3.2	44
लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिल	3.3	45
रोकड़ बही का अपूर्ण/अनुरक्षण न किया जाना	3.4	46
रोकड़ अवशेष में भिन्नता	3.5	47

धनराशियों का केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.6	47
ब्याज का समायोजन	3.7	47
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.8	48
भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.9	49
विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण	3.10	51
लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.11	52
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	3.12	53
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब	3.13	54
लाभांश घोषित न किया जाना	3.14	55
इक्विटी/ऋणों का मिलान न किया जाना	3.15	56
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.16	56
राज्यों के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन	3.17	57

ifjf'kf"V;k

ifjf'k"V **1.1**	राज्य का परिदृश्य	59
ifjf'k"V **1.2**	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप	61
ifjf'k"V **1.3**	वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	63
ifjf'k"V **1.4**	वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय	66
ifjf'k"V **1.5**	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	68
ifjf'k"V **1.6**	(अ) वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं का करेतर राजस्व	71
ifjf'k"V **1.7**	31 मार्च 2018 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	72
ifjf'k"V **1.8**	आरक्षित निधियों का विवरण	74
ifjf'k"V **2.1**	(अ) वर्ष 2017-18 के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता (ब) विगत वर्षों के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता	77
ifjf'k"V **2.2**	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	79
ifjf'k"V **2.3**	अनवरत बचत वाले अनुदान	81
ifjf'k"V **2.4**	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	82
ifjf'k"V **2.5**	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	84
ifjf'k"V **2.6**	वर्ष 2017-18 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण	89
ifjf'k"V **2.7**	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	99

ifjf'k"V **2.8**	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	100
ifjf'k"V **2.9**	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें	103
ifjf'k"V **3.1**	रोकड़ बही अपूर्ण/अनुरक्षण न किया जाना	107
ifjf'k"V **3.2**	दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का वितरण	108
ifjf'k"V **3.3**	विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2018 तक लम्बित थी)	109
ifjf'k"V **3.4**	चोरी, दुर्विनियोग, हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	110
ifjf'k"V **3.5**	वर्ष 2017-18 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित प्रकरणों का विवरण	111
ifjf'k"V **3.6**	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण	112
ifjf'k"V **3.7**	राज्य सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे बकाये थे	113
ifjf'k"V **3.8**	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से लाभांश	116
ifjf'k"V **4**	'kCnkoyh ¼vfrfjDr vkdM½	
	गणना का आधार	117
	पदों की व्याख्या	118
	प्रथमाक्षरी	119

ikDdFku

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त पर आधारित यह प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करता है एवं राज्य विधायिका के समक्ष वित्तीय आंकड़ों का लेखापरीक्षा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2016, चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं बजट अनुमान 2017-18 द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

v/;k; **1** वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ऋणों के भुगतान एवं उधार पर व्यय की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है।

v/;k; **2** विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

v/;k; **3** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

dk;dkjh lkj

jkt dk"kh; fLFkfr dh leh{kk

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि में मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 की अवधि में पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई परन्तु वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में इसमें 44 *प्रतिशत* की गिरावट दर्ज की गई।

(iLrj 1.2)

राज्य द्वारा वर्ष 2017-18 में ₹ 12,552 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया गया जैसा कि बजट अनुमान एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) 2017 द्वारा लक्षित था।

वर्ष 2017-18 में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट अनुमान, एम.टी.एफ.आर.पी. एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर रहा। अग्रेतर, राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 27,810 करोड़) में वर्ष 2016-17 (2016-17 में उदय के प्रभाव को हटाने के पश्चात्) की तुलना में 32 *प्रतिशत* की कमी हुई। यद्यपि यह पूंजीगत व्यय में कमी के आनुषंगिक था जिसमें वर्ष की तुलना में 44 *प्रतिशत* की कमी हुई।

अग्रेतर, राज्य द्वारा स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल बकाया ऋण के अनुपात के सम्बन्ध में बजट अनुमान, एम.टी.एफ.आर.पी. एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(iLrj 1.3 ,oa 1.3.1)

lalk/kuksa dk lxg.k

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 21,900 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों के सापेक्ष कम (₹ 40,622 करोड़) थी।

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष राजस्व व्यय में ₹ 29,632 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों के सापेक्ष कम (₹ 40,895 करोड़) थी।

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में ₹ 30,701 करोड़ (44 *प्रतिशत*) की कमी हुई जो बजट अनुमानों के सापेक्ष कम (₹ 14,170 करोड़) थी। वर्ष 2017-18 में लघु एवं सीमांत कृषकों को फसली ऋण माफी के लिये राजस्व व्यय के बजट प्रावधान में ₹ 36,000 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय के वर्ष 2016-17 के बजट प्रावधान (₹ 71,878 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में बजट प्रावधान में (₹ 53,258 करोड़) में 26 *प्रतिशत* की कमी हुई।

lLrfr: *वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में लगातार बढ़ते अन्तर को कम किया जा सके।*

(iLrj 1.3.3, 1.4 ,oa 1.7.1)

ifjHkkf"kr va'knk;h isa'ku ;kstuk

1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत आच्छादित हैं। राज्य सरकार ने अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि वह वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समान मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 465.10 करोड़ का योगदान करने में विफल रही। विगत वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत इसके मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 211.69 करोड़ का अंशदान नहीं किया।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 की अवधि में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के अंशदान के रूप में ₹ 8,205.66 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे निवेश के लिए नामित प्राधिकारी को ₹ 703.16 करोड़ जमा नहीं किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 को, नामित प्राधिकारी को ₹ 1,379.95 करोड़ (₹465.10 करोड़ + ₹211.69 करोड़+₹703.16 करोड़) का कम हस्तान्तरण किया गया और वर्तमान देयता को भविष्य के वर्ष (ओं) के लिए आस्थगित किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भविष्य में कर्मचारियों को देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा की/सरकार के लिए भविष्य में परिहार्य वित्तीय देयता सृजित की और इस प्रकार स्वयं ही योजना को संभावित विफलता की ओर अग्रसर किया।

lLrfr% *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्रवाही प्रारम्भ करनी चाहिए कि 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को उनकी भर्ती की तिथि से अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाये। यह इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती पूरी तरह से की जाए, सरकार द्वारा अपना पूर्ण योगदान देते हुए समयबद्ध तरीके से एन.एस.डी.एल. के माध्यम से नामित फण्ड मैनेजर को सम्पूर्ण रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाए।*

(iLrj 1.7.1.3)

ykd O;; dh i;kIrrk

वर्ष 2017-18 में, विकास पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय एवं शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।

(iLrj 1.7.2.1)

flpkbZ fuek.k dk;ks dh foRrh; ifj.kke

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। लागत वसूली में अन्तर, जिसमें वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में सुधार हुआ, परन्तु वर्ष 2017-18 में एक *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। तथापि इसमें अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की तुलना में और सुधार किया जाना है।

lLrfr: *राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करना चाहिये।*

(iLrj 1.8.1)

fuos'k ,oa ifrQy rFkk _.k ,oa vfxze

वर्ष 2013-18 की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशों के प्रतिफल में अन्तर के आधार पर ₹ 25,737 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर भुगतानित ब्याज की धनराशि में अन्तर के आधार पर सरकार को ₹ 1,172 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

***laLrqfr:** राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।*

(izLrj 1.8.3 ,oa 1.8.4)

vkjf{kr fuf/k;ksa dk vUrxzr ysunsu

वर्ष 2017-18 के अन्त में 35 आरक्षित निधियों में कुल ₹ 59,280.07 करोड़ का संचित अवशेष था। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित निधियों के सापेक्ष प्रदर्शित लेन देन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं, जो आरक्षित निधियों के सृजन एवं संचालन के मूलभूत विचारधारा का उल्लंघन करती हैं। दो असंचालित आरक्षित निधियों के अतिरिक्त, जिनमें ₹ 45.20 करोड़ का निवेश दशकों पूर्व किया गया था, इन आरक्षित निधियों के इस अत्यधिक अवशेष का कोई निवेश नहीं किया गया। विशिष्ट आरक्षित निधियों के सापेक्ष ऋणात्मक तथा डेबिट अवशेषों को समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

***laLrqfr%** वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन एवं अवशेषों का रख– रखाव पुस्तक प्रविष्टियों के माध्यम से किये जाने की समीक्षा करनी चाहिये तथा नकद लेखांकन के सिद्धांतों का पालन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेषों के वास्तविक निवेश के माध्यम से करना चाहिए।*

(izLrj 1.9.2)

fu{ksi fuf/k

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों के परिहार हेतु समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) का सृजन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो इनके संचालन के लिए उत्तरदायी है, के दिशा–निर्देशों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया दायित्वों के 0.5 *प्रतिशत* का न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में इस निधि में ₹ 2,116.12 करोड़ की राशि (दिनांक 31 मार्च 2017 को बकाया दायित्व ₹ 4,23,223.78 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) का अंशदान किया जाना अपेक्षित था। तथापि, राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में स.नि.नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने ₹ 12,232.23 करोड़ का प्रावधान किया और पुस्तकीय हस्तान्तरण के द्वारा निक्षेप निधि में हस्तांतरित किया। निक्षेप निधि में से, बिना किसी नकद बहिर्प्रवाह के, बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य ₹ 4,422 करोड़ की राशि को समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत अन्तरित किया गया। निक्षेप निधि से राजस्व खाते में अन्तरित धनराशि (₹ 4,422 करोड़) से वर्ष के राजस्व आधिक्य में अतिशयता हुई। अग्रेतर, 31.03.2018 को निक्षेप निधि के अन्तिम अवशेष ₹ 57,469.61 करोड़ का निवेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त,

निक्षेप निधि में ₹ 7,810 करोड़ के निवल वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य की बकाया देनदारियों में उतनी ही राशि के समान वृद्धि हुई।

संस्तुति: *राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये आर.बी.आई. द्वारा निवेश किए जाने वाले समेकित निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की शेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तक प्रविष्टि न हो।*

(*प्रस्तर* 1.9.2.1)

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.)

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विरूद्ध कि रा.आ.अ.नि. को ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' के अन्तर्गत संचालित करना चाहिये, राज्य सरकार रा.आ.अ.नि. को ''ब्याज रहित आरक्षित निधि'' के अन्तर्गत संचालित कर रही है। अग्रेतर, निधि के अवशेष मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियां है जिनका रा.आ.अ.नि. के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये ₹ 37.22 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

अग्रेतर, वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने ₹119.67 करोड़ की राशि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त की, जिसे मुख्य शीर्ष 1601– भारत सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया एवं प्राप्ति के रूप में माना गया। तथापि, वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त ₹ 119.67 करोड़ का अनुदान राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, ₹ 119.67 करोड़ से राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई है।

संस्तुति: *राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं रा. आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों अनुसार अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देश में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।*

(*प्रस्तर* 1.9.2.3)

आकस्मिक देयताएं–प्रत्याभूतियों की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियो के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 290.75 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक अभिदान (वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ की बकाया प्रत्याभूति ₹ 58,149.03 करोड का 0.5 *प्रतिशत*) किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। इसके कारण ₹ 290.75 करोड़ से राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई है।

राज्य सरकार ने 16 संस्थानों को प्रतिभूतियाँ दीं, जिनमें से केवल दो संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना था एवं शेष 14 संस्थानों को इससे छूट प्राप्त थी। यह पाया गया कि दोनों संस्थानों द्वारा देय ₹ 10.56 करोड़ के सापेक्ष राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने ₹ 9.74 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया।

संस्तुति: *बारहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त*

करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहायता रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं/अथवा जिनके लेखे बकाया हैं।

(iLrj 1.9.3)

vf/kd gq, O;; k dk fofu;ferhdj.k dh vko';drk

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, दो अनुदानों तथा दो विनियोगों के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत धनराशि से ₹ 1,337.17 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ। वर्ष 2005-06 से 2016-17 से सम्बन्धित 96 अनुदानों एवं 40 विनियोगों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य ₹ 29,648.64 करोड़ का विनियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा अभी भी किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जो प्रावधानित करता है कि राज्य विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा किये गये विनियोजन के अतिरिक्त समेकित निधि से कोई भी धनराधि आहरित नहीं की जा सकेगी। यह बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को निष्प्रभावित करता है तथा लोक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

lLrqfr% राज्य सरकार द्वारा यह सुनिशचित करना चाहिये कि व्ययाधिक्य के सभी वर्तमान प्रकरणों को विनियमित करने हेतु राज्य विधयिका के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जाय। राज्य सरकार द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों की जाँच की जानी चाहिये एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये। पुनः कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि वे बजट प्रावधानों से अधिक व्यय करने की अनुमति न दें एवं भविष्य में ऐसे व्ययाधिक्य पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिये।

(iLrj 2.2.1)

cpr

40 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 58 प्रकरणों में ₹ 92,681.47 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी। अग्रेतर, उपर्युक्त 58 प्रकरणों में से 16 प्रकरण ऐसे थे जहां प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत थी। 20 अनुदानों के अन्तर्गत 26 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹100 करोड़ और अधिक), ₹ 100.12 करोड़ एवं ₹ 17,493.77 करोड़ के मध्य थी।

lLrqfr% वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों की धनराशि उपयोग न किये जाने के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिये एवं अग्रेतर वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधानों हेतु कदम उठाया जाना चाहिये।

(iLrj 2.2.2)

vkdfLedrk fuf/k ls vfxze &ifrifrZ ugha dh x;h

31 मार्च 2018 तक आकस्मिकता निधि से ₹ 463.08 करोड़ की धनराशि आहरित की गयी जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी, जिसमें पूर्व वर्ष का ₹ 300 करोड़ का अवशेष प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 में ₹ 413 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया जिसमें से ₹ 125 करोड़ वर्ष 2017-18 में उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड को ऋण हेतु आहरित किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति 2018-19 के अनुपूरक अनुदान से की जानी थी। वर्ष 2017-18 में आहरित अवशेष बकाया अग्रिम ₹ 288 करोड़ के सापेक्ष ₹ 249.92 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2018 तक की गयी।

***lLrfr½** राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति समय से की जाय।*

(iLrj 2.2.9)

o;fDrd tek ¼ih-Mh-½ [kkrk

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वैयक्तिक जमा (पी.डी.) खातों में जमा एवं संवितरणों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। 31 मार्च 2018 को 1,328 पी.डी. खातों में अवशेष ₹ 4,688.14 करोड़ में से ₹ 2,460.82 करोड़ की राशि 31 पी.डी. खाते मुख्य शीर्ष 8342–अन्य जमा–120–विविध जमा से सम्बन्धित थी, जो पी.डी. खातों के लिए निर्दिष्ट लेखाशीर्ष नहीं है। अग्रेतर, सांहितिक प्रावधानों के विपरीत, ₹ 108.70 करोड़ की राशि 641 पी.डी. खातों में अनियमित रूप से जमा थी, जबकि ये पी.डी. खाते तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे। यह प्रथा विधायिका के अभिप्राय का उल्लंघन करती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाये। पुनःश्च, पी.डी. खातों में अवशेष राशियों का मिलान न कराया जाना तथा इन पी.डी. खातों में अव्ययित अवशेषों को राज्य के समेकित निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अंतरित न किया जाना लोक निधि के दुरूपयोग, कपट एवं गबन को प्रवृत्त करता है।

***lLrfr½** वित्त विभाग द्वारा सभी पी.डी. खातों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की जानी चाहिए कि इन पी.डी. खातों में अनावश्यक पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल समेकित निधि में प्रेषित किया जाय। अग्रेतर, वित्तीय नियमावली में निहित निर्देशों को वित्त विभाग द्वारा दोहराते हुये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमों के अनुसरण करने में असफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाय।*

(iLrj 3.1)

miHkkx iek.k&i=k dk iLr u fd;k tkuk

31 मार्च 2018 तक वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि में अवमुक्त की गई अनावर्ती अनुदान राशि ₹ 83,979.44 करोड़ से सम्बन्धित कुल 1,53,949 उपभोग प्रमाण–पत्र (यू.सी.) लम्बित थे। अतः इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 83,979.44 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। उपभोग प्रमाण–पत्रों का अधिकता में अप्राप्त रहना धन के दुरूपयोग एवं कपट के जोखिम से परिपूर्ण था।

***lLrfr½** राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्रतिवेदन संख्या 1 के प्रस्तर संख्या 3.11 की संस्तुति पर कार्यवाही किया जाना चाहिए एवं उपभोग प्रमाण–पत्रों के समय से प्राप्ति तथा नया अनुदान अवमुक्त करने से पूर्व सभी लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों के अविलम्ब प्राप्ति की समीक्षा किये जाने की निगरानी हेतु विभाग की आन्तरिक नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित की जानी चाहिए।*

(iLrj 3.2)

Hkou ,oa vU; lfUuekZ.k Jfed ¼ch-vks-lh-MCyw-½ dY;k.k midj

बी.ओ.सी.डब्लू. बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रुप नहीं दिया गया, इसलिए लेखापरीक्षा में आय एवं व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सरकार द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016), उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में स्थान्तातरण किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उपकर, शुल्क आदि की कितनी धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहणकर्ता द्वारा संग्रहण किया गया एवं कितनी धनराशि बोर्ड को स्थानान्तरित की गयी।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अनन्तिम आंकड़े के अनुसार, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पांच से सात *प्रतिशत* व्यय किया गया एवं आठ से 15 *प्रतिशत* पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

***lLrqfr%** उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अधिदेश की पूर्ति किया जाना चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से, के स्थान पर बोर्ड के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरण किये जाने के अपने आदेशों की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।*

(iSLrj 3.9)

fodkl iz kf/kdj.kksa dks vfrfjDr LVkEi M~;Vh dk vUrj.k

राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशियों को सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को विर्निदिष्ट अनुपात में स्थानान्तरित कर दिया गया।

सरकार द्वारा निर्गत आदेश (सितम्बर 2013) में, अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का 25 *प्रतिशत* डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि (डी.यू.टी.एफ.) को अन्तरण किया जाना प्राधिकृत किया गया। यह उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के विपरीत था जिसमें इस तरह के विभाजन का प्रावधान नहीं था।

***lLrqfr%** राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियाँ एवं उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों/निगमों आदि को स्थानान्तरित धनराशि, लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को हस्तांतरण सम्बन्धी आदेश, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, की समीक्षा भी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।*

(iSLrj 3.10)

lkoZtfud {ks= ds miØeksa@fuxeksa ds ys[kkvksa ds vfUrehdj.k esa foyEc

54 क्रियाशील पी.एस.यू./निगमों (207 लेखे) एवं 34 अक्रियाशील पी.एस.यू./निगमों (531 लेखे) के लेखे एक से 36 वर्षों से बकाये में थे। राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता ₹ 57,780.21 करोड़ (इक्विटीः ₹ 19,605.36 करोड़, ऋणः ₹ 4,581.27 करोड़, पूंजीगत अनुदान ₹ 11,210.69 करोड़, अन्य अनुदानः ₹ 9,773.86 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 12,609.03 करोड़) तथा प्रतिभूति ₹ 42,527.09

करोड़ 24 क्रियाशील कम्पनियों/सांविधिक निगमों को लेखाओं के बकाया अवधि के दौरान दिया गया। इस प्रकार इन पी.एस.यू. द्वारा वित्तीय सहायता के लिये की गयी मांग की वास्तविकता का निर्णय करने के लिये लेखाओं के अभाव में भी, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को बजटीय सहायता नियमित रूप से उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार को व्यय की उपयोगिता देखने की आवश्यकता है।

***laLrqfr%** वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू.के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने एवं उन सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता की समीक्षा करनी चाहिए जहां लेखे निरन्तर बकाया हैं।*

(iSjk 3.13)

ykHkka'k ?kksf"kr u fd;k tkuk

राज्य सरकार द्वारा एक लाभांश नीति जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के योगदान का न्यूनतम पांच *प्रतिशत* लाभांश भुगतान करना चाहिए, के विपरीत नौ पी.एस.यू. ने ₹ 540.36 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

***laLrqfr%** राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. द्वारा वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा किया जाय।*

(iSjk 3.14)

ys[kkvksa esa vikjnf'kZrk

राज्य सरकार के विभागों द्वारा लघु शीर्ष 800 का नियमित रूप से परिचालन किया जा रहा है, जिसे जब लेखे में उचित लघु शीर्ष नही दिया गया हो तभी परिचालित किया जाना अभीष्ट है। वर्ष 2017–18 में प्राप्तियों के अन्तर्गत ₹ 18,383.80 करोड़ एवं व्यय के अन्तर्गत ₹ 27,162.32 करोड़ लघु शीर्ष 800 में पुस्तांकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों में अपारदर्शिता रही।

***laLrqfr%** वित्त विभाग द्वारा लघु शीर्ष 800 के अधीन वर्तमान में दर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अधीन पुस्तांकित किया जाय।*

(iSjk 3.16)

jkT; dks iquxZBu ij vo'ks"kksa dk foHkktu

राज्य सरकार द्वारा अभी भी (नवम्बर 2000 से) उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा और अग्रिम के अन्तर्गत अवशेष धनराशि (₹ 8,757.37 करोड़) विभाजन हेतु अवशेष था।

***laLrqfr%** राज्य सरकार द्वारा जमा और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।*

(iSjk 3.17)

1 राज्य सरकार के वित्त

1

jkT; ljdkj dh foRr

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2017-18 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों की अवधि में समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2016-17 की तुलना में परिवर्तनों का समीक्षात्मक विश्लेषण करता है।

यह समीक्षा उत्तर प्रदेश (राज्य सरकार) राज्य के वित्त लेखे में सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित है। राज्य का परिदृश्य *ifjf'k"V* **1.1** में दर्शाया गया है।

1.1 ldy jkT; ?kjsyw mRikn (l-jk-?k-m-)[1]

वर्तमान तथा स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की वार्षिक प्रवृत्तियों को **lkj.kh 1.1** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1-1% Hkkjr dk ldy ?kjsyw mRikn ,oa jkT; dk ldy jkT; ?kjsyw mRikn

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत का वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य का वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	9,40,356	10,11,790	11,37,210	12,50,213	13,75,607[2]
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	14.3	7.6	12.4	9.9	10.0
राज्य का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	8,02,070	8,34,432	9,07,700	9,74,120	10,36,149
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	5.8	4.0	8.8	7.3	6.4

(स्रोतः सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े दिनांक 28.08.2018 को भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये)

शासकीय लेखे की संरचना *ifjf'k"V* **1.2** dk Hkkx&v और वित्त लेखे का प्रारूप Hkkx&c में दर्शाया गया है।

[1] सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में देश एवं राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्य अन्तिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है तथा देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

[2] राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया (जून 2019) कि वर्ष 2017-18 हेतु राज्य के प्रक्षेपित (01.08.2017) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान ₹ 13,78,643 करोड़ है। तथापि भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को जारी किये गये पुनरीक्षित आंकड़े इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये है।

1.2 jktdk"kh; yu&nuk dk lkjk'k

lkj.kh **1.2** एवं lkj.kh **1.3** में राज्य सरकार के वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रदर्शित है। *ifjf'k"V* ***1.3*** वर्ष 2017-18 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ समग्र राजकोषीय स्थिति को प्रस्तुत करता है।

lkj.kh **1.2**% o"k **2013-18** dh vof/k e ikfIRk;k dk lkjk'k

₹ djkM e%

fooj.k	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	Ok"k **2016-17** dh lkis{k **2017-18** e *ifr'kr* of)
Hkkx&v % jktLo						
jktLo ikfIr;k	**1,68,214**	**1,93,422**	**2,27,076**	**2,56,875**	**2,78,775**	**8.53**
स्वयं का कर राजस्व	66,582	74,172	81,106	85,966	97,393	13.29
स्वयं का कर राजस्व/राजस्व प्राप्तियाँ (*प्रतिशत* में)	39.58	38.35	35.72	33.47	34.94	1.47
स्वयं का करेतर राजस्व	16,450	19,935	23,135	28,944	19,795	(-)31.61
स्वयं का करेतर राजस्व/ राजस्व प्राप्तियाँ (*प्रतिशत* में)	9.78	10.31	10.19	11.27	7.10	(-)4.17
संघीय करों/शुल्कों का अंश	62,777	66,623	90,974	1,09,428	1,20,939	10.52
भारत सरकार से अनुदान	22,405	32,692	31,861	32,537	40,648	24.93
Hkkx&c % iathxr ,oa vU;						
iathxr vuHkkx dh vUrxZr fofo/k ikfIr;k	-	-	-	-	-	-
_.k ,oa vfxeksa dh olwyh	**589**	**262**	**726**	**259**	**236**	**(-)8.88**
vUr% ljdkj lek;kstu y[kk	-	-	-	-	-	-
ykd _.k ikfIr;k	**14,900**	**35,520**	**74,514**	**67,685**	**47,417**	**(-)29.94**
vkdfLedrk fuf/k	**262**	**1**	**201**	**173**	**258**	**49.13**
ykd y[kk ikfIr;k	**2,26,078**	**2,30,199**	**2,65,972**	**3,06,406**	**3,20,471**	**4.59**
ikjfEHkd jksdM vo'k"k[3]	**15,218**	**4,066**	**(-)356**	**(-)157**	**944**	**701.27**
;ksx	**4,25,261**	**4,63,470**	**5,68,133**	**6,31,241**	**6,48,101**	**2.67**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 में सरकार की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ कुल राजस्व प्राप्तियों का 42.04 *प्रतिशत* था। अग्रेतर, कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कर राजस्व का अंश वर्ष 2013-14 के 39.58 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2017-18 में 34.94 *प्रतिशत* हो गया जबकि करेतर राजस्व का अंश वर्ष 2013-14 के 9.78 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 11.27 *प्रतिशत* हो गया था परन्तु वर्ष 2017-18 के दौरान यह सात *प्रतिशत* तक घट गया। वर्ष 2017-18 के दौरान करेतर राजस्व में कमी का मुख्य कारण शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति शीर्ष के अधीन प्राप्तियों की लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन था जैसा कि iLrj **1.4.1.1** में दर्शाया गया है।

[3] प्रारम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ शेष में उद्दिष्ट निधियों में निवे"ा की धनरा"ि सम्मिलित है जबकि विगत वर्षों के प्रतिवेदन में द"ार्ये गये रोकड़ अव"ोषों में उद्दिष्ट निधियों में निवे"ा की धनरा"ि सम्मिलित नही है।

lkj.kh 1.3% o"k **2013-18** d nkjku 0;; dk lkjk'k

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	0k"k 2016-17 d lki{k 2017-18 e i.fr'kr of)
Hkkx&v % jktLo						
jktLo 0;;	**1,58,147**	**1,71,027**	**2,12,736**	**2,36,592**	**2,66,224**	**12.52**
सामान्य सेवायें	61,984	64,305	72,228	88,255	1,05,782	19.86
सामाजिक सेवायें	60,756	60,906	82,487	91,861	84,252	(-)8.28
आर्थिक सेवायें	25,711	34,885	47,881	45,834	64,635	41.02
सहायता अनुदान एवं अंशदान	9,696	10,931	10,140	10,642	11,555	8.58
Hkkx&c % ithxr ,o vU;						
ithxr 0;;	**32,863**	**53,297**	**64,423**	**69,789**	**39,088**	**(-)43.99**
lforfjr _.k ,o vfxe	**1,473**	**1,873**	**9,118**	**6,741**	**1,509**	**(-)77.61**
vUr% ljdkj lek;ktu y[kk	-	-	-	-	-	-
ykd _.kk dh vnk;xh	**8,167**	**9,411**	**17,673**	**20,303**	**15,002**	**(-)26.11**
vkdfLedrk fuf/k dk fofu;kx	**87**	**203**	**44**	**349**	**413**	**18.34**
ykd y[kk lforj.k	**2,20,459**	**2,28,014**	**2,64,294**	**2,96,523**	**3,14,384**	**6.02**
vfUre jkdM vo'k"k	**4,066**	**(-)356**	**(-)157**	**944**	**11,481**	**1,116.21**
;kx	**4,25,262**	**4,63,469**	**5,68,131**	**6,31,241**	**6,48,101**	**2.67**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय को lkj.kh **1.4** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.4**% ldy jkT; ?kjy mRikn d lki{k jktLo çkflr@ jktLo 0;;@ithxr 0;; dh çofUk

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ldy jkT; ?kjy mRikn d lki{k jktLo çkflr					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	15.29	14.99	17.40	13.12	8.53
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,43,478	1,59,523	1,81,255	2,00,152	2,09,984
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	6.66	11.18	13.62	10.43	4.91
राजस्व प्राप्ति/वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	17.89	19.12	19.97	20.55	20.27
ldy jkT; ?kjy mRikn d lki{k jktLo 0;;					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	12.38	8.14	24.39	11.21	12.52

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,34,892	1,41,053	1,69,808	1,84,348	2,00,530
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	3.97	4.57	20.39	8.56	8.78
राजस्व व्यय/वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	16.82	16.90	18.71	18.92	19.35
ldy jkT; ?kjsyw mRikn dk lkis{k iwathxr O;;					
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	32,863	53,297	64,423	69,789	39,088
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	37.88	62.18	20.88	8.33	(-)43.99
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	28,031	43,956	51,423	54,378	29,443
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	27.56	56.81	16.99	5.75	(-)45.85
पूँजीगत व्यय/वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	3.49	5.27	5.67	5.58	2.84

- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय आरोही प्रवृत्ति की थी। यद्यपि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के सापेक्ष वृद्धि हुई तथापि वर्ष 2017-18 में घट गई, जबकि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि में मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी राजस्व व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* में वृद्धि हुई।

- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 की अवधि में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई परन्तु वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें 44 *प्रतिशत* की गिरावट दर्ज की गई। अग्रेतर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय वर्ष 2013-14 के 3.49 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2017-18 में 2.84 *प्रतिशत* रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी का कारण था कि वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में क्रमशः ₹ 6,083 करोड़ एवं ₹ 3,700 करोड़ का व्यय 'उदय'[4] हेतु किया गया था जबकि वर्ष 2017-18 में ऐसा कोई व्यय नहीं था। अग्रेतर, कुछ योजनाएं वर्ष 2017-18 में परिचालन में नहीं थी जिसके कारण पूंजीगत व्यय में कमी हुई यथा भारत नेपाल सीमावर्ती जनपदों में सड़क, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे एवं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे सड़क निर्माण। इसके अतिरिक्त, लघु एवं सीमान्त कृषकों के ऋण माफी हेतु ₹ 36,000 करोड़ का अत्यधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण वर्ष 2016-17 (₹ 71,878 करोड़) की तुलना में वर्ष 2017-18 (₹ 53,258 करोड़) में पूंजीगत व्यय हेतु बजट प्रावधान में 26 *प्रतिशत* की कमी की गई थी।

[4] उज्जवल डिस्कॉम्स ए"योरेंस योजना (उदय) नवम्बर 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत 30 सितम्बर 2015 को डिस्कॉम के ऋण का 75 *प्रति"ात* राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था (वर्ष 2015-16 में 50 *प्रति"ात* एवं वर्ष 2016-17 में 25 *प्रति"ात*)।

1.3 jkt dks"kh; fLFkfr dh leh{kk

वर्ष 2017-18 में चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, बजट अनुमान, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबन्धन (उ.प्र.एफ.आर.बी.एम.) एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) द्वारा निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य की उपलब्धि lkj.kh **1.5** में प्रदर्शित है।

lkj.kh **1.5%** o"kZ **2017-18** esa jkT; dk fu"iknu

jktdks"kh; ladrd	pkSngosa foRr vk;ksx }kjk fu/kkZfjr y{;	m-iz-,Q-vkj-ch-,e- vf/kfu;e }kjk fu/kkZfjr y{;	ctV vuqeku@,e-Vh-,Q-vkj-ih- }kjk fu/kkZfjr y{;	okLrfod vkadM+s
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	₹ 12,279 करोड़ का आधिक्य	₹ 12,552 करोड़ का आधिक्य
राजकोषीय घाटा (–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में))	3.25	तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	2.97	2.02
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋण अनुपात (*प्रतिशत* में)	32.44	30.50	28.60	34.01

(स्रोतः राज्य सरकार का बजट प्रपत्र, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 एवं उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधित) अधिनियम, 2016)

यद्यपि राज्य द्वारा ₹ 12,552 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया गया परन्तु इसमें ₹ 6,341 करोड़ की अतिशयता रही। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटे (₹ 27,810 करोड़) में भी ₹ 6,405 करोड़ की न्यूनता रही, जैसा कि iLrj **3.8** में वर्णित है।

वर्ष 2017-18 में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट अनुमान, एम.टी.एफ.आर.पी. एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर रहा। अग्रेतर, राज्य के राजकोषीय घाटे में वर्ष 2016-17 (2016-17 में उदय के प्रभाव को हटाने के पश्चात) की तुलना में 32 *प्रतिशत* की कमी हुई। यद्यपि, यह पूंजीगत व्यय में कमी के आनुषंगिक था जिसमें वर्ष 2016-17 की तुलना में में 44 *प्रतिशत* की कमी हुई, जैसा कि चार्ट **1.1** में प्रदर्शित है।

चार्ट 1.1: वर्ष 2017-18 में पूंजीगत व्यय में कमी करते हुये राजकोषीय घाटे को नियन्त्रण में रखा जाना

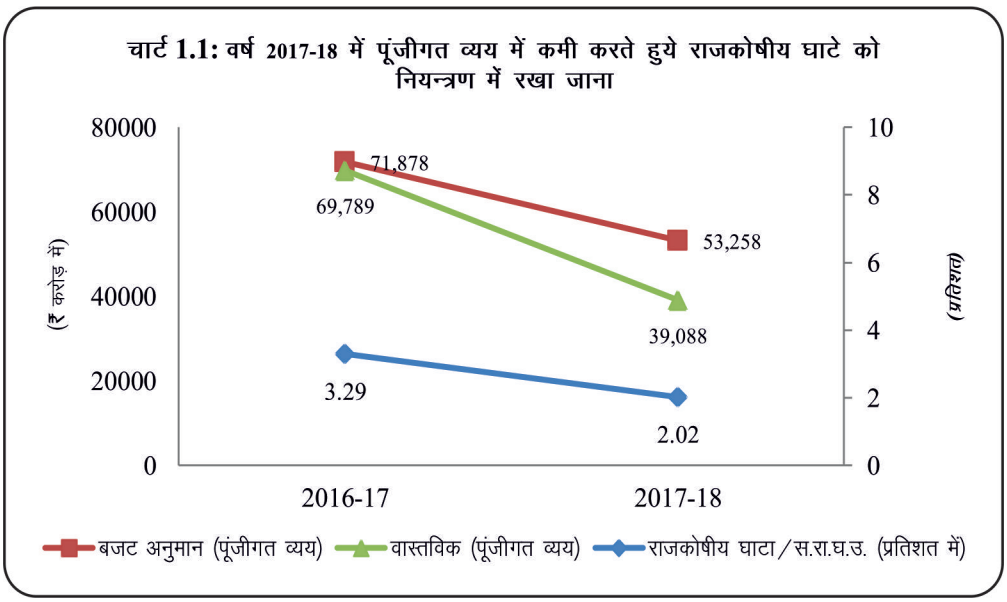

1.3.1 jkt dk"kh; ?kkVs dk l?kVu ,o foRrik"k.k

राजकोषीय घाटा, राजस्व एवं गैर–ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों के सहित) के आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति को lkj.kh **1.6** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.6: jkt dk"kh; ?kkVs dk ?kVd ,o foRrik"k.k

(₹ djksM+ esa)

fooj.k		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
jkt dk"kh; ?kkVk (1 ls 3)* (dk"Bd esa fn;s x;s vkdM+s ldy jkT; ?kjsyw mRikn ls çfr'kr gSA)		**(-)23,680 (2.52)**	**(-)32,513 (3.21)**	**(-)58,475 (5.14)**	**(-)55,988 (4.48)**	**(-)27,810 (2.02)**
1	राजस्व आधिक्य	(+)10,067	(+)22,394	(+)14,340	(+)20,283	(+)12,552
2	निवल पूंजीगत व्यय[5]	**(-)**32,863	**(-)**53,297	**(-)**64,423	**(-)**69,789	(-)39,088
3	निवल ऋण एवं अग्रिम[6]	**(-)**884	**(-)**1,610	**(-)**8,392	**(-)**6,482	(-)1,274

* इस सारणी में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा उदय को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है जिससे वित्त लेखे में दिये गये वित्तीय प्रवृत्ति से मिलाया जा सके। उदय के दिशानिर्देशों के अनुसार, उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में उदय को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 34,143 करोड़ एवं ₹ 41,187 करोड़ था।

jkt dk"kh; ?kkVs dh foRrh; çofÙk#						
fooj.k		**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	बाजार ऋण	5,054	13,513	25,301	36,904	37,178
2	भारत सरकार से ऋण	(-)1,075	(-) 875	(-) 803	(-)409	(-)438
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	2,768	6,325	4,339	(-)4,532	(-)4,643
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)12	7,146	28,005	15,441	317
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,363	1,686	1,534	1,619	2,530
6	जमा एवं अग्रिम	5,037	1,050	(-) 1,543	(-)301	1,414
7	उचन्त एव विविध	(-)9,637	535	(-) 677	592	(-)2,215
8	प्रेषण	(-)98	1,608	(-) 197	748	(-)3,906
9	अन्य[7]	19,280	1,525	2,516	5,926	(-)2,427
	;kx	**23,680**	**32,513**	**58,475**	**55,988**	**27,810**

#ये सभी आंकड़े वर्ष के अन्तर्गत संवितरण/व्यय का निवल हैं।

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे)

1.3.2 ?kkVs@vkf/kD; dh x.koRrk

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे[8] का प्राथमिक राजस्व घाटे[9], पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में विघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है जैसा कि lkj.kh **1.7** में दर्शाया गया है।

[5] निवल पूंजीगत व्यय = पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

[6] निवल ऋण एवं अग्रिम = ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (-) संवितरित ऋण एवं अग्रिम; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम वसूली से अधिक है।

[7] आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लेन–देन, आरक्षित निधि, रोकड़ अवशेष, निवेश एवं बॉण्ड।

[8] प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

[9] प्राथमिक राजस्व घाटा, राज्य के ब्याज–रहित राजस्व व्यय एवं इसके गैर–ऋण प्राप्तियों का अन्तर है एवं यह दर्शाता है कि गैर–ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक राजस्व लेखे के अन्तर्गत किये गये प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।

lkj.kh 1.7: izkFkfed ?kkVk@vf/kD;

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	xSj&_.k izkfIr;k	izkFkfed jktLo O;;	iwathxr O;;	_.k ,oa vfxze	izkFkfed O;;	izkFkfed jktLo ?kkVk ¼&½@ vf/kD; ¼$½	izkFkfed ?kkVk ¼&½@ vf/kD; ¼$½
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+)28,068	(-)6,268
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+)41,522	(-)13,648
2015-16	2,27,802	1,91,288	64,423	9,118	2,64,829	(+)35,514	(-)37,027
2016-17	2,57,134	2,09,656	69,789	6,741	2,86,186	(+)47,478	(-)29,052
2017-18	2,79,011	2,37,088	39,088	1,509	2,77,685	(+)41,923	(+)1,326

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे)

इस प्रकार, राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा (-) ₹ 6,268 करोड़ (2013-14) से उन्नत होकर वर्ष 2017-18 में ₹ 1,326 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान गैर–ऋण प्राप्तियॉं राज्य के प्राथमिक व्यय को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त थीं। यद्यपि, यह वर्ष 2017-18 में पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण संकुचन के साथ था, जैसा कि pkVZ **1.1** (iSjk **1.3**) में दर्शाया गया है।

1.3.3 ctV vuqeku ,oa okLrfod vkadM+s

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं अथवा बजट तैयार करने में व्यय एवं प्राप्तियों का कम/अधिक आकलन के कारण लक्षित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए चयनित राजकोषीय मापदण्डों के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक स्थिति को pkVZ **1.2** एवं *ifjf'k"V* ***1.4*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: चयनित राजकोषीय प्राचल : वर्ष 2017-18 में बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक स्थिति

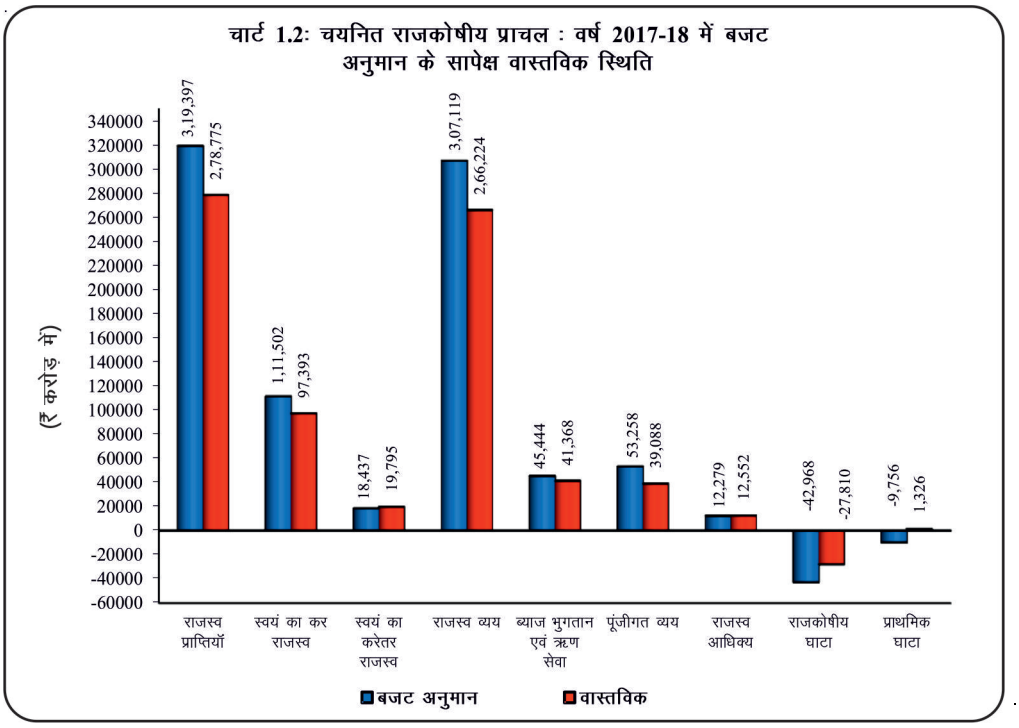

(स्रोतः बजट प्रपत्र एवं वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

- राजस्व प्राप्तियों में बजट अनुमानों के सापेक्ष कमी (₹ 40,622 करोड़) स्वयं के कर राजस्व (₹ 14,109 करोड़), भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 27,404 करोड़) एवं संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (₹ 467 करोड़) की कमी के कारण हुई जबकि स्वयं के करेतर राजस्व के अन्तर्गत ₹ 1,358 करोड़ की वृद्धि हुई।

- स्वयं के कर राजस्व में बजट अनुमानों के सापेक्ष कमी (₹ 14,109 करोड़) मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 5,285 करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 4,061 करोड़) एवं राज्य आबकारी (₹ 3,723 करोड़) के अन्तर्गत हुई। राज्य आबकारी विभाग ने कमी का कारण अत्यधिक बजट प्रावधान होना बताया क्योंकि जहाँ विगत 10 वर्षों में संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 15.9 *प्रतिशत* थी, वर्ष 2017-18 के लिये बजट प्रावधान वर्ष 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों के सापेक्ष 44.3 *प्रतिशत* अधिक किया गया था। राज्य आबकारी के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 21.34 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राज्य आबकारी विभाग ने अग्रेतर बताया कि राज्य आबकारी प्राप्तियों में कमी का कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य ज्यादा होने के कारण अन्य राज्यों मुख्यतः हरियाणा[10] से तस्करी किया जाना है।

- वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान में लघु एवं सीमांत कृषकों को फसली ऋण माफी के लिये राजस्व व्यय में ₹ 36,000 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय के वर्ष 2016-17 के बजट प्रावधान (₹ 71,878 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में बजट प्रावधान में (₹ 53,258 करोड़) में 26 *प्रतिशत* की कमी हुई।

- राजस्व व्यय में मुख्य कमी (₹ 40,895 करोड़) आर्थिक सेवायें (₹ 18,460 करोड़), सामाजिक सेवायें (₹ 17,155 करोड़), सामान्य सेवायें (₹ 5,257 करोड़) तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 23 करोड़) के अन्तर्गत हुई। पूंजीगत व्यय में कमी (₹ 14,170 करोड़) आर्थिक सेवायें (₹ 9,859 करोड़), सामाजिक सेवायें (₹ 3,486 करोड़) तथा सामान्य सेवायें (₹ 825 करोड़) के अन्तर्गत कमी के कारण हुई। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में कमी जैसा कि राज्य सरकार के विनियोग लेखे 2017-18 में दर्शाया गया है, अत्यधिक बजट प्रावधान, वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होना, निधियों का अवमुक्त न होना, योजना की स्वीकृति न होना, रिक्त पदों आदि के कारण हुई।

***lLrqfr:** वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में लगातार बढ़ते अन्तर को कम किया जा सके।*

1.4 jkT; dk foRrh; lalk/ku

okf"kZd foRr ys[kk dk vuqlkj jkT; dk lalk/ku

राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित

[10] नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की उ.प्र. सरकार की प्रतिवेदन संख्या 1 (2019) भी देखें।

है। पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियाँ, विविध प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ एवं ऋण अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के साथ–साथ लोक लेखे के अवशेष सम्मिलित हैं।

pkV **1.3** तथा pkV **1.4** क्रमशः कुल प्राप्तियों के संघटन, वर्ष 2013-18 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा वर्ष 2017-18 में संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

pkV **1.3:** o"k **2017-18** e dqy izkfIr;k dk la?kVu

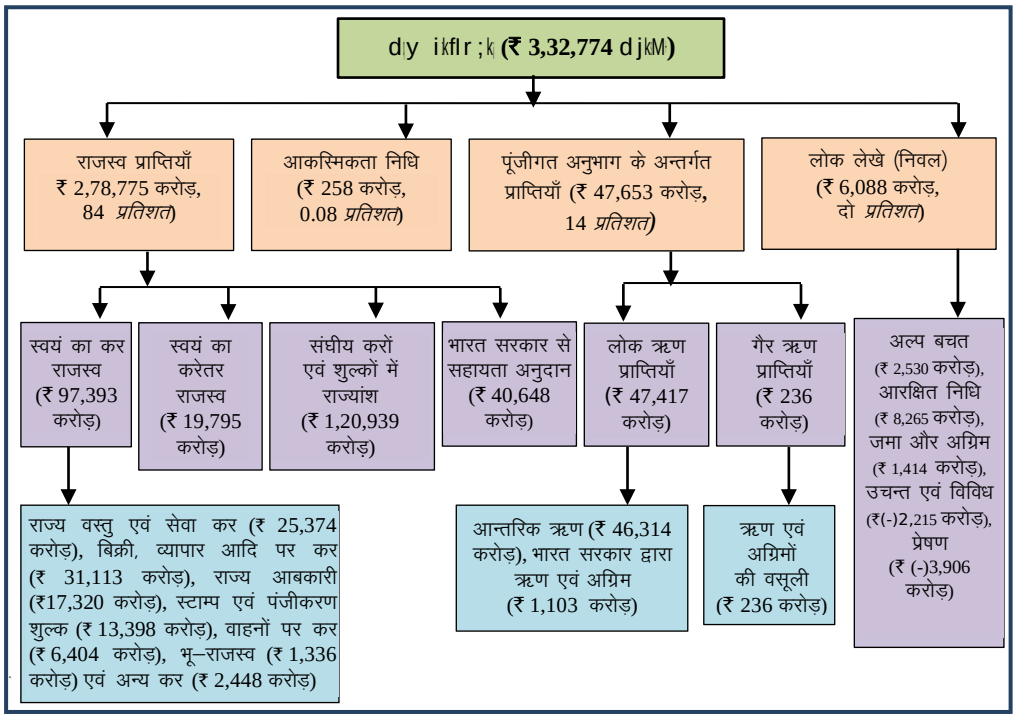

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

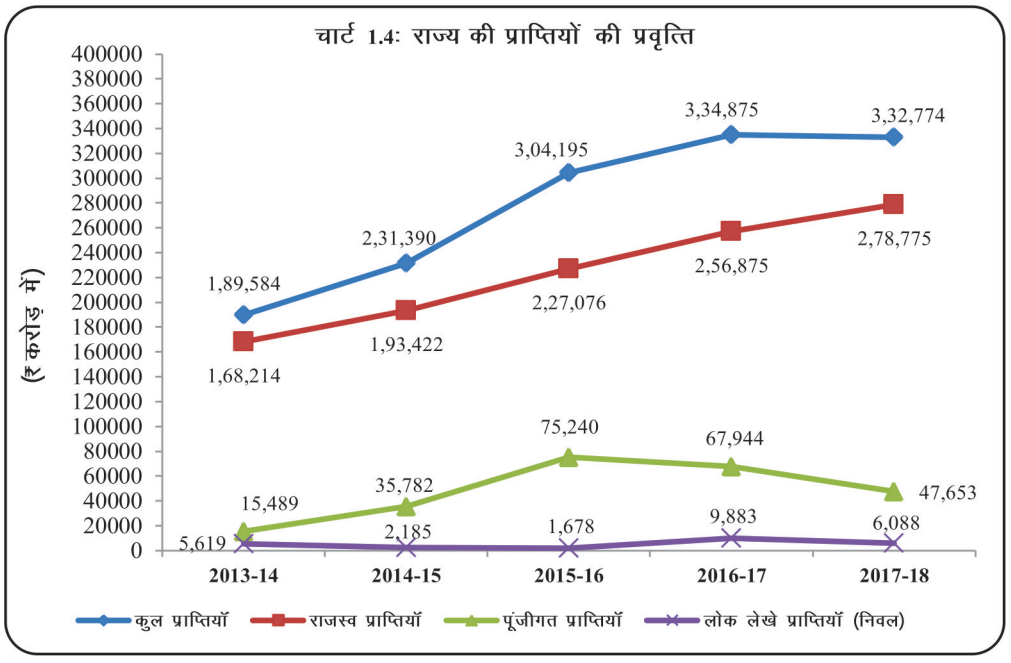

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 jktLo çkfIr;k

वित्त लेखे के fooj.k&**14** में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। वर्ष 2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन को *ifjf'k"V* ***1.5*** में प्रस्तुत किया गया हैं एवं क्रमशः pkV **1.5** एवं pkV **1.6** में भी प्रदर्शित किया गया है।

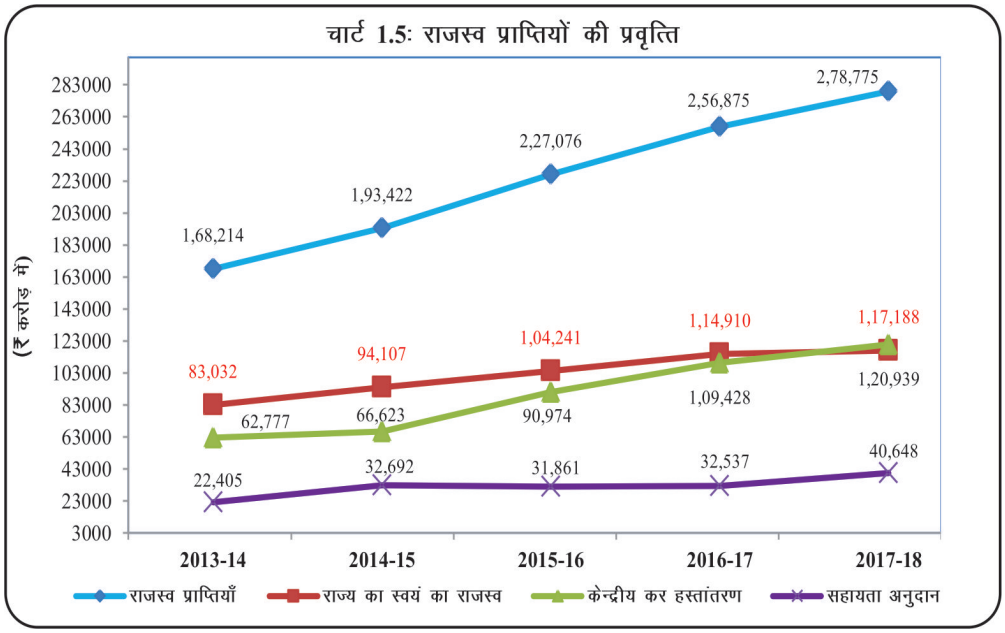

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

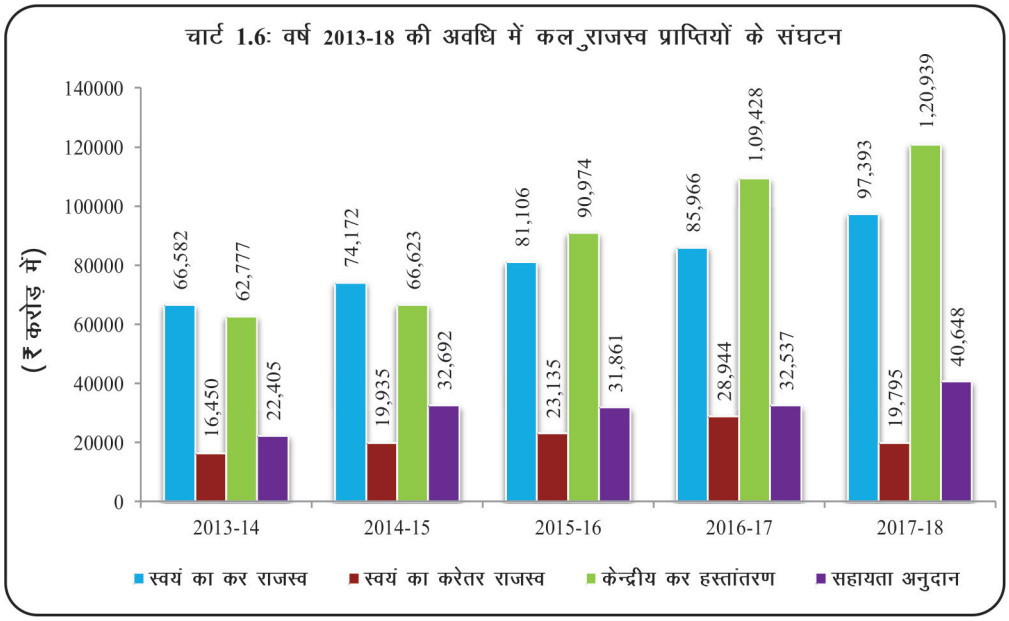

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 में ₹ 2,78,775 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में, ₹ 1,17,188 करोड़ राज्य का स्वयं का (कर/करेतर) राजस्व एवं भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,61,587 करोड़ सम्मिलित है। जहाँ वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 21,900 करोड़ की कुल वृद्धि थी, राज्य के स्वयं के संसाधन में ₹ 2,278 करोड़ (1.98 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्तियों में ₹ 19,622 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई; इनका अग्रेतर विश्लेषण आगे के प्रस्तरों में किया गया है।

1.4.1.1 jkT; dk Lo;a dk Lklk/ku

संसाधनों के संघटन में केन्द्रीय करों में राज्यांश तथा सहायता अनुदान को सम्मिलित नहीं करते हुए, जो वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होते हैं, राज्य के प्रदर्शन को स्वयं के कर राजस्व तथा स्वयं के करेतर राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व तथा स्वयं के करेतर राजस्व के संग्रहण के विवरण को *ifjf'k"V* ***1.6*** में प्रदर्शित किया गया है। इसमें वर्ष 2013-14 के ₹ 83,032 करोड़ से वर्ष 2017-18 में ₹ 1,17,188 करोड़ अर्थात ₹ 34,156 करोड़ (41 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

बजट अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2017-18 हेतु राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं स्वयं के करेतर राजस्व को lkj.kh **1.8** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.8: ctV vuqekuksa ds lkis{k Lo;a ds dj jktLo ,oa Lo;a ds djsrj jktLo dh okLrfod izkfIr;k¡

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	ctV vuqeku	okLrfod
स्वयं का कर राजस्व	1,11,502	97,393
स्वयं का करेतर राजस्व	18,436	19,795
;ksx	**1,29,938**	**1,17,188**

(स्रोतः बजट प्रपत्र एवं वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

Lo;a dk dj jktLo

वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व का विवरण lkj.kh **1.9** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.9: Lo;a ds dj jktLo ds ?kVd

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	o"kZ 2016-17 ds lkis{k o"kZ 2017-18 esa fHkUurk ¼*izfr'kr*½
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	39,645 (60)	42,934 (58)	47,692 (59)	51,883 (60)	31,113 (32)	(-)40.03
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	25,374 (26)	-
राज्य आबकारी	11,644 (17)	13,483 (18)	14,084 (17)	14,274 (17)	17,320 (18)	21.34
वाहनों पर कर	3,441 (5)	3,797 (5)	4,410 (5)	5,148 (6)	6,404 (7)	24.40
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	9,521 (14)	11,803 (16)	12,404 (15)	11,564 (13)	13,398 (14)	15.86
भू–राजस्व	772 (1)	527 (1)	505 (1)	760 (1)	1,336 (1)	75.79
विद्युत कर एवं शुल्क	1,048 (2)	1,085 (1)	1,338 (2)	1,556 (2)	2,124 (2)	36.50
अन्य कर	511 (1)	543 (1)	673 (1)	781 (1)	324 (0)	(-)58.39
;ksx	**66,582**	**74,172**	**81,106**	**85,966**	**97,393**	**13.29**
स.रा.घ.उ. (वर्तमान मूल्यों पर)	9,40,356	10,11,790	11,37,210	12,50,213	13,75,607	10.03
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व का *प्रतिशत*	7.08	7.33	7.13	6.88	7.08	-

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे) (कोष्ठक के आंकड़े करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

- वर्ष 2017-18 में स्वयं के कर राजस्व में कुल 13.29 *प्रतिशत* की वृद्वि मुख्यतः 'राज्य आबकारी' (₹ 3,047 करोड़), 'स्टाम्प एवं पंजीकरण' (₹ 1,834 करोड़), 'वाहनों पर कर' (₹ 1,255 करोड़), 'भू–राजस्व' (₹ 576 करोड़) तथा 'विद्युत कर एवं शुल्क' (₹ 568 करोड़) में वृद्वि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर में ₹ 20,770 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह कर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में समाहित किया गया जो कि 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के अन्तर्गत ₹ 25,374 करोड़ का संग्रहण हुआ।
- राज्य आबकारी में वृद्वि देशी शराब (₹ 892 करोड़), भारत में निर्मित विदेशी शराब (₹ 795 करोड़) एव ंबीयर (₹ 279 करोड़) की बिक्री में वृद्वि के कारण हुई। राज्य आबकारी विभाग को वर्ष के दौरान ₹ 373 करोड़ की प्राप्ति वर्ष 2018-19 में दुकानों के लिये ई–लाटरी टेण्डर प्रक्रिया अपनाने के कारण भी प्राप्त हुआ।
- 'स्टाम्प एवं पंजीकरण' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्वि मुख्यतः भूमि के वार्षिक पुनरीक्षित सर्किल रेट, रजिस्ट्री प्रपत्रों के शुल्क से अधिक प्राप्तियों (58 *प्रतिशत*) तथा न्यायिक एवं न्यायिकेत्तर स्टैम्प्स की बिक्री (23 *प्रतिशत*) के कारण हुई। 'विद्युत कर एवं शुल्क' की प्राप्तियों में वृद्वि विद्युत का उपभोग एवं बिक्री पर अधिक कर संग्रहण (41 *प्रतिशत*) के कारण हुई।
- वर्ष 2017-18 में राज्य के स.रा.घ.उ. के सापेक्ष स्वयं का कर राजस्व 7.08 *प्रतिशत* था जो अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ (6.82 *प्रतिशत*), मध्य प्रदेश (6.34 *प्रतिशत*), राजस्थान (6.02 *प्रतिशत*), गुजरात (5.42 *प्रतिशत*), झारखण्ड (4.84 *प्रतिशत*) एवं बिहार (4.74 *प्रतिशत*) की तुलना में अधिक था।

Lo;a dk djsrj jktLo

वर्ष 2013-18 की अवधि में करेतर राजस्व की प्राप्तियों का विवरण **lkj.kh 1.10** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.10: Lo;a dk djsrj jktLo ,oa blds eq[; ?kVd

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	o"kZ 2016-17 dh lkis{k o"kZ 2017-18 esa fHkUurk ¼*izfr'kr*½
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	913 (6)	1,029 (5)	1,222 (5)	1,548 (5)	3,259 (16)	110.53
ऊर्जा	1,061(6)	966 (5)	1,322(6)	2,939 (10)	4,696(24)	59.78
ब्याज प्राप्तियाँ	1,619 (10)	2,303 (12)	633 (3)	1,165 (4)	1,093 (6)	(-) 6.18
विविध सामान्य सेवायें	3,194 (19)	6,400 (32)	4,949 (21)	4,460 (15)	4,841 (24)	8.54
मध्यम सिंचाई	325 (2)	326 (1)	557 (3)	652 (2)	834 (4)	27.91
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	6,414 (39)	5,799 (29)	10,652 (46)	14,092 (49)	432 (2)	(-)96.93
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	2,924 (18)	3,112 (16)	3,800 (16)	4,088 (15)	4,640 (24)	(-)13.50
;ksx	**16,450**	**19,935**	**23,135**	**28,944**	**19,795**	**(-) 31.61**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे) (कोष्ठक के आंकड़े करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में स्वयं के करेतर प्राप्तियों में 31.61 *प्रतिशत* धनराशि ₹ 9,149 करोड़ की कमी हुई। यह मुख्यतः 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों के कम होने के कारण था, जिसका वास्तविक कारण यह था कि वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन के लिये की जाने वाली प्रतिपूर्ति को प्राथमिक शिक्षा विभाग के व्यय में कमी के रूप में लेखांकित किया गया जबकि पूर्व में यह राज्य के करेतर प्राप्तियों के रूप में दर्शाया जाता था। अग्रेतर, अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत खनिज रियायती शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी (186 *प्रतिशत*) में अधिक प्राप्तियाँ मुख्यतः विभिन्न खनिजों के रॉयल्टी/स्थिर किराये की दर के पुनरीक्षित होने के कारण था।

1.4.1.2 Hkkjr ljdkj ls iklr lgk;rk vuqnku

राज्य सरकार वित्त आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं संघीय करों एवं शुल्कों में अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण lkj.kh **1.11** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.11: Hkkjr ljdkj ls iklr lgk;rk vuqnku

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k (mi eq[; 'kh"k)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान (01)	7,934	6,809	8,274	9,335	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (02)	6,595	6,577	1,933	232	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (03)	226	17	16	56	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (04)	7,650	19,289	21,638	22,914	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान (06)	-	-	-	-	27,731
वित्त आयोग अनुदान (07)	-	-	-	-	8,849
अन्य हस्तांतरण/अनुदान (08)	-	-	-	-	4,068
dqy vuqnku	**22,405**	**32,692**	**31,861**	**32,537**	**40,648**
विगत वर्ष से वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	29.22	45.91	(-) 2.54	2.12	24.93
राजस्व प्राप्तियाँ	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	13.32	16.90	14.03	12.67	14.58

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1 अप्रैल 2017 से प्रभावी महालेखा नियंत्रक द्वारा उपशीर्षों में सुधार किये जाने के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 में विभिन्न उपशीर्षों 'केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान' (₹ 27,731 करोड़), 'वित्त आयोग अनुदान' (₹ 8,849 करोड़) एवं 'अन्य हस्तांतरण/ अनुदान' (₹ 4,068 करोड़) के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त किया। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में सहायता अनुदान में ₹ 8,111 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः जी.एस.टी. के क्रियान्वयन होने के कारण राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति (₹ 2,124 करोड़) दिये जाने के कारण, ग्राम्य विकास (₹ 1,464 करोड़), पंचायती राज एवं युवा कल्याण (₹ 1,579 करोड़), नगर विकास (₹ 1,247 करोड़), बुन्देलखण्ड परियोजना (₹ 917 करोड़) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (₹ 671 करोड़) के लिये अनुदान में वृद्धि के कारण हुई।

1.4.1.3 dUnªh; dj gLrkarj.k

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि (वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर भी) में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2013-18 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ lkj.kh **1.12** में प्रस्तुत की गई है।

lkj.kh **1.12:** dUæh; dj gLrkarj.k

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	**62,777**	**66,623**	**90,974**	**1,09,428**	**1,20,939**
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	-	1,718
एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	-	12,212
सेवा कर	10,227	9,822	15,682	17,515	13,719
निगम कर से भिन्न आय पर कर	13,902	16,614	19,815	24,394	31,280
संघीय उत्पाद शुल्क	7,234	6,084	12,206	17241	12,761
निगम कर	21,113	23,265	28,603	35099	37,043
सम्पत्ति पर कर	58	63	8	81	(-)2
सीमा शुल्क	10,243	10,775	14,587	15,098	12,208
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	0	73	0	0

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण, ₹ 1,20,939 करोड़ में से ₹ 13,930 करोड़ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के कारण थी। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय कर हस्तांतरण में कुल वृद्धि ₹ 11,511 करोड़ (11 *प्रतिशत*) थी।

1.4.1.4 oLrq ,oa lsok dj ¼th-,l-Vh-½

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया, जो जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत जी.एस.टी. लागू किये जाने के कारण राज्यों के राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार पाँच वर्षों की अवधि के लिये करेगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत जी.एस.टी.में सम्मिलित करों के लिये राजस्व आकड़ों का आधार वर्ष 2015-16 माना गया था। राज्य के किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर (14 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष) अनुमानित वृद्धि दर लगाने हेतु की जायेगी।

वर्ष 2017-18 के लिये जी.एस.टी. के अन्तर्गत राजस्व आंकड़े यथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), एस.जी.एस.टी. कर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास युटिलाइजेशन एवं आई.जी.एस.टी. (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर), आई.जी.एस.टी. का विभाजन–एस.जी.एस.टी. के कर घटक का अंतरण एवं आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन, वित्त लेखे में प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रकरण में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान सम्मिलित करों का राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। इस प्रकार जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिये आधार वर्ष आकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में अनुमानित राजस्व

₹ 32,514.75 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एस.जी.एस.टी. के रूप में ₹ 25,374 करोड़ संग्रह हुआ था। इस धनराशि में भारत सरकार से आई.जी.एस.टी. अनन्तिम/अग्रिम समाधान के रूप में प्राप्त ₹ 1,460 करोड़ सम्मिलित था। यह इस शर्त के साथ था कि उक्त धनराशि का समायोजन वर्ष 2018-19 में माह अप्रैल 2018 से दस समान मासिक किश्तों में आई.जी.एस.टी. के नियमित समाधान से किया जायेगा।

1.4.2 iwathxr vuHkkx ds vUrxZr izkfIr;k¡

वर्ष 2013-18 की अवधि में पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ lkj.kh **1.13** में दर्शायी गई है।

lkj.kh 1.13: iwathxr vuHkkx ds vUrXkZr izkfIr;ksa dh izo`fRr;k¡

¼₹ djksM+ esa½

iwathxr vuHkkx ds vUrXkZr jkT; dh izkfIr;ksa ds lzksr	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
iwathxr vuHkkx ds vUrXkZr izkfIr;k¡	**15,489**	**35,782**	**75,240**	**67,944**	**47,653**
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	589	262	726	259	236
लोक ऋण प्राप्तियाँ	14,900	35,520	74,514	67,685	47,417
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	41	(-)56	177	(-)64	(-)9
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	(-)5	138	110	(-)9	(-)30

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे)

राज्य की कुल ₹ 47,417 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 1,103 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा शेष ₹ 46,314 करोड़ राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण था।

1.4.2.1 vkUrfjd lzksrksa ls jkT; ljdkj dh _.k izkfIr;k¡

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017–18 तक की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों का विवरण lkj.kh **1.14** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.14: vkUrfjd lzksrksa ls jkT; ljdkj dh _.k izkfIr;k¡

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बाजार ऋण	8,000	17,500	30,000	41,050	41,600
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	8	1,732	4,499	8,695	2,933
वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,494	7,176	31,669	16,909	1,781
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियॉं	5,008	8,626	7,752	0	0
;ksx	**14,510**	**35,034**	**73,920**	**66,654**	**46,314**
आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों की प्राप्तियों से प्रतिशतता	26.35	49.03	65.12	58.90	51.43

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 में वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों में कमी होने के कारण आन्तरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियॉ कम होकर ₹ 46,314 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2014-17 की अवधि में वित्तीय पुनर्संरचना योजना (उदय) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 (₹ 24,332 करोड़) एवं वर्ष 2016-17 (₹ 14,801 करोड़) के बॉण्ड जारी करके लिये गये ऋणों के कारण आन्तरिक स्त्रोतों से त्रण प्राप्तियों में वृद्धि होकर ₹ 35,034 करोड़ से ₹ 66,654 करोड़ हो गयी जिसके कारण वित्तीय संस्थानों से ऋण के साथ–साथ लोक ऋण प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई।

राज्य द्वारा निवेशों पर प्राप्त ब्याज से अधिक दर पर उधार लेने के प्रभाव का वर्णन iLrj **1.8.4** में किया गया है।

1.4.2.2 Hkkjr ljdkj ls izkIr _.k ,oa vfxze

वर्ष 2013-18 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण lkj.kh **1.15** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.15:** Hkkjr ljdkj ls izkIr _.k ,oa vfxze

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	390	486	594	1,031	1,103

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.3 yksd ys[kk izkfIr;k¡

अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधियाँ आदि जो समेकित निधि के अंग नहीं हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं ये विधायिका के मत पर आधारित नहीं होते हैं। इनके सम्बन्ध में सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी का काम करती है। वित्त लेखे के fooj.k&**21** मे लोक लेखे की प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति दी गयी है तथा लोक लेखे (निवल) का विवरण lkj.kh **1.16** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.16:** yksd ys[kk ¼fuoy½ dh fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

fofHkUu 'kh"kksZa ds vUrxZr lalk/ku	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
yksd ys[kk ¼fuoy½	**5,619**	**2,185**	**1,678**	**9,883**	**6,088**
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,363	1,686	1,534	1,619	2,530
ख. आरक्षित निधि	7,954	(-) 2,694	2,561	7,225	8,265
ग. जमा एवं अग्रिम	5,037	1,050	(-)1,543	(-)301	1,414
घ. उचन्त एवं विविध	(-) 9,637	535	(-)677	592	(-)2,215
ड. प्रेषण	(-) 98	1,608	(-)197	748	(-)3,906

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेन–देनों के प्रभाव का वर्णन iLrj **1.9.2** में किया गया है।

1.5 jktLo cdk;k

31 मार्च 2018 को कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व बकाया ₹ 22,457.97 करोड़ में से ₹ 10,516.93 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। विभागों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को **lkj.kh 1.17** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.17: jktLo cdk;k

¼₹ djksM+ esa½

Ø- l-	jktLo dk 'kh"kZ	foHkkx dk uke	31 ekpZ 2018 dks dqy cdk;k /kujkf'k	ikap o"kksZa ls vf/kd vof/k ls cdk;k /kujkf'k
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री कर विभाग	21,548.61	10,257.17
2.	मनोरंजन कर	मनोरंजन एवं बाजीकर विभाग	348.74	13.14
3.	राज्य आबकारी	आबकारी विभाग	52.37	52.08
4.	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	स्टाम्प और पंजीकरण विभाग	398.47	140.71
5.	वाहनों, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	परिवहन विभाग	109.78	53.83
		;ksx	**22,457.97**	**10,516.93**

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

***laLrqfr:** वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।*

1.6 laxzg dh ykxr

वर्ष 2017-18 में मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष संग्रह तथा संग्रह पर लागत का विवरण **lkj.kh 1.18** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.18: laxzg dh ykxr

fooj.k	ldy laxzg	laxzg ij O;;	laxzg ij fd;s x;s O;; dh ldy laxzg ds lkFk izfr'krrk	foxr o"kZ esa vf[ky Hkkjrh; Lrj ij vkSlr
	¼₹ djksM+ esa½			
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	56,487	790	1.40	0.69
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	13,398	268	2.00	2.99
राज्य आबकारी	17,320	188	1.09	2.01
वाहनों पर कर	6,404	169	2.67	2.61

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग एवं वित्त लेखे)

यद्यपि, राज्य आबकारी और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की संग्रह लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत के सापेक्ष कम थी तथापि वाहनों पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत से अधिक थी जबकि मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य समाहित करों पर राज्य सरकार की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर पर औसत लागत का लगभग दोगुना है।

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की प्रवृत्ति का विश्लेषण, उ.प्र. के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, संघीय कर (राज्य बिक्री कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ) के सकल घरेलू

उत्पाद के अनुपात से भी तुलनात्मक रूप से उच्च अनुपात दर्शाता है जैसा कि lkj.kh **1.19** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.19:** l-jk-?k-m- vuqikr dk lkis{k fcØh] O;kikj rFkk jkT; oLrq ,oa lsok dj

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार इत्यादि तथा वस्तु एवं सेवाकर (₹ करोड़ में)	39,645	42,935	47,692	51,883	56,487
वस्तु एवं सेवा कर सहित बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर का उ.प्र. का स.रा.घ.उ. से अनुपात	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
संघीय कर (राज्य बिक्री कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ) का स.घ.उ. से अनुपात	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे एवं संघीय वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार इत्यादि तथा वस्तु एवं सेवा कर के वास्तविक संग्रह की प्रवृत्ति की अग्रेतर समीक्षा भी यह दर्शाती है कि वास्तविक संग्रह हमेशा बजट अनुमानों से कम रहा है, जैसा कि lkj.kh **1.20** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.20:** ctV vuqeku ,oa okLrfod O;; dh izofRr;k

¼₹ djksM+ esa½

fcØh] O;kikj bR;kfn ij dj	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बजट अनुमान	43,936	47,500	52,673	57,940	68,000
वास्तविक	39,645	42,934	47,692	51,883	56,487

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र)

विगत पाँच वर्षों में बिक्री, व्यापार इत्यादि तथा वस्तु एवं सेवा कर के संग्रह में कमी अनुमानों तथा वास्तविक कर संग्रह में असमानता के स्तर को दर्शाता है।

lLrqfr: वित्त विभाग तथा बिक्री कर विभाग को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य समाहित करों *की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर से लगभग दोगुनी क्यों है तथा संग्रह लागत को कम करने के उपाय करने चाहिए।*

1.7 lalk/kuksa dk vuqiz;ksx

1.7.1 O;; dk la?kVu ,oa muesa of) ;k

pkVZ **1.7** एवं pkVZ **1.8** वर्ष 2013-18 की अवधि में क्रमशः कुल व्यय की प्रवृतियों एवं संघटन को प्रस्तुत करता है।

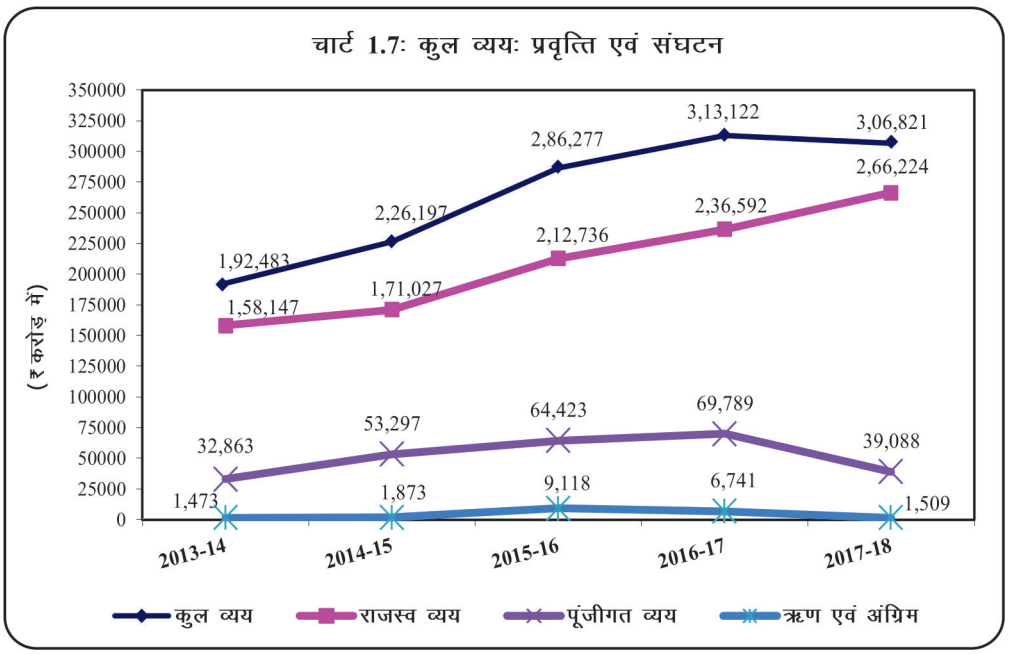

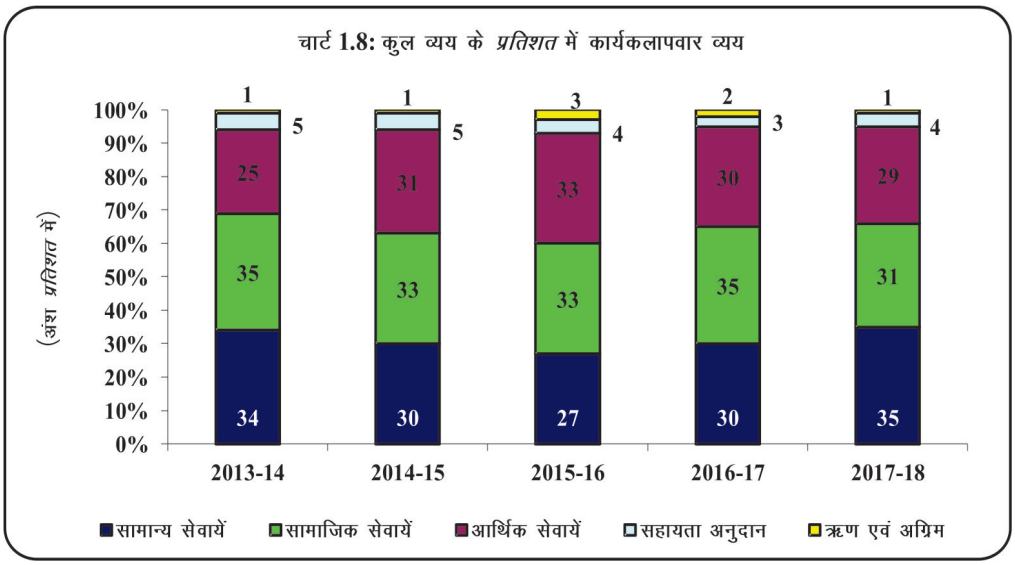

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7.1.1 jktLo 0;;

राजस्व व्यय का विवरण lkj.kh **1.21** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.21: jktLo 0;; dk fooj.k

₹ djkM+ e½

fooj.k	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
राजस्व व्यय	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	12.38	8.14	24.39	11.21	12.52

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 के राजस्व व्यय में ₹ 29,632 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की समग्र वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 में वृद्धि मुख्यतः फसल कृषिकर्म[11]

[11] वृद्धि मुख्य रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना पर खर्च के कारण हुई थी।

(₹ 21,500 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ (₹ 10,250 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,200 करोड़), पुलिस (₹ 1,767 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 1,600 करोड़), शहरी विकास (₹ 1,216 करोड़), लोक निर्माण (₹ 942 करोड़) एवं लघु सिंचाई (₹ 740 करोड़) के अन्तर्गत हुई थी। विगत वर्ष के सापेक्ष कमी मुख्यतः ऊर्जा[12] (52 *प्रतिशत*) तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण[13] (28 *प्रतिशत*) के अन्तर्गत थी।

1.7.1.2 opuc) 0;;

राजस्व मद के अन्तर्गत सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 29,136 करोड़), वेतन एवं भत्तों पर व्यय (₹ 85,076 करोड़), पेंशन (₹ 38,476 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 9,284 करोड़) सम्मिलित है। वर्ष 2013-18 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति **lkj.kh 1.22** में प्रस्तुत की गयी है।

lkj.kh 1.22: opuc) 0;;k d ?kVdk dh izofRr

¼₹ djkM+ e½

opuc) 0;;k d ?kVd	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					ctV vueku	okLrfod 0;;
oru* ,o etnjh] ftlea l	**54,892 (33)**	**62,147 (32)**	**74,439 (33)**	**85,416 (33)**	**95,080**	**85,076 (31)**
आयोजनेत्तर शीर्ष	47,654	51,195	58,537	66,424		
आयोजनागत शीर्ष**	7,238	10,952	15,902	18,992		
C;kt Hkxrku	**17,412 (10)**	**18,865 (10)**	**21,448 (9)**	**26,936 (11)**	**33,212**	**29,136 (10)**
isa'ku ij 0;;	**19,521 (12)**	**22,305 (11)**	**24,150 (11)**	**28,227 (11)**	**35,889**	**38,476 (14)**
lfClMh	**6,608 (4)**	**7,661 (4)**	**7,691 (3)**	**8,045 (3)**	**10,060**	**9,284 (3)**
opuc) 0;; dk ;kx	**98,433 (59)**	**1,10,978 (57)**	**1,27,728 (56)**	**1,48,624 (58)**	**1,74,241**	**1,61,972 (58)**

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अंकित किये गये है।
*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।
** वर्ष 2017-18 से आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के विभाजन का विलय हो गया है।

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित आंकड़े)

वर्ष 2017-18 में वचनबद्ध व्यय (₹1,61,972 करोड़), जो राजस्व प्राप्ति (₹ 2,78,775 करोड़) का 58 *प्रतिशत* थे, राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक रहा और राजस्व व्यय (₹ 2,66,224 करोड़) के 61 *प्रतिशत* का उपभोग किया।

1.7.1.3 ifjHkkf"kr vi'knk;h isa'ku ;kstuk

1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत आच्छादित हैं। यह नियम सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नए प्रवेशकों पर भी

[12] ऊर्जा विभाग में 'अन्य व्यय' शीर्ष के अन्तर्गत (₹ 7,533 करोड़ की कमी)
[13] मुख्यतः 'जनजातीय क्षेत्र उप–योजना' एवं अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत (₹ 3,840 करोड़ की कमी)।

लागू होता है। योजना के संदर्भ में, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* योगदान करते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समान मैचिंग शेयर मिलाया जाता है और सम्पूर्ण धनराशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

राज्य सरकार ने अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि वह वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समान मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 465.10 करोड़ का योगदान करने में विफल रही। विगत वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत इसके मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 211.69 करोड़ का अंशदान नहीं किया ।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 की अवधि में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के एवं राज्य सरकार के अंशदान के रूप में ₹ 8,205.66 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे निवेश के लिए नामित प्राधिकारी को ₹ 703.16 करोड़ जमा नहीं किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 को, निर्दिष्ट प्राधिकारी को ₹ 1,379.95 करोड़ (₹465.10 करोड़+ ₹ 211.69 करोड़ + ₹703.16 करोड़) का कम हस्तान्तरण किया गया और वर्तमान देयता को भविष्य के वर्ष (ओं) के लिए आस्थगित किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भविष्य में कर्मचारियों को देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा की/सरकार के लिए भविष्य में परिहार्य वित्तीय देयता सृजित की और इस प्रकार स्वयं ही योजना को संभावित विफलता की ओर अग्रसर किया।

वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के सापेक्ष ₹ 545.68 करोड़, ब्याज सहित जमा खाते में अवशेष था जिसके लिए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जी.पी.एफ. की ब्याज दर पर लागू वार्षिक ब्याज दर के आधार पर आगणित ₹ 25.78 करोड़ ब्याज का भुगतान किया था। यद्यपि, अवशेष राशि पर भुगतान किए गए ब्याज की पर्याप्तता को जाँचा नहीं जा सका, क्योंकि पेंशन निदेशालय ने लेखापरीक्षा जॉच के लिए संबंधित गणना प्रपत्र प्रदान नहीं किया।

संस्तुतिः राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए कि 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को उनकी भर्ती की तिथि से अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाये। यह इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती पूरी तरह से की जाए, सरकार द्वारा अपना पूर्ण योगदान देते हुए समयबद्ध तरीके से एन.एस.डी.एल. के माध्यम से नामित फण्ड मैनेजर को सम्पूर्ण रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाए।

1.7.1.4 ithxr O;;

पूंजीगत व्यय का विवरण lkj.kh **1.23** में प्रस्तुत किया गया है।

lkj.kh 1.23: iwathxr O;; dk fooj.k

¼₹ djkM+ e½

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत व्यय	32,863	53,297	64,423	69,789	39,088
पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	37.88	62.18	20.88	8.33	(-) 43.99
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	3.49	5.27	5.67	5.58	2.84

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल ₹ 39,088 करोड़ के पूंजीगत व्यय में से राज्य सरकार ने ₹ 8,380 करोड़ सांविधिक निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सहकारी समितियों में निवेश किया जिसमें से ₹ 8,271 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हर घर बिजली योजना आदि में अंश पूँजी के रूप में निवेशित था। अन्य मुख्य क्षेत्र जिसमें सड़क एवं पुल पर ₹ 7,635 करोड़, ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर ₹ 2,313 करोड़, आवास पर ₹ 5,617 करोड़, जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर ₹ 1,811 करोड़ तथा लोक निर्माण कार्य पर ₹ 1,010 करोड़ का व्यय समाहित था।

विगत वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 30,701 करोड़ (44 *प्रतिशत*) की कमी आई थी। कमी मुख्य रूप से सड़कों और पुलों, खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार, आवास एवं वन तथा वन्य जीवन के अन्तर्गत थी, जैसा कि lkj.kh **1.24** में प्रदर्शित है।

lkj.kh 1.24: o"k 2017-18 e iwthxr O;; e deh dk fooj.k

O;; d e[; 'kh"k	Ok"k 2016-17 Lk iwthxr O;; e deh		Ok"k 2016-17 dh rqyuk e o"k 2017-18 e iwthxr O;; e deh dk e[; dkj.k
	¼₹ djkM+ e½	ifr'kr	
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	14,724	66	राज्य राजमार्गों एवं जिले की सड़कों पर उच्चीकरण के निर्माण पर व्यय में कमी।
4801- ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,369	29	उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम में निवेश एवं उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सुदृढ़ीकरण एवं वितरण हेतु शेयर कैपिटल पर व्यय में कमी; 2017-18 में उदय पर कोई व्यय नहीं।
4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	1,748	61	खाद्य अनाज की आपूर्ति परियोजना पर व्यय में कमी के कारण।
4700- वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,586	44	अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर एवं शारदा सहायक नहर आदि पर व्यय में कमी।
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,080	55	राजकीय विद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना पर व्यय में कमी।
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	1,045	16	लोहिया ग्रामीण आवास योजना, आसरा योजना एवं राजकीय आवासीय भवनों के निर्माण पर व्यय में कमी।
4406-वन एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	491	67	हरित पट्टी विकास योजना, सामाजिक वानिकी एवं वानिकी सम्बन्धित परियोजनाओं पर व्यय में कमी।

(स्रोतः वित्त लेखे 2017-18)

वर्ष 2017-18 में राज्य के स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूंजीगत व्यय 2.84 *प्रतिशत* था, जो अन्य राज्यों जैसे बिहार (5.93 *प्रतिशत*), झारखण्ड (4.68 *प्रतिशत*), मध्य प्रदेश (4.37 *प्रतिशत*) एवं छत्तीसगढ़ (3.43 *प्रतिशत*) से कम था, लेकिन राजस्थान (2.45 *प्रतिशत*) एवं गुजरात (1.99 *प्रतिशत*) से अधिक था ।

1.7.2 0;;k dh xq.koRrk

व्यय की गुणवत्ता के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, नामतः व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थ : सार्वजनिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (सेवाओं के परिव्यय–परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.7.2.1 ykd 0;; dh i;kZIrrk

वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय की सामान्य श्रेणी के राज्यों से तुलना lkj.kh **1.25** में प्रस्तुत की गयी है।

lkj.kh **1.25: o"kZ 2013-14 ,oa 2017-18 esa** jkT; dh jktdks"kh; izkFkfedrk

¼*izfr'kr* esa½

jktdks"kh; izkFkfedrk ¼ldy jkT; ?kjsyw mRikn ls izfr'krrk½	,-bZ-@ l-jk-?k-m-	Mh-bZ-#@ ,-bZ-	,l-,l-bZ-@,-bZ-	bZ-,l-bZ-@,-bZ-	Lkh-bZ-@ ,-bZ-	,tqds'ku@ ,-bZ-	gsYFk@ ,-bZ-
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2013-14	14.7	66.5	37.6	28.9	13.6	17.2	4.5
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2013-14	20.5	60.9	35.4	25.5	17.1	16.7	4.8
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2017-18	16.1	67.9	36.7	29.6	14.4	15.5	4.9
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2017-18	22.3	60.8	31.3	29.5	12.7	15.3	5.5

ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.; विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।
* गोवा को छोड़कर।
#विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूंजीगत विकास व्यय और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

वर्ष 2017-18 में, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल व्यय का अनुपात और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय के सापेक्ष अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि, विकास पर व्यय, शिक्षा पर व्यय और आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था। वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक सेवाओं के व्यय के अनुपात में गिरावट सामाजिक सेवाओं के व्यय में वर्ष 2013-18 की अवधि में कुल व्यय (59 *प्रतिशत*) में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि दर (41 *प्रतिशत*) होने के कारण थी।

1.7.2.2 0;; esa n{krk

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण lkj.kh **1.26** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.26:** p;fur lkekftd ,o vkfFkZd lokvk ij fd;s x;s O;; dh n{krk

lkekftd@vkfFkZd vo lajpuk	2016-17			2017-18		
	iwathxr O;; dk dqy O;; e vuqikr	jktLo O;; (₹ djksM+ e)		iwathxr O;; dk dqy O;; e vuqikr	jktLo O;; (₹ djksM+ e)	
		osru ,o etnwjh	ifjpkyu ,o vuqj{k.k		osru ,o etnwjh	ifjpkyu ,o vuqj{k.k
;ksx ¼lkekftd lok;½	15.54	55,711	269	12.08	50,533	393
;ksx ¼vkfFkZd lok;½	47.90	9,918	2,685	27.31	11,544	4,567
;ksx ¼lkekftd lok; $ vkfFkZd lok;½	30.76	65,629	2,954	19.46	62,077	4,960
lkekftd lokvk dk eq[; ?kVd						
सामान्य शिक्षा	3.72	46,892	28	1.99	40,757	13
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18.51	7,002	144	12.49	8,050	152
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	64.44	153	68	52.63	159	204
vkfFkZd lokvk dk eq[; ?kVd						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	37.94	2,754	29	5.55	3,228	22
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	48.76	2,570	517	30.80	2,840	2,205
शक्ति एवं ऊर्जा	39.15	27	00	53.72	38	00
परिवहन	82.29	107	2,136	66.87	120	2,323

(स्रोतः वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित वी.एल.सी. आंकड़े वर्ष 2016-17 एवं 2017-18)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के योगदान में सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत 3.46 *प्रतिशत* एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 20.59 *प्रतिशत* की कमी रही। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात में कमी मुख्य रूप से जल आपूर्ति, स्वच्छता और नगरीय विकास (11.81 *प्रतिशत*) के क्षेत्र में थी। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 32.39 *प्रतिशत* की कमी थी।

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय में वेतन और मजदूरी के योगदान में ₹ 3,552 करोड़ (पांच *प्रतिशत*) की कमी हुई। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुये व्यय में ₹ 2,006 करोड़ (68 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जिसमें आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,882 करोड़ (70 *प्रतिशत*) एवं सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 124 करोड़ (40 *प्रतिशत*) की वृद्धि सम्मिलित थी।

1.7.2.3 fodkl ,o fodklsRrj O;;

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2013-18 की अवधि में शासन द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर lkj.kh **1.27** में प्रस्तुत की गयी है।

lkj.kh 1.27½ fodkl ,o fodklsRrj O;;

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224
पूंजीगत व्यय	32,863	53,297	64,423	69,789	39,088
ऋण एवं अग्रिम	1,473	1,873	9,118	6,741	1,509
dqy O;;	**1,92,483**	**2,26,197**	**2,86,277**	**3,13,122**	**3,06,821**
विकास व्यय	1,17,209	1,46,705	1,98,456	2,08,290	1,86,578
विकास व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	20	25	35	5	(-)10
विकासेत्तर व्यय	75,274	79,492	87,821	1, 04,832	1,20,243
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	11	6	10	19	15

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

विकासेत्तर व्यय के सापेक्ष विकास पर व्यय में वर्ष 2015-16 में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इसके पश्चात् वर्ष 2017-18 में यह तेजी से घटकर ऋणात्मक 10 *प्रतिशत* तक हो गयी। विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में 11 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 19 *प्रतिशत* हो गयी थी परन्तु वर्ष 2017-18 में घटकर 15 *प्रतिशत* हो गयी ।

1.8 'kkldh; O;; ,oa fuos'k

1.8.1 flapkbZ fuekZ.k dk;ksZa dk foRrh; ifj.kke

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। वर्ष 2013-18 की अवधि में राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का विवरण lkj.kh **1.28** में प्रदर्शित है।

lkj.kh 1.28: flapkbZ ifj;kstukvksa dh ykxr olwyh nj

o"kZ	jktLo O;;	jktLo izkfIr;k¡	rsjgosa ¼2010-15½@ pkSngosa ¼2015-20½ foRr vk;ksx }kjk ykxr olwyh dk eY;kadu	jktLo O;; dh rqyuk esa jktLo izkfIr;ksa dh izfr'krrk	ykxr olwyh esa vUrj
	₹ djksM+ esa		*izfr'kr esa*		
2013-14	4,472	550	60	12	48
2014-15	5,009	397	75	8	67
2015-16	4,891	651	35	13	22
2016-17	5,230	782	35	15	20
2017-18	6,706	953	35	14	21

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट)

लागत वसूली में अन्तर, जिसमें वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में सुधार हुआ, परन्तु वर्ष 2017-18 में एक *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। यद्यपि ये पड़ोसी राज्य बिहार (29 *प्रतिशत*) से बेहतर है, तथापि इसमें अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ (-)76 *प्रतिशत* एवं मध्य प्रदेश (-)47 *प्रतिशत* की तुलना में और सुधार किया जाना है।

***laLrqfr:** राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करना चाहिये।*

1.8.2 viw.kZ ifj;kstuk,¡

अपूर्ण कार्यों पर धनराशियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अपूर्ण कार्यो का विवरण, जैसा कि वित्त लेखे में दिया गया है, का सार **lkj.kh 1.29** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 1.29: 31 ekpZ 2018 dks foHkkxokj viw.kZ ifj;kstukvksa dh fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

foHkkx	viw.kZ ifj;kstukvksa dh la[;k	izkjfEHkd ctV; ykxr	iqujhf{kr ykxr okyh ifj;kstukvksa dh la[;k	iqujhf{kr ifj;kstukvksa dh ykxr	
				izkjfEHkd ctV; ykxr	iqujhf{kr ctV; ykxr
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	1,006	12,953	08	355	460
सिंचाई	59	5,344	01	657	1,514
;ksx	**1,065**	**18,297**	**09**	**1,012**	**1,974**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017-18 का परिशिष्ट IX)

कुल 1,065 अपूर्ण परियोजनाओं में से केवल नौ परियोजनाओं (बजटीय लागत में कुल वृद्धि 95 *प्रतिशत*) की बजटीय लागत पुनरीक्षित की गयी। राज्य सरकार द्वारा शेष अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया गया अतः इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता निर्धारित नहीं की जा सकी।

***laLrqfr:** लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को कम करने एवं परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया तंत्र को विकसित करना चाहिए।*

1.8.3 fuos'k ,oa izfrQy

वर्ष 2013-18 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल[14] की स्थिति **lkj.kh 1.30** में दर्शायी गयी है।

lkj.kh 1.30: fuos'kksa ij izfrQy

fuos'k@izfrQy@fy;s x;s m/kkj dh ykxr	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	52,467	58,606	84,357	96,400	1,04,779
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	5.23	8.08	42.66	86.34	30.84
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.01	0.01	0.05	0.09	0.03
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर[15] (*प्रतिशत*)	6.43	6.40	6.35	6.82	6.54
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त ब्याज में अन्तर (*प्रतिशत*)	6.42	6.39	6.30	6.73	6.51
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल में अन्तर के कारण अनुमानित हानि (₹ करोड़ में)	3,368	3,745	5,315	6,488	6,821

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

[14] सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियाँ एवं बैंक।

[15] ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100

विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशों के प्रतिफल में अन्तर के आधार पर ₹ 25,737 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) में निवेश पर प्रतिफल का आगणन नहीं किया जा सका। यह विशेष रूप से संज्ञान में लेने योग्य है कि निवेश पर कम प्रतिफल के बावजूद वित्त विभाग द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को भी इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजट के माध्यम से लगातार सहायता उपलब्ध कराई जाती रही, जिन्होंने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था, जिनका विस्तृत वर्णन iLrj **3.13** में किया गया है।

लाभांश नीति के अनुसार, सभी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी के योगदान का न्यूनतम पांच प्रतिशत का लाभांश भुगतान करना आवश्यक था। यद्यपि, लाभ अर्जित करने वाले 20 सार्वजनिक उपक्रमों में से मात्र 11 ने ₹ 8.56 करोड़ के लाभांश की घोषणा की और शेष नौ लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹ 540.36 करोड़ के लाभांश की घोषणा नहीं की, जैसा कि iLrj **3.14** में वर्णित है।

1.8.4 jkT; ljdkj }kjk _.k ,oa vfxe

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के साथ–साथ सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम भी उपलब्ध करा रही थी। विवरण lkj.kh **1.31** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.31:** jkT; ljdkj }kjk cdk;k _.k ,oa vfxe rFkk C;kt izkfIr ,oa Hkqxrku

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
_.kksa ,oa vfxeksa dh izkjfEHkd vo'ks"k	11,572	12,456	14,067	22,459	28,447
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,473	1,873	9,118	6,741	1,509
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	589	262	726	259	236
_.kksa ,oa vfxeksa dh vafre vo'ks"k	12,456	14,067	22,459	28,447*	29,720
ऋणों एवं अग्रिमों में निवल वृद्धि	884	1,611	8,392	5,988	1,273
ब्याज प्राप्तियाँ	19	14	26	566	606
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता[16]	0.15	0.10	0.12	1.99	2.08
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर[17] (*प्रतिशत*)	6.43	6.40	6.35	6.82	6.54
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों की दर के मध्य अन्तर (*प्रतिशत* में)	6.28	6.30	6.23	4.83	4.46
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	93	118	568	326	67

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

(* ₹ 494 करोड़ जो संयुक्त उत्तर प्रदेश की अवधि का था, उत्तराखण्ड को आवंटित किया गया)

[16] ब्याज प्राप्ति/[(ऋण एवं अग्रिम का, प्रारम्भिक अवशेष + अन्तिम अवशेष)/2] x 100

[17] ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100

वर्ष के दौरान कुल पुनर्भुगतानित धनराशि (₹ 236 करोड़) में से ₹ 102 करोड़ (43 *प्रतिशत*) सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतानित किये गये थे। विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर भुगतानित ब्याज की धनराशि में अन्तर के आधार पर सरकार को ₹ 1,172 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण वित्त लेखे के fooj.k&**18** के Hkkx ,d में दिया गया है तथा उन इकाइयों का विवरण, जिनके सापेक्ष ऋण के पुनर्भुगतान अवशेष थे, वित्त लेखे के fooj.k&**18** के Hkkx nks में दिया गया है।

lLrfr: राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

1.8.5 lkotfud futh lk>nkjh ifj;ktuk,

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 71 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का विवरण (foRr ys[kk Hkkx **1** का *ifjf'k"V&vkb*), जिसमें डेवलपर का चयन किया जा चुका है, उपलब्ध कराया गया, जिनमें ₹ 92,621.88 करोड़ की धनराशि निहित है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबन्धन के अन्तर्गत अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों को सूचित नहीं किया गया ।

1.8.6 jkdM vo'k"k ,o jkdM vo'k"kk dk fuo'k

रोकड़ अवशेष तथा रोकड़ अवशेषों के निवेश का विवरण lkj.kh **1.32** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.32:** jkdM vo'k"k ,o jkdM vo'k"kk dk fuo'k

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	**1 vi*y 2017** dk ikjfEHkd vo'k"k	**31 ekp 2018** dk vfUre vo'k"k
¼v½ lkekU; jkdM vo'k"k		
कोषागारों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 1,280.65	265.21
मार्गस्थ प्रेषण–स्थानीय	00	00
;kx	**(-) 1,280.65**	**265.21**
रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	2,168.23	11,159.38
;kx ¼v½	**887.58**	**11,424.59**
¼c½ vU; jkdM vo'k"k ,o fuo'k		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ अर्थात् लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	10.69	10.87
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.44	0.49
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
;kx ¼c½	**56.33**	**56.56**
egk;kx ¼v½$ ¼c½	**943.91**	**11,481.15**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

वर्ष 2017-18 में, रोकड़ अवशेष निवेश खातों में निवेश राशि का प्रारंभिक अवशेष ₹ 2,168.23 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 3,52,907.61 करोड़ के ट्रेजरी बिल क्रय किये गये एवं ₹ 3,43,916.47 करोड़ की बिक्री की गयी, इस प्रकार ₹ 11,159.38 करोड़ की राशि अवशेष थी। ट्रेजरी बिल्स और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के तहत निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 471.26 करोड़ और ₹ 15.35 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी।

1.9 ifjlEifRr;k ,o n;rk;

1.9.1 ifjlEifRr;k ,o n;rkvk e of) ,o l?kVu

यद्यपि सरकारी लेखाकरण पद्धति में स्थायी परिसम्पत्तियों, जैसे सरकार के स्वामित्व में भूमि तथा भवन, का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है, तथापि राज्य सरकार के लेखे वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2017 के सापेक्ष 31 मार्च 2018 को ऐसी सम्पत्तियों तथा दायित्यों का समतुल्य सार *ifjf'k"V* ***1.7*** में दिया गया है। जहाँ दायित्व के अन्तर्गत मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम और लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ आती हैं, सम्पत्तियों के अन्तर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम और रोकड़ अवशेष सम्मिलित है।

1.9.2 vkjf{kr fuf/k;k d vUrxr ysunu

वर्ष 2017-18 में, राज्य सरकार ने राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत विभिन्न आरक्षित निधियों, जो विशिष्ट उद्देश्यों हेतु सृजित किये गये थे, में ₹ 8,264.72 करोड़ का निवल अन्तरण किया। विवरण *ifjf'k"V* ***1.8*** में दिया गया है एवं **lkj.kh 1.33** में सारांशीकृत किया गया है।

lkj.kh 1.33: o"k 2017-18 e vkjf{kr fuf/k;k dh fLFkfr

(₹ djkM+ e)

Ø-l-	y[kk 'kh"k	1 vily 2017 dk ikjfEHkd vo'k"k	2017-18 d nkjku ikfIr;k	2017-18 d nkjku lforj.k	31 ekp 2018 dk vfUre vo'k"k
¼v½ C;kt lfgr vkjf{kr fuf/k;k					
1	8115-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि *निवेश*	00 (-) 44.42	00	00	00 (-) 44.42
2	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	(-) 0.06 0.06	00	00	(-) 0.06 0.06
	;kx ¼v½ *fuo'k*	00 (-)44.42	00	00	00 (-)44.42
¼c½ C;kt jfgr vkjf{kr fuf/k;k					
1	8222- निक्षेप निधि	49,659.39	12,232.23	4,422.00	57,469.62
2	8223- अकाल राहत निधि *निवेश*	00 (-) 0.78	00	00	00 (-)0.78
3	8225- सड़कें एवं सेतु निधि	(-)321.46	2,000.00	2,000.00	(-)321.46
4	8226- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि	(-)7.99	00	00	(-)7.99
5	8229- विकास एवं कल्याण निधि	888.31	218.44	143.95	962.80
6	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	797.10	816.86	436.86	1,177.10
	;kx ¼c½ *fuo'k*	**51,015.35** (-)**0.78**	**15,267.53**	**7,002.81**	**59,280.07** (-) **0.78**
	egk;kx *fuo'k*	**51,015.35** **(-)45.20**	**15,267.53**	**7,002.81**	**59,280.07** **(-)45.20**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में 44 आरक्षित निधियां (₹ 51,015.35 करोड़ के प्रारम्भिक अवशेष सहित) थीं, जिसमें से दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 20.67 करोड़ की अवशेष राशि वाली तीन निधियाँ वर्ष 2014-18 की अवधि में असंचालित, 32 संचालित थीं एवं वर्ष के दौरान नौ निधियाँ बन्द हुई थीं। इन 32 संचालित निधियों (₹ 59,259.40 करोड़ की अवशेष राशि सहित) में से 19 निधियों में शून्य अवशेष था। वर्ष 2017-18 के अन्त में इन 35 निधियों में कुल ₹ 59,280.07 करोड़ का संचित अवशेष था। यद्यपि यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान इन आरक्षित निधियों के इस अत्यधिक अवशेष का कोई निवेश नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि दो असंचालित आरक्षित निधियों में ₹ 45.20 करोड़ (जो कि डेबिट पुस्तक अवशेष था) की धनराशि मुख्य शीर्ष 8115–मूल्यह्रास आरक्षित निधि (₹ 44.42 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8223–अकाल राहत निधि (₹ 0.78 करोड़) का निवेश दशकों पूर्व किया गया था, लेकिन खाते में कोई ब्याज क्रेडिट नहीं हुआ।

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत हस्तान्तरण तथा उससे वितरण समेकित निधि के उपयुक्त राजस्व एवं व्यय शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से प्रभावित होती हैं। ये केवल तभी वास्तविक नकद हस्तान्तरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि ये रिजर्व बैंक जमा (आर.बी.डी) को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। वर्ष 2017-18 के दौरान, आरक्षित निधियों में ₹ 15,268 करोड़ का अन्तरण एवं उसमें से ₹ 7,003 करोड़ का वितरण (अर्थात् ₹ 8,265 करोड़ का निवल अन्तरण) केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं। चूँकि इसमें वास्तविक नकद बहिर्प्रवाह नहीं था, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित निधियों के सापेक्ष प्रदर्शित लेन देन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं, जो आरक्षित निधियों के सृजन एवं संचालन के मूलभूत विचारधारा का उल्लंघन करती हैं।

तथापि, इन निधियों में कई वर्षों से पड़े हुए बकाया अवशेष राज्य की बड़ी देनदारी को दर्शाते हैं। विशिष्ट आरक्षित निधियों के सापेक्ष ऋणात्मक तथा डेबिट अवशेषों को समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है। कुछ मुख्य आरक्षित निधियों के लेनदेनों के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण आगे के प्रस्तरों में किया गया है।

/Lrfr% वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन एवं अवशेषों का रख–रखाव पुस्तक प्रविष्टियों के माध्यम से किये जाने की समीक्षा करनी चाहिये तथा नकद लेखांकन के सिद्धांतों का पालन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेषों के वास्तविक निवेश के माध्यम से करना चाहिए।

1.9.2.1 fu{kh fuf/k

lefdr fu{kh fuf/k dk l`tu

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों[18] के परिहार हेतु समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) का सृजन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो इनके संचालन के लिए उत्तरदायी है, के दिशानिर्देशों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया दायित्वों के 0.5 *प्रतिशत* का न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में इस निधि

[18] राज्य सरकार के आन्तरिक ऋणों एवं लोक लेखे दायित्वों के द्वारा परिभाषित।

में ₹ 2,116.12 करोड़ की राशि (दिनांक 31 मार्च 2017 को बकाया दायित्व ₹ 4,23,223.78 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) का अंशदान किया जाना अपेक्षित था।

तथापि, राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों[19] के संदर्भ में स. नि. नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

or'eku fu{ki fuf/k dk lapkyu

वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने ऋण में कमी या परिहार (मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत) के लिए ₹ 12,232.23 करोड़ का प्रावधान किया और पुस्तकीय हस्तान्तरण के द्वारा लोक लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) में हस्तांतरित किया। इस निधि में से, बिना किसी नकद बहिर्प्रवाह के, बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य ₹ 4,422 करोड़ की राशि को समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाओं) के अन्तर्गत, अन्तरित किया गया। निक्षेप निधि से राजस्व खाते में अन्तरित धनराशि (₹ 4,422 करोड़) से वर्ष के राजस्व आधिक्य में अतिशयता हुई।

अन्य राज्य सरकारों द्वारा, जिन्होंने बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये स. नि. नि. का सृजन किया है, के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार के निक्षेप निधि के लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं और रोकड़ के वास्तविक लेनदेन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह निक्षेप निधियों के गठन की अन्तर्निहित भावना के प्रतिकूल है। अग्रेतर, 31.03.2018 को निक्षेप निधि के अन्तिम अवशेष ₹ 57,469.61 करोड़ का निवेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निक्षेप निधि में ₹ 7,810 करोड के निवल वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य की बकाया देनदारियों में उतनी ही राशि के समान वृद्धि हुई।

***lLrfr%** राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये आर.बी.आई. द्वारा निवेश किए जाने वाले समेकित निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की शेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तक प्रविष्टि न हो।*

1.9.2.2 jkT; lMd ,o lrq fuf/k

राज्य सरकार द्वारा सड़कों एवं संचार (सेतुओं) के विकास पर व्यय करने हेतु सड़क एवं सेतु निधि का सृजन किया गया। वर्ष 2017-18 में, राज्य सरकार ने सड़क और सेतुओं पर क्रमशः राजस्व और पूंजीगत व्यय से सम्बन्धित ₹ 1,500 करोड़ एवं ₹ 500 करोड़ का प्रावधान मुख्य शीर्ष 3054 एवं मुख्य शीर्ष 5054 के अन्तर्गत किया और इन राशियों को आरक्षित निधि मुख्य शीर्ष 8225–सड़क एवं सेतु निधि में स्थानान्तरित कर दिया। वर्ष के दौरान समान राशि (अर्थात क्रमशः ₹ 1,500 करोड़ और ₹ 500 करोड़) सड़क और सेतुओं पर व्यय के रूप में दर्शाये गये और क्रमशः मुख्य शीर्ष 3054 और 5054 के अन्तर्गत कटौती प्रविष्टियों के रूप में लेखांकित किये गये। इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि:

[19] जैसा कि इन राज्यों ने दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की है–आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा तथा जम्मू–कश्मीर।

- राज्य सरकार कई वर्षों से मुख्य शीर्ष 3054/5054 और मुख्य शीर्ष 8225–सड़क एवं सेतु निधि के बीच ऐसे एकरूप स्थानान्तरण और विपरीत स्थानान्तरण कर रही है।

- अग्रेतर, 31 मार्च 2018 को निधि में (–)₹ 321.46 करोड़ का ऋणात्मक शेष था, जो उपलब्ध अवशेष से अधिक भुगतान का संकेत देता है। यह ऋणात्मक आंकड़ा वर्ष 2014-15 के लेखे से प्रदर्शित हो रहा है। ऋणात्मक शेष राशि को समेकित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाना है।

lLrfr *: वित्त विभाग द्वारा अविलम्ब ऋणात्मक शेष (–)₹ 321.46 करोड़ को नियमित किया जाना चाहिए।*

1.9.2.3 jkT; vkink vuqfØ;k fuf/k (jk-vk-v-fu-)

jk-vk-v-fu- dk C;kt okyh vkjf{kr fuf/k esa y[kkdu u fd;k tkuk

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा 1 अप्रैल 2010 से भूतपूर्व आपदा राहत निधि को राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.) से प्रतिस्थापित किया गया। रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देश में निम्नलिखित निर्धारित है:

- निधि को मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ-122-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अधीन ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी के अन्तर्गत संचालित किया जाना चाहिए।

- भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर पर राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को मुख्य शीर्ष 8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ-111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अधीन ''ब्याज रहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी के अन्तर्गत ही संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निधि के अवशेषों का निवेश भी नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, निधि के अवशेष मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियाँ है एवं वास्तविक नकद शेषों को प्रदर्शित नहीं करती। अग्रेतर, वित्त लेखे वर्ष 2017-18 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये ब्याज ₹ 37.22 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (जून, 2018) कि वर्ष के अन्त में निधि में एक नगण्य राशि अवशेष रहती है जिससे निधि को ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है एवं ब्याज भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रासंगिक नहीं है। निधि को ''ब्याज रहित आरक्षित निधि'' में श्रेणीबद्ध किये जाने एवं निधि में अवशेष राशि का निवेश न करने या उस पर ब्याज का भुगतान न करने से, अवशेष निधि अनिवार्य रूप से मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियां है जो निधि के दिशानिर्देशों की मूल भावना एवं शासकीय लेखे, जो रोकड़ आधारित लेखांकन के सिद्धान्त का पालन करता है, के प्रतिकूल है।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एन0डी0आर0एफ0) के दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, जब एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष से अधिक खर्च की आवश्यकता हो, तो प्राकृतिक आपदाओं के लिये भारत सरकार एन0डी0आर0एफ0 से राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिसके लिये राज्य के अंश की आवश्यकता नहीं होती है। दिशा निर्देशों के प्रस्तर 11.3 एवं 11.4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने बजट के व्यय पक्ष में लेखाशीर्ष 2245-80-103 के अन्तर्गत समुचित बजट प्रावधान किया जायेगा तथा एन0डी0आर0एफ0 से किये गये वास्तविक व्यय को इसके अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे से सीधे व्यय नहीं किया जाना चाहिये।

वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने ₹119.67 करोड़ की राशि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त की जिसे मुख्य शीर्ष 1601- भारत सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया एवं प्राप्ति के रूप में माना गया। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-80-103 –राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता के अन्तर्गत न कोई बजट प्रावधान किया गया और न ही कोई व्यय पुस्तांकित किया गया। अतः वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त ₹ 119.67 करोड़ का अनुदान राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरित नहीं की गई। जिसके कारण ₹119.67 करोड़ से राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई है।

/Lrfr% राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की अवशेष राशि को मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों अनुसार अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

1.9.3 vkdfLed n;rk,a&iR;kHkfr;ksa dh fLFkfr

1.9.3.1 iR;kHkfr foekspu fuf/k

प्रत्याभूतियों के प्रतिदान के उद्देश्य के लिये, बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियो के आधार पर राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन किया जाना अपेक्षित था। जबकि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों 2013 के अन्तर्गत, इसके लिये ₹ 290.75 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक अंशदान (वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ की बकाया प्रत्याभूति ₹ 58,149.03 करोड़[20] का 0.5 *प्रतिशत*) किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। इसके कारण ₹ 290.75 करोड़ से राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई है।

वित्त लेखे के fooj.k&uksa के अनुसार, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया का विवरण lkj.kh **1.34** में दर्शाया गया है।

[20] बकाया प्रत्याभूतियों के वर्ष 2016-17 के अन्तिम अव"ोष (₹ 55,825 करोड़) एवं वर्ष 2017-18 के प्रारम्भिक अव"ोष (₹ 58,149 करोड़) में ₹ 2,324 करोड़ का अन्तर है, जिनका मिलान प्रक्रियाधीन है।

lkj.kh 1.34: सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ djksM+ esa)

fooj.k	2015-16	2016-17	2017-18
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि (मूलधन)	78,826	66,702[21]	74,303
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	2,27,076	2,56,875	2,78,775
वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि	57,618	55,825	74,841
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	34.71	25.97	26.65

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि के संघटक थेः उर्जा क्षेत्र की चार संस्थाएं[22] (₹ 65,507 करोड़), दो सहकारी बैंक[23] (₹ 4,583 करोड़), अन्य क्षेत्रों की नौ संस्थाएं[24] (₹ 3,002 करोड़) एवं उ.प्र. राज्य वित्तीय निगम (₹ 1,211 करोड़)।

1.9.3.2 iR;kHkwfr 'kqYd

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, प्रत्याभूति के खतरों की गंभीरता के पूर्वानुमान के आधार पर प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना की जानी चाहिये। राज्य सरकार ने 16 संस्थानों को प्रतिभूतियाँ दीं, जिनमें से केवल दो संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना था एवं शेष 14 संस्थानों[25] को इससे छूट प्राप्त थी। यह पाया गया कि दोनों संस्थानों द्वारा देय ₹ 10.56 करोड़ के सापेक्ष केवल राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 0.82 करोड़ का भुगतान किया गया जबकि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 9.74 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

***laLrqfr:** बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहायता रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं/अथवा जिनके लेखे बकाया हैं।*

---

[21] वर्ष के दौरान ₹ 36,282 करोड़ की प्रत्याभूति उन्मोचन के कारण कमी हुई, जो सम्बन्धित थे– उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड (₹ 33,726 करोड़), उ.प्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 270 करोड़), उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 71 करोड़), उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (₹ 627 करोड़), उ.प्र. सहकारिता चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ (₹ 1,584 करोड़) एवं सहकारिता कताई मिल फेडरेशन (₹चार करोड़)।

[22] उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड, उ.प्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[23] उ.प्र. सहकारी बैंक लिमिटेड एवं उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड।

[24] उ.प्र. सहकारी चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, उ.प्र. प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड, उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र. राज्य हार्टिको आई टी आर कम्पनी लिमिटेड बरेली, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर,, सहकारी कताई मिल निगम, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम कानपुर, उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर , उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ।

[25] उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, उ.प्र. प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड, उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र. राज्य हार्टिको आई टी आर कम्पनी लिमिटेड बरेली, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर,, सहकारी कताई मिल निगम, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम कानपुर, उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर, उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ.प्र. राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड।

1.10 _.k icU/ku

1.10.1 ykd _.k ,o ykd y[k nkf;Rok dh otg l fy;s x;s m/kkj dh fuoy miyC/krk

lkj.kh **1.35** में वर्ष 2013-18 की अवधि में उधार लिये गये निधियों की निवल उपलब्धता का विवरण दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.35**% ykd _.k ,o ykd y[k nkf;Rok dh otg l fy;s x;s m/kkj dh fuoy miyC/krk

¼₹ djkM+ e½

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	55,057	71,455	1,13,502	1,13,172	90,052
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	50,316	64,103	75,557	84,034	74,570
उपलब्ध निवल निधियाँ	4,741	7,352	37,945	29,138	15,482
उपलब्ध निवल निधियों से लोक ऋणों की प्राप्तियों की *प्रतिशतता*	8.61	10.29	33.43	25.75	17.19

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी **1.35** से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में उधार ली गयी निधियों का 82.81 *प्रतिशत* वर्तमान उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उपयोग किया गया एवं राज्य के विकास कार्यकलापों/पूंजी संचय हेतु उपयोग नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश की उधार लिये गये निधियों की निवल उपलब्धता (17.19 *प्रतिशत*) अन्य राज्यों यथा छत्तीसगढ़ (35.01 *प्रतिशत*) एवं झारखण्ड (22.24 *प्रतिशत*) से तुलनात्मक रूप से कम थी यद्यपि यह मध्य प्रदेश (13.37 *प्रतिशत*) एवं बिहार (15.15 *प्रतिशत*) से अधिक थी।

1.10.2 _.k loguh;rk

ऋण संवहनीयता राज्य द्वारा भविष्य में इसके ऋणों के उन्मोचन की क्षमता का सूचक है। वर्ष 2013-14 से पाँच वर्षों की अवधि के लिये ऋण संवहनीयता के संकेतकों को lkj.kh **1.36** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **1.36**% _.k loguh;rk&ladrd vkj çofÙk;k

¼₹ djkM+ e½

_.k loguh;rk d ladrd	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता	4,741	7,352	37,945	29,138	15,482
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	10.35	9.75	9.45	10.48	10.45
राजस्व प्राप्तियाँ	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775
बकाया ऋण (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु उदय को छोड़कर)	2,81,709	3,07,859	3,42,920	4,08,422	4,67,842
बकाया ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	9	9	11	19	15
बकाया ऋण (राजकोषीय देयतायें)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	30	30	30	33	34
ब्याज भुगतान	17,412	18,865	21,448	26,936	29,136
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (*प्रतिशत*)	6.43	6.40	6.35	6.82	6.54

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यद्यपि, राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2015-18 की अवधि में 9.45 *प्रतिशत* से बढ़कर 10.45 *प्रतिशत* हो गया और इसी अवधि में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष ऋण का अनुपात भी 30 *प्रतिशत* से बढ़कर 34 *प्रतिशत* हो गया।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (जून 2019) में दृढ़तापूर्वक कहा कि 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार का बकाया ऋण लेखापरीक्षा द्वारा दर्शित ₹ 4,67,842 करोड़ के सापेक्ष ₹ 4,08,716.49 करोड़ था। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि बाजार ऋण की परिपक्वता पर एकमुश्त ऋण परिशोधन हेतु निक्षेप निधि का सृजन किया गया था। तद्नुसार, इस उद्देश्य हेतु बाजार ऋण की परिपक्वता राशि के सापेक्ष राजस्व शीर्ष से आवर्ती आधार पर किश्तों में निधियों का हस्तान्तरण किया गया था। बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के लिए, लेखाशीर्ष "6003- राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण" में निधि प्रावधानित थी एवं समतुल्य धनराशि निक्षेप निधि लेखाशीर्ष "8222- निक्षेप निधि" से डेबिट करते हुए लेखाशीर्ष "0075- विविध सामान्य सेवाएं" में राजस्व प्राप्ति के रूप में जमा किया गया था। इस प्रकार, लोक ऋण के अन्तर्गत बाजार ऋण का भाग निक्षेप निधि के अवशेष में सम्मिलित था जो वित्त लेखे में दायित्व के रूप में प्रदर्शित था। अतः, इस कारण से, वित्त लेखे में दर्शाये गये राज्य सरकार के बकाया दायित्व को निक्षेप निधि की अवशेष के समान राशि तक बढ़ा दिया।

राज्य सरकार का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निक्षेप निधि उस सीमा तक जो निवेश नहीं किया गया, राज्य सरकार के दायित्व का सृजन करता है। अग्रेतर, 31 मार्च 2018 को निक्षेप निधि के अन्तर्गत बकाया अवशेष ₹ 57,469.61 करोड़ का निवेश राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया था। प्रासंगिक है कि, जब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भी वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार की वार्षिक उधार की अन्तिम सीमा को सूचित (अगस्त 2017) किया गया था, तब भी यह उल्लेख किया गया था कि खुले बाजार उधार, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों, लोक लेखे के अतिरिक्त अन्य दायित्वों यथा लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं आदि के हस्तांतरण से उत्पन्न दायित्व उधार में सम्मिलित है, जैसा कि राज्य के वित्त लेखे के fooj.k&6 में प्रदर्शित है।

1.11 vuorh dk;okgh

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर आधारित प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।

2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2 foRrh; izcU/ku ,oa ctVh; fu;a=.k

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के सम्पादन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये बजट में प्राधिकृत थीं एवं संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था तथा विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.1 fofu;ksx ys[kk dk lkjka'k fooj.k

उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल में निर्धारित है कि नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये। विलंब से किये गये अभ्यर्पण को यदि वित्त विभाग स्वीकार नहीं करता है तो सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा।

वर्ष 2017-18 में 93 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत किये गये प्रावधान के सापेक्ष सम्पन्न वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **lkj.kh 2.1** में प्रस्तुत की गयी है।

lkj.kh 2.1% izko/kkuksa ds lkis{k lEiUu okLrfod O;; dh laf{kIr fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

O;; dh izÑfr		dqy vuqnku@ fofu;ksx	okLrfod O;;	cpr¼&½@ vkf/kD;¼+½	vH;fiZr /kujkf'k	31 ekpZ 2018 dks vH;fiZr /kujkf'k	31 ekpZ 2018 rd vH;fiZr cpr dh izfr'krrk
1		2	3	4	5	6	dk-5@dk-4
दत्तमत	I राजस्व	2,85,769.12	2,26,083.41	(-) 59,685.71	44,360.90	44,360.90	74
	II पूंजीगत	72,444.36	50,464.12	(-) 21,980.24	10,376.48	10,376.48	47
	III ऋण तथा अग्रिम	2,529.24	1,509.29	(-) 1,019.95	562.52	562.52	55
;ksx nÙker		**3,60,742.72**	**2,78,056.82**	**(-) 82,685.90**	**55,299.90**	**55,299.90**	**67**
Hkkfjr	IV राजस्व	45,916.47	41,805.71	(-)4,110.76	2,435.98	2,435.98	59
	V पूंजीगत	16.81	11.99	(-)4.82	00	00	00
	VI लोकऋण–पुनर्भुगतान	21,969.12	15,002.10	(-)6,967.02	0.72	0.72	00
;ksx Hkkfjr		**67,902.40**	**56,819.80**	**(-)11,082.60**	**2,436.70**	**2,436.70**	**22**
egk;ksx		**4,28,645.12**	**3,34,876.62**	**(-)93,768.50**	**57,736.60**	**57,736.60**	**62**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 1,665.60 करोड़) एवं दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 11,388.12 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र वर्ष 2017-18)

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 127 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण–पुनर्भुगतान) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 78 प्रकरणों में, ₹ 95,349.48 करोड़ की बचतों के परिणामस्वरूप कुल ₹ 93,768.50 करोड़ की बचतें हुईं जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के चार

प्रकरणों तथा पूंजीगत अनुभाग के तीन प्रकरणों में ₹ 1,580.98 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

तथ्य यह कि 38 *प्रतिशत* बचतों (₹ 36,031.90 करोड़) को वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया तथा अवशेष बचत ₹ 57,736.60 करोड़ (62 *प्रतिशत*) को वित्त विभाग को अन्य उद्देश्यों के लिये पुर्नविनियोजन हेतु उपलब्ध कराये बिना वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तिम दिन अभ्यर्पित किया गया जो यह स्पष्ट करता है कि वित्त विभाग द्वारा अत्यंत न्यून वित्तीय नियन्त्रण रखा गया।

lLrqfr% वित्त विभाग को विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति का अनुश्रवण करना चाहिये जिससे निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा अभ्यर्पण के अन्तिम क्षण की प्रतीक्षा किये बिना एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना, तत्काल अभ्यर्पण कर देना चाहिये।

2.2 foRrh; mRrjnkf;Ro rFkk ctV izcU/ku

2.2.1 vf/kd gq, O;;ksa dk fofu;ferhdj.k dh vko';drk

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, दो अनुदानों तथा दो विनियोगों के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत धनराशि से ₹ 1,337.17 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ (*ifjf'k"V* ***2.1*** *v*)। वर्ष 2005-06 से 2016-17 से सम्बन्धित 96 अनुदानों एवं 40 विनियोगों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य ₹ 29,648.64 करोड़ का विनियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा अभी भी किया जाना शेष है (*ifjf'k"V* ***2.1*** c) । यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जो प्रावधानित करता है कि राज्य विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा किये गये विनियोजन के अतिरिक्त समेकित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं की जा सकेगी। यह बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को निष्फल करता है तथा लोक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय अनुशासन रखने में वित्त विभाग स्वयं असफल रहा जैसा कि वर्ष के दौरान अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन के अन्तर्गत (अनुदान संख्या 62–अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) ₹ 1,311.10 करोड़ का व्ययाधिक्य राज्य विधायिका के प्राधिकार के बिना किया गया। ये विफलतायें इस तथ्य से और जटिल हो जाती हैं कि इसी प्रकार की अनियमितताओं को पूर्व में नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में निरंतर प्रतिवेदित किया गया परंतु वित्त विभाग एवं सम्बन्धित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

lLrqfr% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्ययाधिक्य के सभी वर्तमान प्रकरणों को विनियमित करने हेतु राज्य विधायिका के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जाय। राज्य सरकार द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों की जाँच की जानी चाहिये एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये। पुनः कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि वे बजट प्रावधानों से अधिक व्यय करने की अनुमति न दें एवं भविष्य में ऐसे व्ययाधिक्य को पूर्णतः रोका जाना चाहिये।

2.2.2 cpr

40 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 58 प्रकरणों में ₹ 92,681.47 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी, जिनका विवरण *ifjf'k"V* **2.2** में दर्शाया गया है।

अग्रेतर, उपर्युक्त 58 प्रकरणों में से 16 प्रकरण ऐसे थे जहां प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत थी। इन 16 प्रकरणों में से 2016-17 के दौरान भी छः प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत हुयी जिसका विवरण lkj.kh **2.2** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 2.2% 2016-17 ,oa 2017-18 dh vof/k esa ₹ 1,000 djksM+ ls vf/kd dh cpr n'kkZus okys vuqnku

¼₹ djksM+ esa½

Ø- l-	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	o"kZ ds nkSjku gqbZ cpr	
			2016-17	**2017-18**
1.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)- पूंजीगत दत्तमत	3,300.96	5,179.06
2.	37	नगर विकास विभाग- राजस्व दत्तमत	2,751.47	5,574.84
3.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग- राजस्व दत्तमत	1,106.73	2,247.92
4.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)- राजस्व दत्तमत	2,414.62	17,493.77
5	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- राजस्व दत्तमत	1,704.21	5,573.74
6.		समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- पूंजीगत दत्तमत	2,477.98	1,637.34

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2016-17 एवं 2017-18)

अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि 20 अनुदानों के अन्तर्गत 26 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों में अनवरत बचत (₹100 करोड़ और अधिक), ₹ 100.12 करोड़ एवं ₹ 17,493.77 करोड़ के मध्य थी, जिसका विवरण *ifjf'k"V* **2.3** में दर्शाया गया है। विभाग द्वारा क्रियान्वित हो रहे सम्बंधित योजना में अत्यधिक बचत, कमजोर बजट प्रणाली या प्रदर्शन में कमी या दोनों को दर्शाता है।

laLrqfr% वित्त विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों की धनराशि उपयोग न किये जाने के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिये एवं अग्रेतर वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधानों हेतु कदम उठाया जाना चाहिये।

2.2.3 vuko';d@vi;kZIr vuqiwjd izko/kku

वर्ष 2017-18 में, 56 प्रकरणों में ₹ 6,098.04 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी, जिसका विवरण *ifjf'k"V* **2.4** में दर्शाया गया है।

2.2.4 vf/kd@vuko';d fuf/k;ksa dk iqufoZfu;ksx

पुनर्विनियोग के बावजूद, 42 अनुदानों में निहित 119 उपशीर्षों में ₹ 781.80 करोड़ की बचत तथा 31 अनुदानों के 59 उपशीर्षों में ₹ 852.75 करोड़ का व्ययाधिक्य,

वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग को दर्शाता है (*ifjf'k"V* ***2.5***)।

2.2.5 vR;f/kd /kujkf'k;ksa dk vH;iZ.k

वर्ष 2017-18 में, 201 उपशीर्षों में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) ₹ 25,181.03 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 31,239.80 करोड़ का 81 *प्रतिशत*) किया गया, जिसमें 84 योजनाओं/कार्यक्रमों (₹ 4,167.01 करोड़) का 100 *प्रतिशत* अभ्यर्पण सम्मिलित है, जिसका विवरण *ifjf'k"V* ***2.6*** में दर्शाया गया है। इस प्रकार अत्यधिक धनराशियों के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि या तो बजट बनाने में समुचित सावधानी नहीं बरती गयी या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गम्भीर कमी हुई।

2.2.6 okLrfod cpr ls vf/kd vH;iZ.k

वर्ष 2017-18 में, नौ अनुदानों से सम्बन्धित 10 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 25,686.79 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 25,927.80 करोड़ की धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 241.01 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ, जिसका विवरण *ifjf'k"V* ***2.7*** में दर्शाया गया है। वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

lLrqfr% *सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाय।*

2.2.7 vH;fiZr u dh xbZ iwokZuqekfur cpr

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदानों/विनियोगों या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये। वर्ष 2017-18 के अन्त में, अनुदानों/विनियोगों के 81 प्रकरणों में ₹19,653.58 करोड़ की बचत होने के पश्चात् भी उसका कोई भी भाग व्यय करने वाले विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया ***¼ifjf'k"V 2.8½***।

इसी प्रकार, 120 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में बचत की धनराशि ₹ 67,808.40 करोड़ में से ₹ 37,842.25 करोड़ (56 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी ***¼ifjf'k"V 2.9½***। यह अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण एवं परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन दर्शाता है।

2.2.8 O;; dk xyr oxhZdj.k

राजस्व व्यय स्वभावतः आवर्ती होता है और राजस्व प्राप्तियों से होना माना जाता है। अग्रेतर, भारत सरकार लेखा मानक–2 (आई.जी.ए.एस–2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यद्यपि, वर्ष 2017-18 में, राज्य सरकार द्वारा 'लघु निर्माण कार्यों' पर ₹ 47.71 करोड़, 'वाणिज्यिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' हेतु धनराशि ₹ 1.41 करोड़, 'कम्प्यूटर के रख–रखाव, सम्बन्धित लेखन सामग्री का क्रय' के लिये धनराशि ₹ 0.16 करोड़ एवं 'पूंजीगत व्यय हेतु सहायता अनुदान' ₹ 0.40 करोड़ को पूंजीगत के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय के रूप में पुस्तांकित किया गया जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जाना चाहिए। इससे राजस्व आधिक्य में ₹ 49.68 करोड़ की अतिशयता हुई।

दूसरी ओर, 'औषधालयों के आधारभूत संरचना' के लिये ₹ 64.37 करोड़ तथा 'स्टाफ कार के क्रय' हेतु ₹ 49.57 करोड़ का व्यय पूंजीगत के स्थान पर राजस्व व्यय में पुस्तांकित किया गया जिससे राजस्व आधिक्य में ₹ 113.94 करोड़ की न्यूनता हुई।

इस प्रकार, उपर्युक्त गलत वर्गीकरण से राज्य के राजस्व आधिक्य में ₹ 64.26 करोड़ की न्यूनता हुई।

2.2.9 vkdfLedrk fuf/k l: vfxe &ifrifr ugh dh x;h

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि, ₹ 600 करोड़ की कार्पस धनराशि के साथ रखी जाती है। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1962 के अनुसार, निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित तथा आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए लिया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक लम्बित रहती है।

31 मार्च 2018 तक आकस्मिकता निधि से ₹ 463.08 करोड़ की धनराशि आहरित की गयी जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी, जिसमें पूर्व वर्ष का ₹ 300 करोड़ का अवशेष प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 में ₹ 413 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया जिसमें से ₹ 125 करोड़ वर्ष 2017-18 में उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड को ऋण हेतु आहरित किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति 2018-19 के अनुपूरक अनुदान से की जानी थी। वर्ष 2017-18 में आहरित अवशेष बकाया अग्रिम ₹ 288 करोड़ के सापेक्ष ₹ 249.92 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2018 तक की गयी।

अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा 2016-2017 के दौरान उ.प्र. जल निगम के कर्मचारियों को वेतन तथा सेवानिवृत्तिक लाभ के भुगतान के लिए ₹ 300 करोड़ का आहरण किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुदान सं0 37– नगर विकास विभाग के अंतर्गत बजट प्रावधान द्वारा की जानी थी। 31 मार्च 2017 तक इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी जिसे वर्ष 2018 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1 में प्रतिवेदित किया गया था, तथापि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि में इस धनराशि की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2018 तक नहीं की गयी थी।

/Lrfr% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति समय से की जाय।

3 वित्तीय रिपोर्टिंग एवं लेखाओं पर टिप्पणी

3 foRrh; fjikfVlx ,oa y{kkvks ij fVIi.kh

यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 OkS;fDrd tek [kkrk

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार राज्य सरकार महालेखाकार की सलाह पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वैयक्तिक जमा (पी.डी.) खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। निर्दिष्ट प्रशासकों को इन वैयक्तिक जमा खातों को राज्य के समेकित निधि से निधियों के हस्तान्तरण द्वारा परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है। यदि किसी वैयक्तिक खाते में पिछले तीन वर्षो में कोई लेन देन न हुआ हो तो इन लेखों को बंद किये जाने हेतु कोषाधिकारी सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध करेगें। यदि तीन माह के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो महालेखाकार की सलाह पर सम्बन्धित लेखाशीर्ष में अवशेष, यदि कोई हो, को अन्तरित कर पी.डी. खाते को बंद कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट लेखाशीर्ष जैसे मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा–106–वैयक्तिक जमा के अतिरिक्त भी पी.डी. खातों का संचालन किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वैयक्तिक जमा (पी.डी.) खातों में जमा एवं संवितरणों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। 31 मार्च 2018 को 1,328 पी.डी. खातों में अवशेष ₹ 4,688.14 करोड़ में से ₹ 2,460.82 करोड़ की राशि 31 पी.डी. खाते मुख्य शीर्ष 8342–अन्य जमा–120–विविध जमा से सम्बन्धित थी, जो पी.डी. खातों के लिए निर्दिष्ट लेखाशीर्ष नहीं हैं। अग्रेतर, सांहितिक प्रावधानों के विपरीत, ₹ 108.70 करोड़ की राशि 641 पी.डी. खातों में अनियमित रूप से जमा थी, जबकि ये पी.डी. खाते तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे। यह प्रथा विधायिका के अभिप्राय का उल्लंघन करती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय।

अग्रेतर, वर्ष 2017-18 में राज्य के 77 कोषागारों में से मात्र 17 कोषागारों द्वारा रखे जा रहे वैयक्तिक जमा खातों का मिलान कराया गया। शेष 60 कोषागारों के मिलान की स्थिति सम्बन्धित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी।

पी.डी. खातों में अवशेष राशियों का मिलान न कराया जाना तथा इन पी.डी. खातों में अव्ययित अवशेषों को राज्य के समेकित निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अंतरित न किया जाना लोक निधि के दुरूपयोग, कपट एवं गबन को प्रवृत्त करता है।

laLrqfr% *वित्त विभाग द्वारा सभी पी.डी. खातों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की जानी चाहिए कि इन पी.डी. खातों में अनावश्यक पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल*

समेकित निधि में प्रेषित किया जाय। अग्रेतर, वित्तीय नियमावली में निहित निर्देशों को वित्त विभाग द्वारा दोहराते हुये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमों के अनुसरण करने में असफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

3.2 miHkkx iek.k&i=k dk if"kr u fd;k tkuk

वित्तीय नियमावली में निर्धारित है कि जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए, जिन्हें सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को निधियों का उपभोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये, अग्रेषित किया जाना चाहिये।

31 मार्च 2018 तक, वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि में अवमुक्त की गई अनावर्ती अनुदान राशि ₹ 83,979.44 करोड़ से सम्बन्धित कुल 1,53,949 उपभोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) लम्बित थे। अतः इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 83,979.44 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। उपभोग प्रमाण–पत्रों का अधिकता में अप्राप्त रहना धन के दुरूपयोग एवं कपट के जोखिम से परिपूर्ण था। विवरण lkj.kh **3.1** में दर्शाया गया है।

lkj.kh **3-1%** yfEcr miHkkx iek.k&i=

vof/k	yfEcr miHkkx iek.k&i=k dh l[;k	/kujkf'k (₹ djkM+ e)
2015-16 तक	1,30,773	46,393.80
2016-17	8,653	13,745.16
2017-18	14,523	23,840.48
;kx	**1,53,949**	**83,979.44**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

अधिकांश अप्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित थे, जैसा कि lkj.kh **3.2** में सारांशीकृत किया गया है।

lkj.kh **3.2%** yfEcr miHkkx iek.k i=k d foHkkxk dh lph

Ø0 l0	foHkkx dk uke	yfEcr miHkkx iek.k&i=k dh l[;k	/kujkf'k (₹ djkM+ e)	ifr'krrk
1.	समाज कल्याण विभाग	31,582	10,409.94	12.40
2.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	19,044	8,739.89	10.41
3.	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग	3,527	6,662.95	7.93
4.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	10,576	2,673.41	3.18
5.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	10,124	869.13	1.03
6.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	7,973	678.16	0.81
7.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,949	606.77	0.72

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

अप्रस्तुत उपभोग प्रमाण–पत्रों के प्रकरण नियमित रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किये जाते रहे हैं, तथापि कोई सुधार नहीं

हुआ। कई प्रकरणों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हीं विभागों से आगामी अनुदानों का प्राप्त करना जारी रखा गया जबकि पूर्व के अनुदानों के उपभोग प्रमाण पत्र लम्बित थे।

/Lrfr% राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्रतिवेदन संख्या 1 के प्रस्तर संख्या 3.11 की संस्तुति पर कार्यवाही किया जाना चाहिए एवं उपभोग प्रमाण पत्रों के समय से प्राप्ति तथा नया अनुदान अवमुक्त करने से पूर्व सभी लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों के अविलम्ब प्राप्ति की समीक्षा किये जाने की निगरानी हेतु विभाग की आन्तरिक नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3.3 yfEcr foLr`r vkdfLed fcy

वित्तीय नियमावली में अपेक्षित है कि संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक द्वारा आहरित अग्रिमों का समायोजन शीघ्रता से विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) के माध्यम से किया जाय। तथापि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2018 तक ₹ 33.33 करोड़ धनराशि के 3,497 ए.सी. देयक समायोजन हेतु लम्बित थे, जिसका विवरण lkj.kh **3.3** में दर्शाया गया है। लम्बे समय तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अन्तर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

lkj.kh **3-3%** yfEcr lf{kIr vkdfLed n;d

vof/k	yfEcr Mh-lh- fcyksa dh l[;k	/kujkf'k (₹ djksM+ esa)
2015-16 तक	3,430	24.07
2016-17	20	0.70
2017-18	47	8.56
;kx	**3,497**	**33.33**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 में 228 ए.सी. देयकों की धनराशि ₹ 21.57 करोड़ में से 51 ए.सी. देयक, जिनकी धनराशि ₹ 7.79 करोड़ थी, केवल मार्च 2018 में आहरित किये गये जिसमें 10 ए.सी. देयकों, जिनकी धनराशि ₹ 7.07 करोड़ थी, दिनांक 26 मार्च से 31 मार्च 2018 के मध्य आहरित किये गये। मार्च माह में, विशेष रूप से मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में ए.सी. देयकों के सापेक्ष अधिक व्यय करना, यह दर्शाता है कि आहरण प्रथमतः बजट प्रावधानों का पूर्णतया उपभोग करने के लिये किये गये, जो अपर्याप्त बजट नियंत्रण को इंगित करता है।

मार्च 2018 में आहरित 51 ए.सी. देयकों की धनराशि ₹ 7.79 करोड़ में से चार देयक धनराशि ₹ 6.48 करोड़ (83.18 *प्रतिशत*) कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) तथा 15 देयक, धनराशि ₹ 0.98 करोड़ नागर विमानन विभाग द्वारा आहरित किये गये थे। अधिकांश डी.सी. देयक lkj.kh **3.4** में सूचीबद्व विभागों से प्रतीक्षित थे।

lkj.kh **3-4%** yfEcr foLr`r vkdfLed n;d foHkkxksa dh lwph

Ø-l-	foHkkx dk uke	yfEcr foLr`r vkdfLed n;dksa dh l[;k	yfEcr /kujkf'k (₹ djksM+ esa)	*izfr'kr*
1.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	05	7.10	21.30
2.	सचिवालय, प्रशासन विभाग	127	7.00	21.00
3.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	153	3.62	10.86

Ø-l-	foHkkx dk uke	yfEcr foLrr vkdfLed ns;dk dh l[;k	yfEcr /kujkf'k (₹ djkM+ e)	izfr'kr
4.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	520	1.67	5.01
5.	महिला एवं बाल कल्याण	113	1.40	4.20
6.	गृह विभाग (होमगार्डस)	21	1.39	4.17
7.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	30	1.28	3.84
8.	नागर विमानन	49	1.22	3.66

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

ए.सी. देयकों से अनावश्यक आहरण एवं निर्धारित समयान्तर्गत डी.सी. देयक प्रस्तुत न किया जाना वित्तीय व्यवस्था का उल्लंघन है एवं लोक निधि के दुर्विनियोजन के जोखिम का संकेतक है।

lLrfr% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. देयकों का समायोजन समयबद्ध तरीके से किया जाये एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये ए.सी. देयकों से आहरण न हो।

3.4 jkdM+cgh dk vi.k@vuj{k.k u fd;k tkuk

प्राप्तियों एवं वितरणों के वित्तीय संव्यहारों के लिये रोकड़बही एक प्राथमिक अभिलेख है जिसे प्रत्येक कार्यालय में प्राप्तियों एवं शासकीय धन की अभिरक्षा को उचित ढंग से सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य रूप से अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है। रोकड़बही का अनुरक्षण न किया जाना/अनुचित अनुरक्षण से न केवल शुद्धता एवं लेखे की पूर्णता प्रभावित होती है अपितु शासकीय निधियों के सम्भावित कपट, दुर्विनियोग एवं गबन का संकेतक भी है।

राज्य विधायिका को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों एवं महालेखाकार द्वारा विभिन्न विभागों को अलग से जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में राज्य सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण न किये जाने/अनुचित अनुरक्षण से सम्बन्धित कई प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता रहा है। अद्यतन लेखापरीक्षा में पाये गये कुछ प्रकरण ***ifjf'k"V 3.1*** में सूचीबद्ध किये गये है। ये प्रकरण अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 के दौरान 390 इकाईयों की नमूना जांच में पाया गया, ऐसे प्रकरण अन्य इकाईयों में भी प्रतिबिम्बित हो सकते हैं। इसलिए, अन्य आहरण एवं वितरण अधिकारियों के प्रकरण में आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा आन्तरिक जांच कराया जाना चाहिये।

lLrfr% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण किया जाये।

3.5 jkdM+ vo'ks"k esa fHkUurk

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेषों के सत्यापन प्रमाण–पत्र के अनुसार, माह मार्च 2018 के लिये शासन का डेबिट अवशेष ₹ 125.55 करोड़ था जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रमाणित अन्तिम रोकड़ अवशेष ₹ 265.21 करोड़ था। इस प्रकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये (31.03.2018 को) राज्य सरकार के रोकड़ शेष में विगत वर्षों के अवशेषों सहित ₹ 139.66 करोड़ (निवल डेबिट) का अन्तर था, जिसका मिलान प्रक्रियाधीन था।

3.6 /kujkf'k;ksa dk dsUnzh; lM+d fuf/k esa gLrkUrj.k u fd;k tkuk

मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में, केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया वर्णित है। इस प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त ऐसे अनुदान को सर्वप्रथम लोक लेखे में स्थानान्तरित किया जाना चाहिये, जहां से सड़कों तथा सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय वहन किया जाना चाहिये। यद्यपि भारत सरकार से सी.आर.एफ. अनुदान के रूप में वर्ष 2017–18 में प्राप्त, ₹ 890.24 करोड़ को लोक लेखे में स्थानान्तरित करने में राज्य सरकार विफल रही, तथापि सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर ₹ 3,901.73 करोड़ का व्यय किया गया था, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 890.24 करोड़ में से विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर कितना उपभोग किया गया।

राज्य सरकार ने बताया कि चूंकि केन्द्र सरकार केन्द्रीय सड़क निधि (केन्द्र सरकार द्वारा सृजित) से राज्य सरकार को सड़क निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करती है जो मुख्य शीर्ष '1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान' के अधीन क्रेडिट होता है एवं सम्बन्धित मुख्यशीर्ष 3054/5054 से राज्य की सड़कों के अनुरक्षण पर व्यय किया जाता है, जो राज्य सरकार की परिसम्पत्ति है, तथा इसलिए उस अनुदान के समतुल्य राशि का हस्तांतरण मुख्यशीर्ष 8449–103–केन्द्रीय सड़क निधि को किया जाना वांछनीय नहीं था।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह केन्द्रीय सड़क निधि की लेखा प्रक्रिया में विचलन था जिसके कारण केन्द्रीय सड़क निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपभोग में अपारदर्शी था।

3.7 C;kt dk lek;kstu

राज्य सरकार सेक्टर "vkS–लघु बचते', भविष्य निधि आदि, t–संचित निधि (v)–ब्याज वाली संचित निधि' एवं सेक्टर "के–जमा तथा अग्रिम–(v) ब्याज वाले जमा' के अन्तर्गत अवशेषों के सम्बन्ध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिये उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में वर्ष 2017-18 में समायोजन की स्थिति निम्नवत् थी:

(अ) वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा लघु बचतें, भविष्य निधि आदि पर ₹ 3,655.47 करोड़ के ब्याज (मुख्य शीर्ष '2049–ब्याज भुगतान–03–लघु बचतें, भविष्य निधि आदि पर ब्याज' के अन्तर्गत) का भुगतान किया गया। राज्य

सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में 31 मार्च 2018 को राज्य लेखे में सा.भ.नि. चतुर्थ श्रेणी शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 14,707. 65 करोड़ का अवशेष था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा उस पर ब्याज की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। कोषागारों द्वारा सूचित क्रेडिट तथा डेबिट के आधार पर यह राशि ₹ 1,071.78 करोड़ आगणित की गई।

(ब) इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में सेक्टर d–(v) ब्याज वाले जमा के अधीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित ₹ 545.68 करोड़ का बकाया अवशेष था एवं राज्य सरकार द्वारा उस पर ब्याज के रूप में केवल ₹ 25.78 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में सेक्टर d–(v) ब्याज वाले जमा (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत ₹ 545.68 करोड़ के अवशेष को छोड़कर) में ₹ 3,221.51 करोड़ का निवल जमा बकाया अवशेष भी था। जबकि राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

lLrqfr% वित्त विभाग को लघु बचतें, भविष्य निधि, संचित निधि एवं जमा तथा अग्रिम के अधीन सभी ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज दर्ज करने हेतु अवशेषों की समीक्षा करके समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

3-8 jktLo vkf/kD; ,oa jktdks"kh; ?kkVs ij izHkko

प्राप्ति एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के परिणामस्वरूप वित्त लेखे 2017-18 के अनुसार, राजस्व आधिक्य में ₹ 6,340.88 करोड़ की निवल अतिशयता हुई। अग्रेत्तर, राजकोषीय घाटे में ₹ 6,405.14 करोड़ की न्यूनता भी हुई, जैसा **lkj.kh 3-5** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 3-5% jkT; ys[kk ds vuqlkj jktLo vkf/kD; ,oa jktdks"kh; ?kkVk ij izHkko

¼₹ djksM+ esa½

en	jktLo vkf/kD; ij izHkko		jktdks"kh; ?kkVs ij izHkko	
	jktLo vkf/kD; dh vfr'k;rk	jktLo vkf/kD; dh U;wurk	jktdks"kh; ?kkVs dh vfr'k;rk	jktdks"kh; ?kkVs dh U;wurk
राजस्व के स्थान पर पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत दर्ज लघु निर्माण कार्य, सहायता अनुदान, वाणिज्यिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान तथा कम्प्यूटर का रख–रखाव एवं इसकी लेखन सामग्री के क्रय पर व्यय (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 1(v))	49.68	..	..	..
पूंजीगत के स्थान पर राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत दर्ज अस्पताल के लिये आवश्यक अवस्थापना तथा स्टाफ कार के क्रय पर व्यय (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 1(v))	..	113.94	..	..
बी.पी.एल. परिवारों के लिये अनुपयोगी अनुदानों (वर्ष 2013-14 के) का 2017-18 में	600.00	..	..	600.00

प्राप्ति शीर्ष को हस्तान्तरण (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 2 (xi) (अ))				
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकारी अंशदान को राज्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्ति शीर्ष को वापस अन्तरण (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 2 (xi) (डी))	470.39	..	..	470.39
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदान न करना (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 3(i))	465.11	..	..	465.11
प्रत्याभूति प्रतिदान निधि को अंशदान न करना (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 3(ii))	290.75	..	..	290.75
निक्षेप निधि से धनराशि का राजस्व प्राप्तियों के रूप में समेकित निधि को अन्तरण (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 3(v)(अ))	4,422.00	..	..	4,422.00
एन. डी. आर. एफ. अनुदान का उपभोग/अन्तरण न किया जाना (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 3(v)(ब))	119.67			119.67
संचित निधि अवशेषों (राज्य आपदा अनुक्रिया निधि) पर ब्याज का भुगतान न किया जाना। (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 3(viii)(ब))	37.22	..	..	37.22
;kx	**6,454.82**	**113.94**	-	**6,405.14**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

उपरोक्त दृष्टि से, राज्य का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा जो क्रमशः ₹ 12,552 करोड़ एवं ₹ 27,810 करोड़ था, वास्तव में ₹ 6,211 करोड़ एवं ₹ 34,215 करोड़ होगा।

3.9 Hkou ,oa vU; lfUuekZ.k Jfed dY;k.k midj

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्लू.) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बी.ओ.सी.डब्लू. (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया गया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम, अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशा में सुधार के उद्देश्य एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान करता है। तद्नुसार, उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया, तथा, उपकर अधिनियम के अनुसार, एक *प्रतिशत*

की दर से उपकर उद्ग्रहित किया। उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. नियमावली 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 50 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 50 का संग्रहण किया जाना निहित है। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है।

3.9.1 उपकर का लेखांकन

यह देखा गया कि कल्याण बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रुप नहीं दिया गया। विगत पांच वर्षों (2013-18) की उपकर प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण सारणी **3.6** में दर्शाया गया है।

सारणी **3.6**: पंजीकरण शुल्क, संग्रहित उपकर एवं उपभोग की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियाँ				कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम अवशेष
			पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	बैंक लेखे में प्राप्त श्रम उपकर	कार्यालय से प्राप्त उपकर (राज्य सरकार)	जमा धनराशि पर ब्याज			
1	2013-14	730.11	17.84	458.46	165.00	49.58	1,420.99	98.12	1,322.87
2	2014-15	1,322.87	28.59	500.44	9.25	97.07	1,958.22	127.63	1,830.59
3	2015-16	1,830.59	14.55	686.81	0	128.37	2,660.32	202.41	2,457.91
4	2016-17	2,457.91	13.00	829.60	10.00	162.23	3,472.74	277.78	3,194.96
5	2017-18	3,194.96	10.54	789.79	36.96	214.36	4,246.61	324.14	3,922.47

(स्रोतः सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.) (अनन्तिम आंकड़े)

बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए लेखापरीक्षा में आय एवं व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा 16 विभागों के अधिकारियों को उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक नामित (सितम्बर 2010) किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) में सम्बन्धित अधिकारियों को संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड द्वारा इस हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये। उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में स्थान्तातरण किये जाने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपकर, शुल्क आदि की कितनी धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहणकर्ता द्वारा संग्रहण किया गया एवं कितनी धनराशि बोर्ड को स्थानान्तरित की गयी।

3.9.2 श्रमिक उपकर का उपभोग

राज्य सरकार द्वारा बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण निधि से सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों को अधिसूचित किया गया यथा मातृत्व हितलाभ, पेंशन, आवास क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियो के बच्चों की शिक्षा/शादी हेतु वित्तीय सहायता आदि। वर्ष 2013-18 की अवधि में इन योजनाओं पर हुये व्यय का विवरण सारणी **3.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.7: निधि के आवंटन एवं उपलब्धता के सापेक्ष योजनाओं पर व्यय का विवरण

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत तक पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशतता		
		संख्या	आवंटन (₹ करोड़ में)				आच्छादित श्रमिक	आवंटन के सापेक्ष उपभोग	उपलब्ध निधि के सापेक्ष उपभोग
2013-14	1,420.99	18	301.90	93.39	10,90,192	95,295	8.74	30.93	6.57
2014-15	1,958.22	22	457.90	105.96	19,58,544	2,14,121	10.93	23.14	5.41
2015-16	2,660.32	21	605.61	141.82	27,41,452	2,77,909	10.14	23.42	5.33
2016-17	3,472.74	23	752.83	249.88	34,27,104	5,16,851	15.08	33.19	7.20
2017-18	4,246.61	18	514.06	282.57	42,08,744	3,50,384	8.33	54.97	6.65

(स्रोतः सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.) (अनन्तिम आंकड़े)

जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पांच से सात *प्रतिशत* व्यय किया गया एवं आठ से 15 *प्रतिशत* पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

वर्ष 2017-18 में पड़ोसी राज्यों की तुलना में, उपलब्ध निधियों के सापेक्ष उपभोग छतीसगढ़ (42 *प्रतिशत*), झारखंड (21 *प्रतिशत*) एवं मध्य प्रदेश (14 *प्रतिशत*) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में कम (सात *प्रतिशत*) था। जो अन्य राज्यों की तुलना में, उत्तर प्रदेश में उपकर निधियों का उपभोग के न्यून स्तर को इंगित करता है।

संस्तुतिः *उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अधिदेश की पूर्ति किया जाना चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से, के स्थान पर बोर्ड के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरण किये जाने के अपने आदेशों की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।*

3.10 विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के संग्रहण करने एवं बाद में उसे विर्निदिष्ट अनुपात में विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर निगमों, नगर पालिका/परिषदों को हस्तांतरण किये जाने का प्रावधान है।

स्टाम्प ड्यूटी एवं अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, 02–स्टाम्प नान–जुडिशियल, 102–स्टाम्प बिक्री के अधीन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशियों को सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को विर्निदिष्ट अनुपात में हस्तान्तरित कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश (अप्रैल 2017) में निर्धारित किया गया है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (एच.यू.पी.डी.) द्वारा अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु

सभी प्राधिकरणों को धनराशि अवमुक्त करेगा। 2017-18 में, ₹ 624 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष एच.यू.पी.डी. द्वारा मात्र ₹ 201.91 करोड़ का वितरण किया गया। विभिन्न प्राधिकरणों को हस्तान्तरित धनराशि (₹ 201.91 करोड़) का विवरण *ifjf'k"V* **3.2** में दर्शाया गया है।

विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/परिषदों को निधियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में, यह पाया गया कि सरकार द्वारा हस्तान्तरित अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के व्यय का पुस्तांकन मुख्यशीर्ष 2216–आवास या 2217–नगर विकास, जैसा प्रकरण हो, के स्थान पर मुख्यशीर्ष 3475-800-03 के अधीन किया जा रहा था।

अग्रेतर, सरकार द्वारा अतिरिक्त दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी के विभाजन की प्रक्रिया के निर्धारण (सितम्बर 2013) में, एकत्र धनराशि का 25 *प्रतिशत* डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि (डी.यू.टी.एफ.) को स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया गया जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संग्रहित दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर निगमों, नगर पालिकाओं/परिषदों को करना था और इसलिये निधि की 25 *प्रतिशत* धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किया जाना अनियमित था। यह पाया गया कि सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से एवं आगे डी.यू.टी.एफ. के लिये निरन्तर प्रावधान किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधान एवं व्यय का विवरण **lkj.kh 3.8** में दर्शाया गया है।

Lkkj.kh 3.8% MhMhdsVsM uxj ifjogu fuf/k ds fy;s izko/kku@O;; dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

o"kZ	izko/kku	O;;
2014-15	300	285
2015-16	434	430
2016-17	375	00
2017-18	375	00

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2017-18 में प्रावधानित धनराशि ₹ 375 करोड़ वित्त विभाग से सहमति प्राप्त न होने के कारण व्यय नहीं हो सका था।

laLrqfr% *राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियाँ एवं उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों/निगमों आदि को स्थानान्तरित धनराशि, लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को हस्तांतरण सम्बन्धी आदेश, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, की समीक्षा भी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।*

3.11 yfEcr izdj.kksa dh fjiksfVZax

वर्ष 2017–18 की अवधि तक राज्य सरकार द्वारा सूचित गबन या हानि के 136 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित थे, जिसमें ₹ 9.35 करोड़ की धनराशि निहित थी। 136 प्रकरणों में से 102 प्रकरणों में प्राथमिकी सूचना दर्ज कराई गई थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण *ifjf'k"V* **3.3** में दर्शाया गया है। ऐसे

प्रकरणों की प्रकृति का विवरण *ifjf'k"V* ***3.4*** में दर्शाया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये लम्बित प्रकरणों की प्रकृति एवं अवधिवार स्थिति को lkj.kh **3.9** में सारांशीकृत किया गया है।

lkj.kh **3.9**% yfEcr i:dj.kk dh fLFkfr

vof/kokj yfEcr i:dj.k			yfEcr i:dj.kk dh i:कृfr		
vof/k ¼o"kk em½	i:dj.kk dh l:[;k	lfEefyr /kujkf'k ¼₹ yk[k em½	i:dj.kk dh i:कृfr	i:dj.kk dh l:[;k	lfEefyr /kujkf'k ¼₹ yk[k em½
0 – 5	3	57.66	चोरी	62	33.21
5 – 10	19	347.55			
10 – 15	19	53.95	दुर्विनियोग	09	111.95
15 – 20	13	75.11			
20 – 25	32	12.67	हानि	23	171.78
25 एवं इससेअधिक	50	388.28	गबन	42	618.28
;kx	**136**	**935.22**	;kx	**136**	**935.22**

(स्रोत% सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

कुल लम्बित 135 प्रकरणों (31 मार्च 2017 तक) जिनमें निहित धनराशि ₹ 8.83 करोड़ थी, में से वर्ष 2017-18 में ₹ 0.57 लाख के एक प्रकरण का निस्तारण/अपलेखन (*ifjf'k"V* ***3.5***) किया गया जबकि दो प्रकरणों ₹ 53.22 लाख के जोड़े गये जिससे मार्च 2018 तक कुल 136 प्रकरणों में निहित धनराशि ₹ 9.35 करोड़ लम्बित थी। लम्बित रहने का कारण, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, lkj.kh **3.10** में सूचीबद्ध है।

lkj.kh **3.10**% yfEcr i:dj.kk d: dkj.k

foyEc@vo'k"k i:dj.kk dk dkj.k		i:dj.kk dh l:[;k	/kujkf'k ¼₹ yk[k em½
क	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित थे	27	189.67
ख	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	73	541.06
ग	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	1	4.14
घ	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित	9	6.40
ङ	माननीय न्यायालयों में लम्बित	26	193.95
	;kx	**135**	**935.22**

(स्रोत% सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

l:Lrqfr% शासन को अधिपत्रित विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करनी चाहिये एवं ऐसे प्रकरणों की रोकथाम/पुनरावृत्ति में कमी के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

3.12 foHkkxh; okf.kfT;d miØek d: i:kQkek y:[k

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप देना एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। तथापि, यह पाया गया कि, राज्य के नौ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में से तीन ने कई वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था (*ifjf'k"V* ***3.6***½।

3.13 lkoZtfud {ks= ds miØeksa@fuxeksa ds y[kkvksa ds vfUrehdj.k esa foyEc

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 एवं 210 के अनुसार कम्पनियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर यथा सितम्बर के अन्त तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ पठित धारा 129(2) में भी निहित है। ऐसा करने में विफलता कम्पनी अधिनियम, 2013[26] की धारा 129(7) के अधीन दण्ड को आकर्षित करती है, जिसमें निर्धारित है कि दोषी कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी जो अनुपालन नहीं करने के उत्तरदायी है, जेल की सजा जो एक वर्ष तक या अर्थदण्ड रूपया पचास हजार से कम न हो जिसे रूपया पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों के साथ दण्डनीय होंगे। सांविधिक निगमों के प्रकरण में, संचालित अधिनियम उनसे अपेक्षा करता है कि प्रत्येक वर्ष उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, सम्प्रेक्षित एवं राज्य विधायिका में प्रस्तुत हो।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उ.प्र. में 82 *प्रतिशत* से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के लेखे बकाये हैं, जिनका विवरण lkj.kh **3-11** में दर्शाया गया है।

lkj.kh 3-11: 31 ekpZ 2018 dks ih-,l-;w- ds okf"kZd y[kkvksa ds cdk;s dk vof/kokj fooj.k

Ø- l-	fooj.k	fØ;k'khy	vfØ;k'khy	;ksx
1	पी.एस.यू. की संख्या	61	46	107
2(अ)	बकाये लेखे वाले पी.एस.यू./निगम की संख्या	54	34	88
2(ब)	बकाये लेखाओं की संख्या	207	531	738
3(अ)	5 वर्ष से कम बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	36	11	47
3(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू/निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	66	24	90
4(अ)	5 से 10 वर्ष के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	14	5	19
4(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू/निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	95	37	132
5(अ)	10 एवं उससे अधिक वर्षों के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	4	18	22
5(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू/निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	46	470	516
6	बकाये लेखाओं की सीमा (वर्ष में)	1 से 14	1 से 36	1 से 36

(स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 30 सितम्बर 2018 तक अद्यतन् अन्तिम लेखे)

उपरोक्त सुसंगत अधिनियमों का अनुपालन व्यतिक्रमी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा सुनिश्चित कराये जाने में सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को सूचित करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाओं के

[26] कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210(5) पूर्व में निर्धारित था कि यदि कोई व्यक्ति, जो कम्पनी का निदे"ाक हो, इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में युक्तिसंगत कदम उठाने में विफल रहता है तो छः माह का कारावास, या रूपया दस हजार तक अर्थदण्ड या दोनों के साथ दंडित होंगें।

अन्तिमीकरण न होने के कारण, कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसा कम्पनी अधिनियम में निर्धारित है, एवं निगमों की संवैधानिक लेखापरीक्षा, जैसा उनसे सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित है, करने में असमर्थ रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा 24 क्रियाशील कम्पनियों/सांविधिक निगमों को लेखाओं के बकाया अवधि के दौरान बजटीय सहायता ₹ 57,780.21 करोड़ (इक्विटीः ₹ 19,605.36 करोड़, ऋणः ₹ 4,581.27 करोड़, पूंजीगत अनुदान ₹ 11,210.69 करोड़, अन्य अनुदानः ₹ 9,773.86 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 12,609.03 करोड़) तथा प्रतिभूति ₹ 42,527.09 करोड़ दिया गया, जिसका विवरण *ifjf'k"V* ***3.7*** में दर्शाया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2.44 करोड़ का ऋण दो अक्रियाशील कम्पनियों[27] को उपलब्ध कराया जिनके लेखे बकाये में थे। इस प्रकार इन पी.एस.यू. द्वारा वित्तीय सहायता के लिये की गयी मांग की वास्तविकता का निर्णय करने के लिये लेखाओं के अभाव में भी, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान/सब्सिडी के अंतः प्रवाह के रूप में बजटीय सहायता नियमित रूप से उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार को व्यय की उपयोगिता देखने की आवश्यकता है।

laLrqfr% वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू. के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने एवं उन सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता की समीक्षा करनी चाहिए जहां लेखे निरन्तर बकाया हैं।

3.14 ykHkka'k ?kksf"kr u fd;k tkuk

राज्य सरकार द्वारा एक लाभांश नीति प्रतिपादित (अक्टूबर 2002) की गयी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के योगदान का न्यूनतम पांच *प्रतिशत* लाभांश भुगतान करना आवश्यक था। तद्नुसार, 20 पी.एस.यू. द्वारा अपने अद्यतन् लेखे के आधार पर ₹ 548.92 करोड़ का लाभांश घोषित करना था (*ifjf'k"V* ***3.8***)। तथापि, मात्र 11 पी.एस.यू. ने ₹ 8.56 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष नौ लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू.[28] ने ₹ 540.36 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया, जो न्यूनतम लाभांश के भुगतान सम्बन्धी राज्य सरकार की नीति के विपरीत था।

laLrqfr% राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. द्वारा वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा किया जाय।

3.15 bfDoVh@_.kksa dk feyku u fd;k tkuk

निवेश प्राप्तकर्ता संगठन/राज्य पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी एवं लम्बित ऋण के आंकड़ें राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के संगत होना चाहिए।

---

[27] उत्तर प्रदे"ा राज्य टेक्सटाइल निगम लिमिटेड (ऋण : ₹ 1.13 करोड़; वर्ष 2016-17 तक के लेखाओं का अंतिमीकरण) तथा उत्तर प्रदे"ा राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (ऋण : ₹ 1.31 करोड़; वर्ष 2016-17 तक के लेखाओं का अंतिमीकरण)।

[28] उत्तर प्रदे"ा राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे"ा महिला कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे"ा बीज विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे"ा भूमि सुधार निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे"ा मत्सय विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे"ा निर्यात संवर्धन परिषद, आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड., लखनऊ मंडलीय विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे"ा बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।

31 मार्च 2018 तक, सरकार ने विभिन्न इकाइयों[29] में कुल ₹ 1,04,779 करोड़ का निवेश किया था। तथापि, निवेश प्राप्तकर्ता संगठनों की लेखाबही के अनुसार ₹ 1,15,216 करोड़ की धनराशि थी। आंकड़ों में ₹ 10,437 करोड़ की भिन्नता का मिलान आवश्यक था।

अग्रेतर, वित्त लेखे 2017-18 के अनुसार, कुल ऋण 29,720.31 करोड़ में से ऋण राशि ₹ 2,264.62 करोड़ का मिलान वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा शासकीय लेखा से नहीं किया गया था।

lLrfr% वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशों, ऋणों एवं गारन्टियों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं लेखे में भिन्नता के मिलान के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

3.16 y[kkvk e vikjnf'krk

अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को कम करता है।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में लेखे के विभिन्न राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800 परिचालित था। इस प्रकार व्यय पक्ष मे ₹ 27,162.32 करोड़ जो कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का लगभग 8.90 *प्रतिशत था,* विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

इसी प्रकार, लेखे के विभिन्न राजस्व मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 18,383.80 करोड़ (जो कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 6.59 *प्रतिशत*) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

ऐसे उदाहरण जहाँ अधिक भाग (सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 *प्रतिशत* या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण y[kkvk ij fVIi.kh ¼foRr y[kk&Hkkx&1½ के *ifjf'k"V [k* एवं *x* में दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के विगत प्रतिवेदनों में यह प्रकरण निरन्तर प्रतिवेदित किया जाता रहा है। वर्ष 2016-17 की तुलना में, वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्ति का लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत बहुप्रयोजन पुस्ताकंन 14.34 *प्रतिशत* से घटकर 6.59 *प्रतिशत* रह गया, जबकि कुल व्यय का लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में 11.53 *प्रतिशत* से घटकर 8.90 *प्रतिशत* रह गया। तथापि, तथ्य है कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्तियों एवं व्ययों को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत लेखांकन गंभीर चिन्ता का कारण है क्योंकि यह लेखे की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

---

[29] संवैधानिक निगमों (₹ 906 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 1,01,623 करोड़), सहकारिताएं (₹ 2,204 करोड़) एवं बैंक (₹ 58 करोड़)–₹ 12 करोड़ के निवेश के विवरण का मिलान प्रगति में था।

lLrfr% वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत दर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अधीन पुस्तांकित किया जाय।

3.17 jkT; dk iquxZBu ij vo'k"kk dk foHkktu

संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन 9 नवम्बर 2000 से प्रभावी होने के करीब दो दशक के पश्चात् भी उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा और अग्रिम (मुख्य शीर्ष 8336–सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 8550–सिविल अग्रिम तक) के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि ₹ 8,757.37 करोड़ विभाजन हेतु अवशेष था।

lLrfr% राज्य सरकार द्वारा जमा और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

¼lfjr tQk½
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 19 नवम्बर–2019

प्रतिहस्ताक्षरित

¼jktho egf"kZ½
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 21st November, 2019

परिशिष्टियाँ

ifjf'k"V 1.1
jkT; dk ifjn'
(संदर्भः राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)

v- lkekU; vk¡dM+s			
Ø0 l0	fooj.k		vk¡dM+s
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी0
2	जनसंख्या		
	अ. 2011 की जनगणना के अनुसार		19.98 करोड़
	ब. 2017		22.35 करोड़
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)		690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
	ब. जनसंख्या घनत्व[1] (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)		829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या[2] (बी0पी0एल0) (अखिल भारतीय औसत = 21.90 *प्रतिशत*)		29.40 *प्रतिशत*
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 *प्रतिशत*)		56.27 *प्रतिशत*
	ब. साक्षरता[3] (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 *प्रतिशत*) (2017)		67.70 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्युदर 2016[4] (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 34 प्रति 1000 जन्म पर)		43 प्रति 1000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा[5] 2011-15 (अखिल भारतीय औसत =68.3 वर्ष)		64.5 वर्ष
8	मानव विकास सूचकांक[6]		
	अ. 2007-08 (अखिल भारतीय मानव विकास सूचकांक 0.467)		0.38
	ब. रैंक		18
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर		₹ 13,75,607 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2008-09 से 2017-18)	उत्तर प्रदेश	11.5 *प्रतिशत*
		सामान्य श्रेणी राज्य	13.1 *प्रतिशत*
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद[7] मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2008-09 से 2017-18)	उत्तर प्रदेश	13.4 *प्रतिशत*
		सामान्य श्रेणी राज्य	14.5 *प्रतिशत*
12	जनसंख्या वृद्धि[8] (2008 से 2017)	उत्तर प्रदेश	16.2 *प्रतिशत*
		सामान्य श्रेणी राज्य	11.6 *प्रतिशत*

[1] अन्तिम जनसंख्या भारतीय सूचना 2011
[2] इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 160-161
[3] इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 155
[4] इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 151
[5] इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 151
[6] इकोनोमिक सर्वे 2017-18 (जनवरी 2018), भाग II, पृष्ठ अ 161
[7] 1 अगस्त 2017 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 28 जुलाई 2018 के विवरण में वर्ष के लिये कुछ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा के आंकड़े नहीं दिये गये है। अतः इन राज्यों के आंकड़े सम्बन्धित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार से प्राप्त किये गये है।
[8] भारत एवं राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2001-2016 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या कमीशन द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान के तकनीकी ग्रुप के प्रतिवेदन की सारणी 14 (1 अक्टूबर 2001-2016 को लिंग आधारित कुल जनसंख्या)।

c- foRrh; vkdMs						
Ø0 l0	fooj.k		vkdMs ¼izfr'kr esa½			
13	fefJr okf"kZd of) nj		2008-09 ls 2016-17		2016-17 ls 2017-18	
			lkekU; Js.kh jkT;	mRrj izns'k	lkekU; Js.kh jkT;	mRrj izns'k
	क.	राजस्व प्राप्तियाँ	15.1	16.1	11.3	8.5
	ख.	कर राजस्व	14.9	14.7	12.2	13.3
	ग.	करेतर राजस्व	9.5	19.9	5.9	-31.6
	घ.	कुल व्यय	15.8	15.4	4.7	-2.0
	ड.	पूंजीगत व्यय	14.0	15.3	1.0	-44.0
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	14.5	19.0	6.2	-11.6
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.2	16.8	10.7	15.0
	ज.	वेतन एवं मजदूरी	13.4	17.3	8.9	-0.4
	झ.	पेंशन	16.2	19.2	22.9	36.3

(स्रोतः वित्तीय आंकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित है)

ifjf'k"V 1.2

'kkldh; ys[k dk :i ,o lajpuk rFkk foRr ys[k dk i:i

(संदर्भः प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

Hkkx&v% 'kkldh; ys[k dk :i ,o lajpuk	
'kkldh; ys[k dh lajpuk: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे। **Hkkx-1 lefdr fuf/k%** राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है। **Hkkx-2 vkdfLedrk fuf/k%** संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधायिका की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है। **Hkkx-3 ykd ys[k%** प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, समेकित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।	
Hkkx&c% foRr ys[k dk i:i	
foRr ys[k nks Hkkxksa esa foHkkftr gSA Hkkx ,d ljdkj ds foRrh; fooj.k ds lkjka'khd`r #i esa vkj Hkkx nks esa foLr`r fooj.k izLrqr fd;k tkrk gSA Hkkx ,d esa Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd ds iz.k&i=] 13 lkjka'k fooj.k vkj ys[k dh ;kstuk ij fVIi.kh dks lfEefyr fd;k tkrk gS tSlk fd uhps fn;k x;k gSA	
fooj.k la0	i:i
[k.M&**I**	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण, अनुलग्नक–अ, रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश सहित
3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार के निवेशों का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण
10	सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश
[k.M&**II**	

Hkkx&I	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन–देनों का विस्तृत विवरण
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण
Hkkx&II ¼ifjf'k"V½	
परिशिष्ट–I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट–IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट–V	योजनाओं पर व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं) ब. राज्य योजनाएं
परिशिष्ट–VI	राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट–VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट–VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट–IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट–X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट–XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं
परिशिष्ट–XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएं
परिशिष्ट–XIII	मदें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्तिम रुप से नहीं हुआ है

ifjf'k"V 1.3
o"kZ 2017-18 ds fy, çkfIr;ksa ,oa lforj.kksa dk lkj
(संदर्भः प्रस्तर 1.2; पृष्ठ 2)

(₹ djksM+ esa)

	çkfIr;k			lforj.k			
2016-17			**2017-18**	**2016-17**			**2017-18**
			Hkkx ^v^				
2,56,875.15	**I**	jktLo izkfIr;k	**2,78,775.45**	**2,36,592.26**	**I**	jktLo O;;	**2,66,223.52**
85,965.92		-कर राजस्व	97,393.00	**88,254.81**		lkekU; lsok,a	**1,05,781.67**
				91,861.12		lkekftd lsok,a	**84,251.68**
28,944.07		-करेतर राजस्व	19,794.86	52,219.91		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	46,140.89
				12,861.53		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14,792.46
1,09,428.29		-संघीय करों में राज्यांश	1,20,939.14	4,535.76		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	6,504.18
				612.93		-सूचना एवं प्रसारण	338.93
9,334.95		-आयोजनेत्तर अनुदान	00	4,171.04		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,686.84
232.32		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	00	635.91		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	880.39
				16,729.29		-समाज कल्याण तथा पोषण	10,803.71
22,969.60		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	00	94.75		अन्य	104.28
00		-वाह्य अनुदान सहायता	00	**45,834.17**		vkfFkZd lsok,a	**64,634.76**
00		-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	27,730.91	5,599.28		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	27,265.39
				13,848.25		-ग्राम्य विकास	17,086.30
00		-वित्त आयोग अनुदान	8,849.23	11.98		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	72.61
				5,466.12		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,980.61
				14,539.74		-ऊर्जा	7,161.54
				672.51		-उद्योग एवं खनिज	1,308.40
				4,825.92		-परिवहन	4,125.24
00		-अन्य अन्तरण/राज्य को अनुदान	4,068.31	62.65		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	56.17
				807.70		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	578.50
				10,642.16		lgk;rk vuqnku ,oa va'knku	**11555.41**
2,56,875.15		;ksx	**2,78,775.45**	**2,36,592.26**		;ksx	**2,66,223.52**
'kwU;	**II**	jktLo ?kkVk Hkkx ^c* dks vxzsf"kr	'kwU;	**20282.89**	**II**	jktLo cpr Hkkx ^c* dks vxzsf"kr	**12,551.93**

	çkfIr;k			lforj.k			
2016-17			**2017-18**	**2016-17**			**2017-18**
2,56,875.15		;kx	**2,78,775.45**	**2,56,875.15**		;kx	**2,78,775.45**
			Hkkx ^c*				
(-)157.08	**III**	çkjfEHkd jkdM 'k"k] LFkkbZ vfxze ,oa jkdM 'k"k fuos'k lfgr	**943.91**	**-**	**III**	Hkkjrh; fjtoZ cSd ls çkjfEHkd vkojMk¶V	**-**
-	**IV**	fofo/k iwathxr çkfIr;k	**-**	**69,789.12**	**IV**	iwathxr ifj0;;	**39,087.97**
				5,727.30		lkekU; lsok,a	**2,775.78**
				17,150.47		lkekftd lsok,a	**11,625.13**
				2,018.30		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	938.27
				2,922.30		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,111.98
				10,657.60		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,576.16
				85.31		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	275.53
				1,109.70		-समाज कल्याण तथा पोषण	421.05
				357.25		-अन्य	302.14
				46,911.35		vkfFkZd lsok,a	**24,687.06**
				3,921.13		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	1,614.43
				2,249.22		-ग्राम्य विकास	2,313.12
				698.02		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	591.16
				5,200.76		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,107.33
				11,735.08		-ऊर्जा	8,312.88
				152.03		-उद्योग एवं खनिज	69.39
				22,653.07		-परिवहन	8,324.75
				297.60		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	354.00
				4.42		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	00
258.79	**V**	_.kksa ,oa vfxzeksa dh olwyh	**235.77**	**6,741.09**	**V**	lforfjr _.k rFkk vfxze	**1,509.29**
		विद्युत परियोजनाओं से	00	3,700.32		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	00
		स्रकारी कर्मचारियों से	101.81	91.54		-सरकारी कर्मचारियों को	88.42
		अन्य से	133.96	2,949.24		-अन्य को	1,420.87
20,282.89	**VI**	v/kkuhr jktLo vf/k'ks"k	**12,551.93**	**-**	**VI**	v/kkuhr jktLo ?kkVk	**-**
67,685.07	**VII**	ykd _.k çkfIr;k	**47,416.56**	**20,302.67**	**VII**	ykd _.k dk iquHkZxrku	**15,002.10**

	çkfIr;k			lforj.k			
2016-17			**2017-18**	**2016-17**			**2017-18**
57,958.94		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	43,380.45	10,167.95		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	10,528.18
8,695.05		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन	2,932.95	8,695.05		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	2,932.95
-		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-	-		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-
1,031.08		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1,103.16	1,439.67		-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,540.97
-	**VIII**	vkdfLedrk fuf/k ls fofu;kx	-	-	**VIII**	vkdfLedrk fuf/k dk fofu;kx	-
173.12	**IX**	vkdfLedrk fuf/k dk LFkkukUrfjr /kujkf'k	**258.04**	**349.16**	**IX**	vkdfLedrk fuf/k ls 0;;	**413.00**
3,06,406.38	**X**	ykd ys[k çkfIr;k	**3,20,471.07**	**2,96,523.22**	**X**	ykd ys[k lforj.k	**3,14,383.77**
10,171.49		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	11,718.07	8,552.40		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	9,187.94
20,005.79		-आरक्षित निधियां	15,267.53	12,780.77		-आरक्षित निधियां	7,002.81
15,762.62		-उचन्त एवं विविध	2,48,680.18	16,063.24		-उचन्त एवं विविध	2,50,894.80
2,27,377.96		-प्रेषण	28,928.93	2,26,786.07		-प्रेषण	32,835.24
33,088.52		-जमा तथा अग्रिम	15,876.36	32,340.74		-जमा तथा अग्रिम	14,462.98
-	**XI**	Hkkjrh; fjtoZ cSad ls vkojMk¶V dk vfre vo'k"k	-	**943.91**	**XI**	vfre jkdM 'k"k	**11,481.15**
				00		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00
				(-)1,280.65		भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	265.21
				11.13		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	11.36
				2,168.23		-रोकड़ शेष निवेश लेखा	11,159.38
				45.20		Mfnn"V fuf/k;k e fuos'k	**45.20**
6,51,524.32		;kx	**6,60,652.73**	**6,51,524.32**		;kx	**6,60,652.73**

ifjf'k"V 1.4
Ok"k 2017-18 d fy, ctV vuqeku] okLrfod ikfIr;k ,o O;;
(संदर्भः प्रस्तर 1.3.3; पृष्ठ 7)

(₹ djkM+ e)

fooj.k	ctV vuqeku	okLrfod O;;	of) (+)/ deh (-)	of) (+)/ deh (-) izfr'kr e
1	2	3	4 (3-2)	5
jktLo ikfIr;k ftlde	**3,19,397.43**	**2,78,775.45**	(-)**40,621.98**	(-)**12.72**
dj jktLo	**1,11,501.90**	**97,393.00**	(-)**14,108.90**	(-)**12.65**
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	28,602.70	25,373.96	(-)3,228.74	(-)11.29
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	36,397.30	31,112.52	(-)5,284.78	(-)14.52
राज्य आबकारी	20,593.23	17,320.27	(-)3,272.96	(-)15.89
वाहनों पर कर	5,481.20	6,403.65	922.45	16.83
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	17,458.34	13,397.57	(-)4,060.77	(-)23.26
सामान एवं यात्रियों पर कर	00	0.04	0.04	00
भू–राजस्व	706.04	1,336.46	630.42	89.29
अन्य कर	2,263.09	2,448.53	185.44	8.19
djrj jktLo	**18,436.71**	**19,794.86**	**1,358.15**	**7.37**
ब्याज प्राप्तियाँ	800.00	1,093.38	293.38	36.67
विविध सामान्य सेवाएँ	4,502.00	4,841.11	339.11	7.53
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3,200.00	3,258.88	58.88	1.84
अन्य करेतर राजस्व	17,628.71	10,601.49	(-)7,027.22	(-)39.86
dUnh; djk ,o 'kYdk dk va'k	**1,21,406.51**	**1,20,939.14**	(-)**467.37**	(-)**0.38**
Hkkjr ljdkj l lgk;rk vuqnku	**68,052.31**	**40,648.45**	(-)**27,403.86**	(-)**40.27**
jktLo O;; ftlde	**3,07,118.63**	**2,66,223.52**	(-)**40,895.11**	(-)**13.32**
lkekU; lok,j	**1,11,039.05**	**1,05,781.67**	(-)**5,257.38**	(-)**4.73**
प्रशासनिक सेवाएँ	21,827.57	19,338.33	(-)2,489.24	(-)11.40
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	35,936.12	38,518.36	2,582.24	7.19
ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा	45,444.39	41,368.06	(-)4,076.33	(-)8.97
राजकोषीय सेवाएँ	4,581.43	4,009.56	(-)571.87	(-)12.48
राज्य के अंग	3,249.52	2,547.37	(-)702.15	(-)21.61
lkekftd lok,j	**1,01,406.86**	**84,251.68**	(-)**17,155.18**	(-)**16.93**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	50,490.46	46,140.89	(-)4,349.57	(-)8.61
समाज कल्याण एवं पोषण	15,507.96	10,803.71	(-)4,704.25	(-)30.33
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	4,910.93	4,686.84	(-)224.09	(-)4.56
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16,316.55	14,792.45	(-)1,524.10	(-)9.34
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	12,460.52	6,504.18	(-)5,956.34	(-)47.80
सूचना एवं प्रसार	355.91	338.93	(-)16.98	(-)4.77
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,227.72	880.39	(-)347.33	(-)28.29
अन्य	136.80	104.28	(-)32.52	(-)23.77

fooj.k	ctV vuqeku	okLrfod 0;;	of)(+)/ deh(-)	of)(+)/ deh(-) izfr'kr esa
vkfFkZd lsok,a	**83,094.58**	**64,634.76**	(-)**18,459.82**	(-)**22.22**
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	43,695.41	27,265.39	(-)16,430.02	(-)37.60
ग्राम्य विकास	17,279.93	17,086.30	(-)193.63	(-)1.12
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	265.81	72.61	(-)193.20	(-)72.68
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7,898.77	6,980.61	(-)918.16	(-)11.62
ऊर्जा	7,060.80	7,161.54	100.74	1.53
उद्योग एवं खनिज	1,775.60	1,308.40	(-)467.20	(-)26.31
परिवहन	4,002.54	4,125.24	122.70	3.07
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	70.61	56.17	(-)14.44	(-)20.45
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,045.11	578.50	(-)466.61	(-)44.65
lgk;rk vuqnku ,oa va'knku	**11,578.15**	**11,555.41**	(-)**22.74**	(-)**0.20**
iwathxr 0;; ftles	**53,257.60**	**39,087.97**	(-)**14,169.63**	(-)**26.61**
lkekU; lsok,a	**3,601.05**	**2,775.78**	(-)**825.27**	(-)**22.92**
lkekftd lsok,a	**15,111.06**	**11,625.13**	(-)**3,485.93**	(-)**23.07**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,721.94	938.27	(-)783.67	(-)45.51
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,333.08	2,111.98	(-)221.10	(-)9.48
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	9,789.21	7,576.16	(-)2,213.05	(-)22.61
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	227.93	275.53	47.60	20.88
समाज कल्याण एवं पोषण	689.32	421.05	(-)268.27	(-)38.92
अन्य सामाजिक सेवाएं	349.58	302.14	(-)47.44	(-)13.57
vkfFkZd lsok,a	**34,545.49**	**24,687.06**	(-)**9,858.43**	(-)**28.54**
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	722.38	1,614.43	892.05	123.49
ग्राम्य विकास	3,377.60	2,313.12	(-)1,064.48	(-)31.52
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	977.85	591.16	(-)386.69	(-)39.54
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,093.24	3,107.33	(-)985.91	(-)24.09
ऊर्जा	7,383.51	8,312.88	929.37	12.59
उद्योग एवं खनिज	106.02	69.39	(-)36.63	(-)34.55
परिवहन	15,453.89	8,324.75	(-)7,129.14	(-)46.13
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	00	00	00	00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,431.00	354.00	(-)2,077.00	(-)85.44
jktLo vkf/kD; ¼$½@?kkVk ¼&½	**(+)12,278.80**	**(+)12,551.93**	**273.13**	**2.22**
jktdks"kh; ?kkVk ¼&½	**(-)42,967.86**	**(-)27,809.56**	**(-)15,158.30**	**(-)35.28**
izkFkfed vkf/kD; ¼$½@?kkVk ¼&½	**(-)9,755.69**	**(+)1,326.27**	**(-)8,429.42**	**(-)86.41**

ifjf'k"V 1.5

jkT; ljdkj ds foRr ds le;c) vkadM+s

(संदर्भ: प्रस्तर 1.4.1; पृष्ठ 10)

(₹ djksM+ esa)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Hkkx v- çkfIr;k¡					
1. jktLo çkfIr;k¡	**1,68,214**	**1,93,422**	**2,27,076**	**2,56,875**	**2,78,775**
(i) Lo;a dk dj jktLo	66,582(40)	74,172(38)	81,106(36)	85,966(33)	97,393(35)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	-	25,374(26)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	39,645(60)	42,934(58)	47,692(59)	51,883(60)	31,113(32)
राज्य आबकारी	11,644(18)	13,483(18)	14,084(17)	14,274(17)	17,320(18)
वाहनों पर कर	3,441(5)	3,797(5)	4,410(5)	5,148(6)	6,404(7)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	9,521(14)	11,803(16)	12,404(15)	11,564(13)	13,398(14)
भू–राजस्व	772(1)	527(1)	505(1)	760(1)	1,336(1)
सामान तथा यात्रियों पर कर	1(0)	1(0)	1(0)	0	0
अन्य कर	1,558(2)	1,627(2)	2,010(3)	2,337(3)	2,448(2)
(ii) djsrj jktLo	16,450(10)	19,935(10)	23,135(10)	28,944(11)	19,795(7)
(iii) la?kh; djksa ,oa 'kqYdksa esa jkT;ka'k	62,777(37)	66,623(35)	90,974(40)	1,09,428(43)	1,20,939(43)
(iv) Hkkjr ljdkj ls lgk;rk vuqnku	22,405(13)	32,692(17)	31,861(14)	32,537(13)	40,648(15)
2. fofo/k iwathxr çkfIr;k¡	-	-	-	-	-
3. _.kksa ,oa vfxzeksa dh olwyh	**589**	**262**	**726**	**259**	**236**
4. dqy jktLo ,oa xSj _.k iwathxr çkfIr;k¡ ¼1$2$3½	**1,68,803**	**1,93,684**	**2,27,802**	**2,57,134**	**2,79,011**
5. yksd _.k çkfIr;k¡	**14,900**	**35,520**	**74,514**	**67,685**	**47,417**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	14,502(97)	33,302(94)	69,421(93)	57,959(86)	43,381(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन–देन	8(0)	1,732(5)	4,499(6)	8,695(13)	2,933(6)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	390(3)	486(1)	594(1)	1,031(1)	1,103(2)
6. lesfdr fuf/k esa dqy çkfIr;k¡ ¼4$5½	**1,83,703**	**2,29,204**	**3,02,316**	**3,24,819**	**3,26,428**
7. vkdfLedrk fuf/k çkfIr;k¡	**262**	**1**	**201**	**173**	**258**
8. yksd ys[kk çkfIr;k¡	**2,26,078**	**2,30,199**	**2,65,972**	**3,06,406**	**3,20,471**
9. jkT; dh dqy çkfIr;k¡ ¼6$7$8½	**4,10,043**	**4,59,404**	**5,68,489**	**6,31,398**	**6,47,157**
Hkkx c- O;;@laforj.k					
10. jktLo O;;	**1,58,147(82)**	**1,71,027(76)**	**2,12,736(74)**	**2,36,592(76)**	**2,66,224(87)**
आयोजनागत	31,657(20)	33,262(19)	43,251(20)	49,706(21)	
आयोजनेत्तर	1,26,490(80)	1,37,765(81)	1,69,485(80)	1,86,886(79)	
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	61,983(39)	64,305(38)	72,228(34)	88,255(37)	1,05,782(40)
सामाजिक सेवाएं	60,756(39)	60,906(36)	82,487(39)	91,861(39)	84,252(32)
आर्थिक सेवाएं	25,711(16)	34,885(20)	47,881(22)	45,834(19)	64,635(24)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	9,696(6)	10,931(6)	10,140(5)	10,642(5)	11,555(4)
11. पूंजीगत व्यय	**32,863(17)**	**53,297(23)**	**64,423(23)**	**69,789(22)**	**39,088(13)**
आयोजनागत	30,608(93)	44,416(83)	49,045(76)	60,573(87)	
आयोजनेत्तर	2,255(7)	8,881(17)	15,378(24)	9,216(13)	

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सामान्य सेवाएं	3,463(10)	4,009(7)	5,259(8)	5,727(8)	2,776(7)
सामाजिक सेवाएं	6,760(21)	12,755(24)	11,707(18)	17,151(25)	11,625(30)
आर्थिक सेवाएं	22,640(69)	36,534(69)	47,457(74)	46,911(67)	24,687(63)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**1,473(1)**	**1,873**(1)	**9,118(3)**	**6,741(2)**	**1,509(0)**
13. कुल व्यय **(10+11+12)**	**1,92,483**	**2,26,197**	**2,86,277**	**3,13,122**	**3,06,821**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**8,167**	**9,411**	**17,673**	**20,303**	**15,002**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,694(82)	8,051(86)	10,045(57)	10,168(50)	10,528(70)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन	8(0)	-	6,231(35)	8,695(43)	2,933(20)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,465(18)	1,360(14)	1,397(8)	1,440(7)	1,541(10)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-
16. lefdr fuf/k ls dqy lforj.k ¼dqy 0;;½ **(13+14+15)**	**2,00,650**	**2,35,608**	**3,03,950**	**3,33,425**	**3,21,823**
17. vkdfLedrk fuf/k lforj.k	**87**	**203**	**44**	**349**	**413**
18. ykd ys[k lforj.k	**2,20,459**	**2,28,014**	**2,64,294**	**2,96,523**	**3,14,384**
19. jkT; }kjk dqy lforj.k **(16+17+18)**	**4,21,196**	**4,63,825**	**5,68,288**	**6,30,297**	**6,36,620**
Hkkx l- ?kkVk					
20. jktLo ?kkVk ¼&½@jktLo vkf/kD; ¼$½ **(1-10)**	**(+)10,067**	**(+) 22,394**	**(+) 14,340**	**(+)20,283**	**(+)12,552**[9]
21. jktdks"kh; ?kkVk ¼&½@jktdks"kh; vkf/kD; ¼$½ **(4-13)**	**(-)23,680**	**(-) 32,513**	**(-) 58,475**	**(-)55,988**	**(-)27,810**
22. izkFkfed ?kkVk **(21+23)**	**(-)6,268**	**(-) 13,648**	**(-) 37,027**	**(-)29,052**	**(+)1,326**
Hkkx n- vU; vkdM+s					
23. C;kt Hkqxrku ¼jktLo 0;; esa lfEefyr½	**17,412**	**18,865**	**21,448**	**26,936**	**29,136**
24. LFkkuh; fudk;ksa dks foÙkh; lgk;rk] bR;kfn	**45,576**	**52,241**	**77,069**	**82,378**	**92,221**
25. vFkksik; vfxze ,oa vksojMªkQV dk ykHk ¼fnuksa esa½	**-**	**-**	**14**	**-**	**5**
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	-	14	-	5
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. vFkksik; vfxze@vksojMªkQV ij C;kt	-	-	-	-	-
27 orZeku ewY; ij ldy jkT; ?kjsyw mRikn ¼th-,l-Mh-ih-)	**9,40,356**	**10,11,790**	**11,37,210**	**12,50,213**	**13,75,607**
28 cdk;k jktdks"kh; nkf;Ro ¼o"kkZUr½	**2,81,709**	**3,07,859**	**3,67,252**	**4,23,224**	**4,67,842**
29. cdk;k izR;kHkwfr;ka ¼o"kkZUr½ C;kt lfgr	**62,822**	**70,740**	**57,618**	**55,825**	**74,841**
30. vf/kdre izR;kHkwr /kujkf'k;ka ¼o"kkZUr½	**69,752**	**78,023**	**78,826**	**66,702**	**74,303**
31. viw.kZ ifj;kstukvksa dh la[;k	**412**	**545**	**924**	**611**	**1,065**
32. viw.kZ ifj;kstukvksa esa vo#) iwath	**3,032**	**7,714**	**14,407**	**12,987**	**11,195**

[9] राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,78,775.45 करोड़ – राजस्व व्यय ₹ 2,66,223.52 करोड़= ₹ 12,551.93 करोड़।

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Hkkx ;- jktdk"kh; fLFkfr d ldrd					
I llk/kuk dk lxg.k					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.08	7.33	7.13	6.88	7.08
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.75	1.97	2.03	2.32	1.44
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.68	6.58	8.00	8.75	8.79
II 0;; çcU/ku					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.47	22.36	25.17	25.05	22.30
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	114.43	116.94	126.07	121.90	110.06
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.16	75.61	74.31	75.56	86.77
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	35	33	33	35	31
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	25	32	33	30	29
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	17	24	23	22	13
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	15	22	21	20	12
III jktdk"kh; vlUryu dk çcU/ku					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+)1.07	(+)2.21	(+)1.26	(+)1.62	(+)0.91
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)2.52	(-)3.21	(-)5.14	(-)4.48	(-)2.02
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)0.67	(-)1.35	(-)3.26	(-)2.32	(+)0.10
IV jktdk"kh; n;rkvk dk çcU/ku					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	30	30	32	34	34
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	167	159	162	165	168
V vU; jktdk"kh; fLFkfr d ldrd					
निवेश पर प्रतिफल	5.23	8.08	42.66	86.34	30.84
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.89	0.97	1.02	1.06	1.08

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से *प्रतिशत* (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

ifjf'k"V 1.6

o"k 2013-18 dh vof/k e Lo; dk dj@djrj jktLo dk lxg

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.4.1.1; पृष्ठ 11)

¼v½ o"k 2013-18 dh vof/k e Lo; dk dj jktLo

(₹ djkM+ e)

'kh"k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					ctV vuqeku	okLrfod 0;;
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	28,603	25,374
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	39,645	42,934	47,692	51,883	36,397	31,113
राज्य आबकारी	11,644	13,483	14,084	14,274	20,593	17,320
वाहनों पर कर	3,441	3,797	4,410	5,148	5,481	6,404
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	9,521	11,803	12,404	11,564	17,458	13,398
भू–राजस्व	772	527	505	760	706	1,336
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,048	1,085	1,338	1,556	**1,500**	**2,124**
अन्य कर	511	543	673	781	**764**	**325**
;kx ¼v½	**66,582**	**74,172**	**81,106**	**85,966**	**1,11,502**	**97,393**

¼c½ o"k 2013-18 dh vof/k e Lo; dk djrj jktLo

(₹ djkM+ e)

'kh"k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					ctV vuqeku	okLrfod 0;;
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1,624	2,310	676	1,251	808	1,124
सामान्य सेवायें	3,907	7,122	6,114	5,994	5,500	6,806
सामाजिक सेवायें	7,159	6,514	11,264	14,653	1,039	1,571
आर्थिक सेवायें	3,760	3,988	5,081	7,046	11,089	10,294
;kx ¼c½	**16,450**	**19,935**	**23,135**	**28,944**	**18,436**	**19,795**
egk;kx ¼v$c½	**83,032**	**94,107**	**1,04,241**	**1,14,910**	**1,29,938**	**1,17,188**

ifjf'k"V 1.7
31 ekpZ 2018 dks ljdkj dh foRRkh; fLFkfr dk laf{kIr lkj
(संदर्भः प्रस्तर 1.9.1; पृष्ठ 29)

(₹ djksM+ esa)

31.03.2017 dks			31.03.2018 dks
2,88,626.78	vkUrfjd _.k		**3,21,479.05**
1,64,872.76	ब्याज सहित बाजार ऋण	2,02,050.31	
2.63	ब्याज रहित बाजार ऋण	3.08	
2.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.61	
1,23,749.09	अन्य संस्थानों से ऋण	1,19,424.05	
00	अर्थोपाय अग्रिम	00	
00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	00	
13,249.62	dUæ ljdkj ls _.k ,oa vfxze		**12,811.82**
9.94	1984-85 से पहले का ऋण	9.94	
65.52	आयोजनेतर ऋण	0.27	
13,162.54	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	12,789.99	
00	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	00	
10.19	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	10.19	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	vkdfLedrk fuf/k ¼dkiZl½		**600.00**
48,237.64	vYi cpr] Hkfo"; fuf/k;ka vkfn		**50,767.76**
22,094.39	fu{ksi		**23,503.49**
51,015.35	vkjf{kr fuf/k;k¡		**59,280.07**
3,480.54	çs"k.k 'ks"k		**00**
23,891.38	ljdkjh y[kks esa vkf/kD;		**36,443.29**
3,608.49	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	23,891.36	
20,282.89	(ii) tksM+: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	12,551.93	
4,51,195.70	;ksx		**5,04,885.48**
	ifjlEifÙk;k¡		
4,20,315.71	vpy lEifÙk;ksa ij ldy iwathxr ifj0;;		**4,59,403.68**
96,400.05	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1,04,778.71	
3,23,915.66	अन्य पूंजीगत परिव्यय	3,54,624.97	
308.12	vkdfLedrk fuf/k ¼vlek;ksftr½		**463.08**
28,446.79	_.k ,oa vfxze		**29,720.31**
11,713.87	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	11,713.87	
16,518.22	अन्य विकास ऋण	17,805.12	
214.70	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	201.32	
45.20	vkjf{kr fuf/k;ksa esa fuos'k		**45.20**

31.03.2017 dk			**31.03.2018** dk
91.58	vfxe		**87.29**
1,089.59	mpUr ,o fofo/k 'k"k		**3,304.21**
00	i:"k.k		**425.76**
898.71	jkdM+		**11,435.95**
00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	
(-)1,280.65	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	265.21	
10.69	विभागीय रोकड़ शेष	10.87	
0.44	स्थाई अग्रिम	0.49	
2,168.23	रोकड़ शेष निवेश	11,159.38	
4,51,195.70	;kx		**5,04,885.48**

lkfjf'k"V **1.3** ,o **1.7** d fy, 0;k[;kRed fVIif.k;k

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि *ifjf'k"V* **1.7** में प्रदर्शित है, नकदी आधार पर प्रदर्शित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 139.66 करोड़ (निवल डेबिट) का अन्तर था।

ifjf'k"V 1.8

vkjf{kr fuf/k;ksa dk fooj.k

(संदर्भ : प्रस्तर 1.9.2; पृष्ठ 29)

(₹ yk[k esa)

fooj.k	ikjfEHkd 'ks"k	ikfIr	lforj.k	vfUre 'ks"k
2015-16				
vkjf{kr fuf/k;k¡				
C;kt lfgr vkjf{kr fuf/k;k¡				
8115- eY;àkl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
103- मूल्यह्रास/आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	00	00	00	00
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
8121- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;k¡	**00**	**00**	**00**	**00**
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	00	00	(-) 6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19	00	00	6.19
;ksx	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
C;kt jfgr vkjf{kr fuf/k;k¡				
8222- flafdax QaM	**40,76,490.33**	**6,96,678.20**	**4,69,904.00**	**43,03,264.53**
01-–ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	40,76,490.33	6,96,678.20	4,69,904.00	43,03,264.53
8223- vdky jkgr fuf/k	**(-) 78.01**	**00**	**00**	**(-) 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	00	00	(-) 78.01
8225- lM+d ,oa lsrq fuf/k	**(-) 32,173.73**	**2,50,000.00**	**2,49,972.76**	**(-) 32,146.49**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,173.73	2,50,000.00	2,49,972.76	(-) 32,146.49
8226- eY;àkl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**4,029.97**	**2,000.00**	**6,829.00**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	4,029.97	2,000.00	6,829.00	(-) 799.03
8229- fodkl ,oa dY;k.k fuf/k	**43,992.77**	**2,00,003.47**	**1,76,389.06**	**67,607.18**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	1,84,790.17	(-) 2,00,557.11	(-) 20,102.35	4,335.41
102- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	1,088.84	00
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	560.58	00	1,560.58
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	1,800.00	1,222.38
109- सहकारी विकास निधि	4.78	00	4.77	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	(-) 1,45,913.40	4,00,000.00	1,93,597.80	60,488.80
8235- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;k¡	**30,639.97**	**4,11,206.30**	**4,00,740.29**	**41,105.98**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	349.50	292.41	(-)735.56	1,377.47
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	707.78	0.00
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	00	27.78	00
107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि	00	0.52	00	0.52
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,556.57	4,06,725.51	3,99,841.60	26,440.48
200- अन्य निधियां	9,964.55	4,187.86	898.69	13,253.72
;ksx	**41,22,901.30**	**15,59,887.97**	**13,03,835.11**	**43,78,954.16**
egk;ksx	**41,18,459.73**	**15,59,887.97**	**13,03,835.11**	**43,74,512.59**

fooj.k	ikjfEHkd 'k"k	ikfIr	lforj.k	vfUre 'k"k
2016-17				
vkjf{kr fuf/k;k				
C;kt lfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8115- eY;àkl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
8121- lkekU; ,o vU; vkjf{kr fuf/k;k	**00**	**00**	**00**	**00**
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	6.19	00	00	6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	(-) 6.19	00	00	(-) 6.19
;kx	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
C;kt jfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8222- flfdx Q.M	**43,03,264.53**	**10,77,235.00**	**4,14,560.80**	**49,65,938.73**
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	43,03,264.53	**10,77,235.00**	**4,14,560.80**	**49,65,938.73**
8223- vdky jkgr fuf/k	**(-) 78.01**	**0**	**00**	**(-) 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	0	00	(-) 78.01
8225- lM+d ,o lsrq fuf/k	**(-) 32,146.49**	**4,40,000.00**	**4,40,000.00**	**(-) 32,146.49**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	4,40,000.00	4,40,000.00	(-) 32,146.49
8226- eY;àkl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**(-) 799.03**	**00**	**00**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(-) 799.03	00	00	(-) 799.03
8229- fodkl ,o dY;k.k fuf/k	**67,607.18**	**2,50,000.00**	**2,28,775.63**	**88,831.55**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	00	00	**4,335.41**
105- चीनी विकास निधि	1,560.58	00	00	1,560.58
106- औद्योगिक विकास निधि	1,222.38	00	00	1,222.38
109- सहकारी विकास निधि	0.01	00	00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	60,488.80	2,50,000.00	2,28,775.63	81,713.17
8235- lkekU; ,o vU; vkjf{kr fuf/k;k	**41,105.98**	**2,33,344.64**	**1,94,740.64**	**79,709.98**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	1,377.47	50,89.33	00	6,466.80
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	0.03	00	33.82
107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि	0.52	(-)0.52	00	00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	26,440.48	2,28,255.80	1,93,483.67	61,212.61
200- अन्य निधियां	13,253.72	00	1,256.97	11,996.75
;kx	**43,78,954.16**	**20,00,579.64**	**12,78,077.07**	**51,01,456.73**
egk;kx	**43,74,512.59**	**20,00,579.64**	**12,78,077.07**	**50,97,015.16**
2017-18				
vkjf{kr fuf/k;k				
C;kt lfgr vkjf{kr fuf/k;k				
8115- eY;àkl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**
103- मूल्यह्रास/आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	00	00	00	00
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	00	00	(-) 4,441.57
8121- lkekU; ,o vU; vkjf{kr fuf/k;k	**00**	**00**	**00**	**00**
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	00	(-) 6.19	00
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19	00	6.19	00
;kx	**(-) 4,441.57**	**00**	**00**	**(-) 4,441.57**

fooj.k	iakjfEHkd 'ks"k	ikfIr	laforj.k	vfUre 'ks"k
C;kt jfgr vkjf{kr fuf/k;ka				
8222- flafdax Q.M	**49,65,938.73**	**12,23,222.60**	**4,42,200.00**	**57,46,961.33**
01-–ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	**49,65,938.73**	**12,23,222.60**	**4,42,200.00**	**57,46,961.33**
8223- vdky jkgr fuf/k	**(-) 78.01**	**00**	**00**	**(-) 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	00	00	(-) 78.01
8225- lM+d ,oa lsrq fuf/k	**(-) 32,146.49**	2,00,000.00	2,00,000.00	**(-) 32,146.49**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	2,00,000.00	2,00,000.00	(-) 32,146.49
8226- eY;àkl@uohdj.k vkjf{kr fuf/k	**(-) 799.03**	**00**	**00**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(-) 799.03	00	00	(-) 799.03
8229- fodkl ,oa dY;k.k fuf/k	**88,831.55**	**21,844.32**	**14,395.46**	**96,280.41**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	**4,335.41**	00	00	**4,335.41**
105- चीनी विकास निधि	1,560.58	(-)1,000.00	560.58	00
106- औद्योगिक विकास निधि	1,222.38	(-)47.63	00	1,174.75
109- सहकारी विकास निधि	0.01	00	00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	81,713.17	22,891.95	13,834.88	90,770.24
8235- lkekU; ,oa vU; vkjf{kr fuf/k;ka	**79,709.98**	**81,686.03**	**43,685.91**	**1,17,710.10**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	6,466.80	(-)4,285.27	00	2,181.53
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.82	(-)33.82	00	00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	61,212.61	81,063.27	41,280.89	1,00,994.99
200- अन्य निधियां	11,996.75	4,941.85	2,405.02	14,533.58
;ksx	**51,01,456.73**	**15,26,752.95**	**7,00,281.37**	**59,27,928.31**
egk;ksx	**50,97,015.16**	**15,26,752.95**	**7,00,281.37**	**59,23,486.74**

ifjf'k"V 2.1

vf/kd 0;; dk fofu;ferhdj.k dh vko';drk

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.1 पृष्ठ 38)

¼v½ o"kZ 2017-18 esa 0;;kf/kD; dk fofu;ferhdj.k dh vko';drk

(₹ yk[k esa)

Ø0 l0	vuqnku@fofu;ksx dh l[;k ,oa uke	dqy vuqnku@ fofu;ksx	0;;	0;;kf/kD;	o"kZ ds nkSjku fuf/k;ksa dk lek;kstu	0;;kf/kD; dk fofu;ferhdj.k dh vko';drk
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
			jktLo&दत्तमत			
1.	62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	36,63,572.63	37,94,682.23	1,31,109.60	00	1,31,109.60
	;ksx	**36,63,572.63**	**37,94,682.23**	**1,31,109.60**	**00**	**1,31,109.60**
			jktLo &Hkkfjr			
2.	91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	0.03	0.33	0.30	00	0.30
	;ksx	**0.03**	**0.33**	**0.30**	**00**	**0.30**
			iwathxr&दत्तमत			
3.	55–लोक निर्माण विभाग (भवन)	4,281.07	7,183.16	2,902.09	391.04	2,511.05
	;ksx	**4,281.07**	**7,183.16**	**2,902.09**	**391.04**	**2,511.05**
			iwathxr&Hkkfjr			
4.	58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	500.00	595.76	95.76	00	95.76
	;ksx	**500.00**	**595.76**	**95.76**	**00**	**95.76**
	egk;ksx	**36,68,353.73**	**38,02,461.48**	**1,34,107.75**	**391.04**	**1,33,716.71**

(स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2017-18)

¼c½ foxr o"kksZ dk 0;;kf/kD; dk fofu;fefrdj.k dh vko';drk

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	o"kZ	vuqnku@fofu;ksx dh la[;k	vuqnku@fofu;ksx dk fooj.k	vkf/kD; /kujkfभा
1.	2005-06	23–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 8,12,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत -15,16,18,23, 33, 34,37,38,40, 55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित -1,52; पूंजीगत भारित -52,55;	869.05
2.	2006-07	18–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत–9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत–3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित–2,3,10,52,62,89;	2,484.47
3.	2007-08	12–अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत–51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत–13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित–51,66	3,610.65
4.	2008-09	5–अनुदान 1– विनियोग	राजस्व दत्तमत–62,96; पूंजीगत दत्तमत–55,58,96; राजस्व भारित–52;	3,399.42
5.	2009-10	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–58; पूंजीगत दत्तमत–1,16,55,58,59; राजस्व भारित–3,10,16,48,52,66;	1,250.16
6.	2010-11	6–अनुदान 4– विनियोग	राजस्व दत्तमत–30,51,91; पूंजीगत दत्तमत–10,55,58; राजस्व भारित–10,23,61,82;	1,702.62
7.	2011-12	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–21,62,91; पूंजीगत दत्तमत–1,55,58; राजस्व भारित–13,18,23,61,62,82;	1,889.66
8.	2012-13	4–अनुदान 3– विनियोग	राजस्व दत्तमत–51,57; पूंजीगत दत्तमत–55,58; राजस्व भारित–55,62,89;	2,380.23
9.	2013-14	2–अनुदान 1–विनियोग	पूंजीगत दत्तमत– 55, 58; पूंजीगत भारित– 52;	2,608.18
10.	2014-15	7- अनुदान 1- विनियोग	राजस्व दत्तमत–57,91; पूंजीगत दत्तमत–1,40,55,57,58; राजस्व भारित–13;	2,225.32
11.	2015-16	4- अनुदान 4- विनियोग	पूंजीगत दत्तमत–55,57,58,87; राजस्व भारित–2,23,52,62;	1,566.71
12.	2016-17	3- अनुदान 2- विनियोग	पूंजीगत दत्तमत - 55,58,87; राजस्व भारित - 89; पूंजीगत भारित – 61;	5,662.17
			;ksx	**29,648.64**

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

ifjf'k"V 2.2

₹100 djksM+ ;k mlls vf/kd dh cpr okys vuqnku@fofu;ksx dk fooj.k

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.2 पृष्ठ 39)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	iko/kku			0;;	cpr
			ey vunku	vuiijd	dy vunku		
		jktLo &nÙker					
1.	02	आवास विभाग	837.95	1.36	839.31	385.94	453.37
2.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,133.01	11.83	1,144.84	565.42	579.42
3.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	36,042.29	34.43	36,076.72	21,443.46	14,633.26
4.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,775.08	23.55	2,798.63	2,225.44	573.19
5.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	12,054.78	1,215.39	13,270.17	12,189.28	1,080.89
6.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,297.46	17.02	1,314.48	1,099.93	214.55
7.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	433.26	21.30	454.56	343.19	111.37
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	15,419.02	152.41	15,571.43	14,356.14	1,215.29
9.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2,376.40	338.35	2,714.75	2,465.76	248.99
10.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	5,838.64	101.94	5,940.58	5,073.42	867.16
11.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	979.75	0.00	979.75	750.89	228.86
12.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4,887.04	291.59	5,178.63	4,320.49	858.14
13.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	667.06	11.85	678.91	578.79	100.12
14.	37	नगर विकास विभाग	11,743.51	50.80	11,794.31	6,219.47	5,574.84
15.	40	नियोजन विभाग	424.37	0.67	425.04	222.90	202.14
16.	42	न्याय विभाग	1,981.73	3.00	1,984.73	1,502.67	482.06
17.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,127.88	74.00	2,201.88	1,113.69	1,088.19
18.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	6,157.45	248.70	6,406.15	4,158.23	2,247.92
19.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	932.25	0.00	932.25	786.50	145.75
20.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,564.79	0.00	1,564.79	747.93	816.86
21.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	3,403.34	0.66	3,404.00	2,987.54	416.46
22.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,332.73	1.70	2,334.43	1,337.82	996.61
23.	60	वन विभाग	746.14	0.00	746.14	589.68	156.46
24.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	687.30	0.00	687.30	501.99	185.31
25.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	49,788.58	401.85	50,190.43	32,696.66	17,493.77
26.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9,097.94	2.00	9,099.94	8,479.50	620.44
27.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,412.61	0.00	2,412.61	1,961.22	451.39
28.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	964.32	25.65	989.97	718.65	271.32
29.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,970.59	362.51	2,333.10	2,116.24	216.86
30.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	4,334.51	74.77	4,409.28	3,706.48	702.80
31.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	261.84	146.11	407.95	257.44	150.51
32.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	17,094.91	697.83	17,792.74	12,219.00	5,573.74

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku@fofu;kx dk uke	iko/kku			O;;	cpr
			ewy vuqnku	vuqiwjd	dqy vuqnku		
33.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,209.11	100.00	3,309.11	3,146.72	162.39
34.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,032.60	1.00	4,033.60	3,332.19	701.41
		;kx	**2,10,010.24**	**4,412.27**	**2,14,422.51**	**1,54,600.67**	**59,821.84**
		jktLo&Hkkfjr					
35.	09	ऊर्जा विभाग	4,668.23	0.00	4,668.23	3,485.23	1,183.00
36.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	40,441.89	0.00	40,441.89	37,574.49	2,867.40
		;kx	**45,110.12**	**0.00**	**45,110.12**	**41,059.72**	**4,050.40**
		iwathxr &nÙker					
37.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,859.47	158.36	2,017.83	1,304.07	713.76
38.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	610.43	0.00	610.43	312.69	297.74
39.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	13,046.22	415.39	13,461.61	8,282.55	5,179.06
40.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	223.34	10.00	233.34	20.90	212.44
41.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	12,016.00	0.00	12,016.00	9,462.69	2,553.31
42.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	691.10	249.92	941.02	560.60	380.42
43.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	678.01	0.00	678.01	452.61	225.40
44.	37	नगर विकास विभाग	1,445.50	100.00	1,545.50	1,029.62	515.88
45.	40	नियोजन विभाग	934.10	35.99	970.09	615.77	354.32
46.	42	न्याय विभाग	1,367.78	300.00	1,667.78	812.52	855.26
47.	44	पर्यटन विभाग	2,431.00	3.00	2,434.00	399.16	2,034.84
48.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	347.71	10.00	357.71	251.18	106.53
49.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	196.01	0.00	196.01	67.16	128.85
50.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	317.15	0.00	317.15	151.09	166.06
51.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	422.58	0.00	422.58	141.31	281.27
52.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	10,571.75	519.40	11,091.15	6,528.62	4,562.53
53.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	1,136.00	0.00	1,136.00	433.69	702.31
54.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	353.41	50.00	403.41	218.23	185.18
55.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	289.49	0.00	289.49	122.24	167.25
56.	83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	5,570.18	1,393.88	6,964.06	5,326.72	1,637.34
57.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,710.71	140.67	3,851.38	3,275.42	575.96
		;kx	**58,217.94**	**3,386.61**	**61,604.55**	**39,768.84**	**21,835.71**
		iwathxr&Hkkfjr					
58.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	21,909.08	0.00	21,909.08	14,935.56	6,973.52
		;kx	**21,909.08**	**0.00**	**21,909.08**	**14,935.56**	**6,973.52**
		egk;kx	**3,35,247.38**	**7,798.88**	**3,43,046.26**	**2,50,364.79**	**92,681.47**

ifjf'k"V 2.3
vuojr cpr okyk vuqnku
(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.2 पृष्ठ 39)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	cpr dh jkf'k				
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
		jktLo &nÙker					
1.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	596.10	425.39	438.74	828.58	14,633.26
2.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	201.09	399.75	208.61	302.86	573.19
3.	26	गृह विभाग (पुलिस)	982.88	994.09	1,346.41	886.34	1,215.29
4.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	471.31	672.14	938.53	1,088.42	867.16
5.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	169.95	210.71	1,404.12	1,263.58	858.14
6.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	112.61	190.08	244.50	281.31	100.12
7.	37	नगर विकास विभाग	654.69	2,762.12	1,390.72	2,751.47	5,574.84
8.	42	न्याय विभाग	223.31	330.65	329.12	432.26	482.06
9.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	201.19	815.40	852.81	973.77	1,088.19
10.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	271.58	370.04	1,058.88	1,106.73	2,247.92
11.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	202.58	337.40	456.79	599.42	416.46
12.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,041.27	1,265.68	1,384.03	1,778.37	996.61
13.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	106.87	169.83	181.79	123.86	185.31
14.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2,567.23	4,390.54	3,229.85	2,414.62	17,493.77
15.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	874.11	787.75	918.15	394.06	620.44
16.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	348.28	422.39	278.80	460.29	451.39
17.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	437.65	1,612.85	667.45	386.58	702.80
18.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,315.74	2,509.94	2,306.78	1,704.21	5,573.74
19.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	738.76	745.95	766.33	102.54	162.39
20.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	597.47	739.30	933.97	1,180.41	701.41
		;ksx	**12,114.67**	**20,152.00**	**19,336.38**	**19,059.68**	**54,944.49**
		iwathxr &nÙker					
21.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	470.53	286.17	533.67	432.83	297.74
22.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	145.76	2,017.90	1,669.11	3,300.96	5,179.06
23.	42	न्याय विभाग	336.17	153.89	241.77	581.42	855.26
24.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	148.22	640.44	635.44	345.00	106.53
25.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	157.95	356.71	616.56	236.07	167.25
26.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	524.04	1,634.76	1,357.70	2,477.98	1,637.34
		;ksx	**1,782.67**	**5,089.87**	**5,054.25**	**7,374.26**	**8,243.18**
		egk;ksx	**13,897.34**	**25,241.87**	**24,390.63**	**26,433.94**	**63,187.67**

परिशिष्ट 2.4

प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.3 पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान की सापेक्ष बचत
राजस्व - दत्तमत						
1.	02	आवास विभाग	837.95	385.94	1.36	452.01
2.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	201.16	189.14	67.21	12.02
3.	04	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	37.19	31.06	1.21	6.13
4.	05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	97.70	82.29	7.50	15.41
5.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,133.01	565.42	11.83	567.59
6.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	402.56	376.13	43.01	26.43
7.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	36,042.29	21,443.46	34.43	14,598.83
8.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,775.08	2,225.44	23.55	549.64
9.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,297.46	1,099.93	17.02	197.53
10.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	433.26	343.19	21.30	90.07
11.	22	खेल विभाग	91.15	89.47	1.16	1.68
12.	25	गृह विभाग (कारागार)	667.57	612.23	7.00	55.34
13.	26	गृह विभाग (पुलिस)	15,419.02	14,356.14	152.41	1,062.88
14.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	5,838.65	5,073.42	101.94	765.23
15.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4,887.04	4,320.49	291.59	566.55
16.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	667.06	578.79	11.85	88.27
17.	37	नगर विकास विभाग	11,743.51	6,219.47	50.80	5,524.04
18.	41	निर्वाचन विभाग	227.54	157.23	10.00	70.31
19.	42	न्याय विभाग	1,981.73	1,502.67	3.00	479.06
20.	43	परिवहन विभाग	264.80	236.55	1.48	28.25
21.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,127.88	1,113.69	74.00	1,014.19
22.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	6,157.45	4,158.23	248.69	1,999.22
23.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,332.73	1,337.82	1.70	994.91
24.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	209.34	190.90	1.31	18.44
25.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	49,788.58	32,696.66	401.85	17,091.92
26.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9,097.94	8,479.50	2.00	618.44
27.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	157.29	112.94	4.38	44.35
28.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	325.19	310.36	36.96	14.83
29.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	96.95	82.14	4.80	14.81

Ø0 l0	vunku l[;k	vunku@fofu;kx dk uke	ey iko/kku	okLrfod 0;;	vuijd iko/kku	ey iko/kku d lkis{k cpr
30.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	964.32	718.65	25.65	245.67
31.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	4,334.51	3,706.48	74.78	628.03
32.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	261.84	257.44	146.11	4.40
33.	82	सतर्कता विभाग	52.67	50.14	1.52	2.53
34.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	17,094.91	12,219.00	697.83	4,875.91
35.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	814.10	745.41	3.04	68.69
36.	90	संस्थागत वित्त विभाग	48.82	46.27	1.33	2.55
37.	92	संस्कृति विभाग	75.53	55.64	3.00	19.89
38.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,209.11	3,146.72	100.00	62.39
39.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,032.60	3,332.19	1.00	700.41
		;kx	**1,86,227.49**	**1,32,648.64**	**2,689.60**	**53,578.85**
		ithxr &nÙker				
40.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,859.47	1,304.07	158.36	555.40
41.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	13,046.22	8,282.55	415.39	4,763.67
42.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	223.34	20.90	10.00	202.44
43.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	691.10	560.60	249.92	130.50
44.	25	गृह विभाग (कारागार)	235.97	208.41	2.42	27.56
45.	26	गृह विभाग (पुलिस)	696.17	636.42	12.46	59.75
46.	37	नगर विकास विभाग	1,445.50	1,029.62	100.00	415.88
47.	40	नियोजन विभाग	934.10	615.77	35.99	318.33
48.	42	न्याय विभाग	1,367.78	812.52	300.00	555.26
49.	43	परिवहन विभाग	130.05	105.22	1.83	24.83
50.	44	पर्यटन विभाग	2,431.00	399.16	3.00	2,031.84
51.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	347.71	251.18	10.00	96.53
52.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	10,571.75	6,528.62	519.40	4,043.13
53.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	353.41	218.23	50.00	135.18
54.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	5,570.18	5,326.72	1,393.88	243.46
55.	92	संस्कृति विभाग	59.73	44.25	5.12	15.48
56.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,710.71	3,275.42	140.67	435.29
		;kx	**43,674.19**	**29,619.66**	**3,408.44**	**14,054.53**
		egk;kx	**2,29,901.68**	**1,62,268.30**	**6,098.04**	**67,633.38**

ifjf'k"V 2.5
fuf/k;ksa dk vf/kd@vuko';d iqufoZfu;ksx

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.4 पृष्ठ 40)

(₹ yk[k esa)

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	ys[kk 'kh"kZ	iqufoZfu;ksx	vkf/kD;	Ckpr (-)
1.	08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	2058-103-03	45.00	0.00	719.50
2.			2058-001-03	800.00	0.00	152.41
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-119-01	2,254.90	0.00	64.22
4.			2401-119-03	4.67	0.10	0.00
5.			2406-02-112-03	246.53	0.00	188.88
6.			2415-80-004-07	64.22	0.00	57.73
7.			2851-107-11	75.00	0.00	2.40
8.			4401-103-03	67.56	0.00	0.10
9.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-001-03	10.00	2.94	0.00
10.			2401-001-05	5.00	47.79	0.00
11.			2401-103-03	1,400.00	246.36	0.00
12.			2401-109-03	7,360.27	368.48	0.00
13.			2402-102-02	1,000.00	0.00	35.25
14.			2402-102-03	4,600.67	0.00	25.42
15.			2402-103-09	2,400.00	0.00	23.18
16.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-001-04	2.43	0.00	0.22
17.			2515-102-03	1,907.65	98.11	0.00
18.			2515-102-06	912.96	1.23	0.00
19.			2515-102-09	5.72	0.00	0.31
20.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-03	114.83	0.00	4.57
21.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-001-03	200.00	0.00	31.45
22.			2403-101-06	342.38	9.79	0.00
23.			4403-101-08	9.43	16.61	0.00
24.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-03	14.90	0.00	1,874.14
25.			2405-800-05	3.00	0.00	0.82
26.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-001-04	52.25	0.00	0.74
27.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-800-03	7.53	0.00	15.17
28.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2235-60-800-03	1,100.00	0.00	567.68
29.			2251-200-03	43.00	0.00	38.03
30.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-01-110-15	19.38	255.18	0.00
31.			2210-05-105-03	188.96	185.28	0.00
32.			4210-03-43	1,393.00	0.00	181.60
33.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-03-110-10	9,571.56	0.00	3,111.89
34.			2210-01-110-04	6,500.00	3,471.02	0.00
35.			4210-02-104-11	70.77	0.00	57.27
36.			4210-02-104-03	1,840.43	0.00	1,166.34
37.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-05-101-03	90.00	0.00	312.29

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	y[kk 'kh"kZ	iqufoZfu;ksx	vkf/kD;	cpr (-)
38.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-05-102-03	716.16	0.00	129.68
39.	37	नगर विकास विभाग	2015-800-04	700.00	0.00	168.76
40.			2053-094-03	813.50	0.00	10.66
41.	40	नियोजन विभाग	3454-02-001-03	7.86	0.00	689.31
42.			3451-092-05	6.00	6.67	0.00
43.			4215-01-102-03	28,155.17	4,000.00	0.00
44.			4575-02-800-04	400.00	34.65	0.00
45.			4575-06-800-03	13.79	10.15	0.00
46.	41	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	103.29	0.00	650.43
47.			2015-106-03	50.49	0.00	2,822.80
48.			2015-105-03	155.27	0.00	19.25
49.			2015-105-04	95.47	0.00	74.39
50.			2015-106-04	27.52	0.18	0.00
51.			2015-106-06	3.44	0.00	0.06
52.	42	न्याय विभाग	2014-105-03	1,120.00	0.00	21,744.99
53.			2014-114-04	873.95	0.00	949.62
54.			2014-114-03	40.00	324.57	0.00
55.			2014-800-03	360.23	4.37	0.00
56.			2235-60-200-04	100.00	61.37	0.00
57.			2014-102-05	307.80	0.00	148.19
58.			4216-01-700-10	1,653.92	0.00	808.00
59.	43	परिवहन विभाग	4059-01-051-07	14.16	0.00	14.16
60.			4059-80-800-01	497.76	0.00	9.44
61.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-104-03	6.00	0.00	124.99
62.			3452-80-104-08	105.00	0.00	21.08
63.			3452-80-800-03	550.00	6.54	0.00
64.			3452-80-800-04	20.00	0.00	0.13
65.			5452-80-104-06	280.47	0.00	6.82
66.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-001-03	3.50	8.37	0.00
67.			2203-001-04	54.86	0.73	0.00
68.			2203-105-04	252.69	0.00	8.40
69.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-03	26.50	1.09	0.00
70.			2070-001-04	110.00	0.00	13.79
71.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-103-01	400.32	0.00	476.84
72.			2235-02-103-02	1,510.85	62.94	0.00
73.			2235-190-06	49.21	0.00	1.37
74.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2052-099-03	48.75	0.00	326.23
75.			2235-60-110-05	300.00	11,482.97	0.00
76.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-80-051-18	1,200.00	118.85	0.00
77.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	3054-04-800-03	400.00	205.97	0.00
78.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-80-800-05	800.05	13.14	0.00

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	y[kk 'kh"kZ	iqufoZfu;ksx	vkf/kD;	Ckpr (-)
79.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	3.68	0.00	156.15
80.			2052-090-03	234.99	0.00	1,249.55
81.			2059-01-053-08	4.06	0.00	4.06
82.			2059-60-053-03	41.50	0.00	39.14
83.			2059-01-053-09	286.82	0.00	9.55
84.			2059-60-053-04	67.07	0.00	1.42
85.			2216-01-700-09	53.96	332.19	0.00
86.	60	वन विभाग	4406-01-102-10	446.77	0.00	446.77
87.			4406-01-102-12	660.00	0.00	211.24
88.			4406-02-110-01	33.25	230.35	0.00
89.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-01-123-04	26,184.57	0.03	0.00
90.			2049-01-305-03	203.01	25.35	0.00
91.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-02-103-03	166.23	0.02	0.00
92.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-102-23	9,936.00	25.20	0.00
93.			2202-01-102-31	1,863.58	0.00	14.54
94.			2202-01-104-03	1,180.00	0.00	12.11
95.			2202-01-112-04	16,683.34	0.00	180.20
96.			2202-800-04	11,920.00	0.00	392.45
97.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-109-03	154.90	49.60	0.00
98.			2202-02-800-22	20.61	0.00	20.61
99.			2202-05-103-05	200.00	172.49	0.00
100.			2071-01-109-03	113.00	329.76	0.00
101.			2071-01-117-03	710.00	5,623.28	0.00
102.			2202-01-102-04	2,200.00	0.00	921.46
103.			2202-02-101-03	1,500.00	802.33	0.00
104.			2202-02-108-03	2,919.00	1,509.12	0.00
105.			2204-102-04	898.72	112.11	0.00
106.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-001-04	39.10	0.16	0.00
107.			2202-03-104-13	1,000.00	0.00	501.33
108.			4202-01-203-04	100.00	200.00	0.00
109.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	2070-107-04	22.00	0.00	782.65
110.			2070-107-03	165.50	7.47	0.00
111.			2070-107-06	374.29	0.00	20.89
112.			2070-107-08	200.89	0.00	59.80
113.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-003-01	10.18	0.00	4,519.72
114.			2202-80-800-03	14.50	0.00	14.51
115.			2202-80-004-03	28.85	0.00	8.40
116.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-01-102-03	7.62	0.00	114.39
117.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2052-090-03	0.15	594.12	0.00
118.			2052-090-11	45.00	0.00	32.59
119.			2220-60-800-03	85.00	0.41	0.00

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	ys[kk 'kh"kZ	iqufoZfu;ksx	vkf/kD;	Ckpr (-)
120.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-03-277-01	563.00	0.00	16,462.49
121.			2235-02-101-14	138.08	33.67	0.00
122.			2235-02-101-03	598.57	5.24	0.00
123.			4235-02-101-05	879.35	330.41	0.00
124.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2235-02-200-09	84.98	0.00	83.79
125.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2402-789-03	278.33	0.00	0.01
126.			4801-06-789-07	10,112.00	52,611.60	0.00
127.	86	सूचना विभाग	2220-60-106-03	36.00	0.00	345.59
128.	87	सैनिक कल्याण विभाग	2235-60-200-03	33.00	0.00	480.76
129.			2235-60-200-06	7.00	0.11	0.00
130.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2052-091-03	35.00	0.00	60.47
131.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-03	108.00	85.73	0.00
132.			2040-800-05	13.22	3.64	0.00
133.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-03-001-03	283.00	0.00	538.81
134.			2030-03-001-04	177.00	0.00	1,084.01
135.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2700-04-101-03	181.39	0.00	142.35
136.			2700-06-101-03	68.16	0.00	205.82
137.			2700-08-101-03	184.50	0.00	267.68
138.			2700-10-101-03	92.98	0.00	103.31
139.			2700-13-101-03	18.22	0.00	19.02
140.			2701-06-101-03	6.80	0.00	6.64
141.			2701-28-101-03	17.71	0.00	16.25
142.			2701-33-101-03	3.10	0.00	24.85
143.			2701-36-101-03	38.27	0.00	0.99
144.			2711-03-103-03	189.91	0.00	230.90
145.			2700-05-101-03	141.71	0.00	17.59
146.			2700-14-101-03	30.00	0.00	0.09
147.			2700-19-101-03	99.71	0.00	82.04
148.			2701-05-101-03	30.49	0.00	26.12
149.			2701-10-101-03	8.37	10.26	0.00
150.			2701-26-101-03	44.71	0.00	1.74
151.			2701-34-101-03	39.00	0.00	16.72
152.			2701-38-101-03	10.50	0.00	1.62
153.			2701-41-101-03	15.00	0.00	1.82
154.			2701-44-101-03	11.00	0.00	1.33
155.			2701-66-101-03	54.16	0.00	0.05
156.			2701-68-101-03	33.16	0.00	0.70
157.			2701-76-101-03	16.06	0.00	0.05
158.			2702-03-101-03	24.99	0.00	13.00
159.			4700-14-051-10	173.15	0.00	415.25
160.			4702-101-04	216.00	0.00	441.65

Ø0 l0	vunku l[;k	vunku dk uke	y[kk 'kh"k	iufofu;kx	vkf/kD;	Ckpr (-)
161.			4702-102-03	526.00	0.00	1,247.81
162.			4711-01-103-06	113.24	0.00	1,396.46
163.			4700-04-051-10	566.40	0.00	195.27
164.			4700-14-051-11	1,565.00	0.00	964.92
165.			4700-19-051-10	2,650.00	184.33	0.00
166.			4700-20-051-10	2,500.00	921.76	0.00
167.			4700-97-051-10	4,500.00	28.01	0.00
168.			4701-60-051-10	3,288.00	0.00	251.00
169.			4701-67-051-10	600.17	0.00	390.79
170.			4701-78-051-10	550.48	0.00	0.07
171.			4701-81-051-10	249.18	1.27	0.00
172.			4701-93-051-16	414.72	0.00	0.01
173.			4711-01-103-03	417.53	0.00	124.31
174.			4711-01-103-08	11,051.64	0.00	1,328.06
175.			4711-01-103-09	2,766.59	0.00	994.32
176.			2701-02-001-05	100.00	0.00	68.89
177.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2701-02-001-08	100.00	0.00	55.19
178.			2701-80-800-03	17,500.00	0.00	2,505.26
			;kx	**2,32,390.65**	**85,275.47**	**78,180.40**

परिशिष्ट 2.6

वर्ष 2017-18 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.5; पृष्ठ 40)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
1.	05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	2851-105-18- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना	999.12	999.12	100
2.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-80-800-06- न्यायालयों में वादों की पैरवी	60.00	42.07	70
3.			2852-80-800-08-पब्लिकप्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाइयों का विनिवे'ा	405.00	405.00	100
4.			2852-80-800-14- पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूति	20.00	20.00	100
5.	09	ऊर्जा विभाग	6003-109-03- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण का प्रतिदान	4,520.21	3,857.12	85
6.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-108-07- उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति- 2014 का क्रियान्वयन	34.00	21.00	62
7.			2401-119-03- नर्सरी	3,169.22	2,360.39	74
8.			2401-001-03- केन्द्रीय निदेशालय	2.00	2.00	100
9.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-109-08-कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग–	3,919.69	2,291.91	58
10.			2401-111-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1176.98	783.47	67
11.			2401-111-05- फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	761.68	530.27	70
12.			2401-113-05-सोलर फोटोवैलेटिक इरिगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना	12,500.00	9,621.00	77
13.			2401-800-04- स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना	1,041.60	537.13	52
14.			2402-101-04- प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी–वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	219.89	123.80	56
15.			2401-101-05- जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	406.00	406.00	100
16.			2402-102-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	17,009.63	8,544.96	50
17.			2402-103-06- मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण	500.00	494.35	99
18.			2415-01-004-04- कृषि विश्वविद्यालयों में सेन्टर आफ एक्सीलेंस	1,000.00	1,000.00	100
19.			2415-80-120-23- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम	9.75	9.75	100

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼ys[kk'kh"kZ½	izko/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
20.			2415-80-120-28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना	337.66	172.66	51
21.			2415-80-120-30- उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार योजना	5.00	5.00	100
22.			4401-107-03- कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित ह	4,000.00	2,508.45	63
23.			4401-107-04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण	400.00	400.00	100
24.			4401-190-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के0 60ध् रा0 40.के0+रा0)	500.00	500.00	100
25.			4401-800-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के0 60ध् रा0 40.के0+रा0)	25,294.00	16,727.85	66
26.			4402-102-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,645.05	1,645.05	100
27.			4415-04-277-03- दुग्ध अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा	50.00	50.00	100
28.			4415-05-277-03- मत्स्य महाविद्यालय, इटावा	50.00	50.00	100
29.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-102-17- वाटर ए0टी0एम0 की स्थापना	2,000.00	2,000.00	100
30.			2702-80-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	594.12	517.61	87
31.			2702-80-800-10- जी0 आई0 एस0 मैपिंग	48.40	48.40	100
32.			3054-04-105-03- उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	5,000.00	3,203.05	64
33.			2515-001-03- विकास आयुक्त (मुख्यालय)	10.00	5.26	53
34.			2515-800-03- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	7.50	7.00	93
35.			4215-01-102-04- बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों (विन्ध्य क्षेत्र) हेतु सर्फेस सोर्स ग्राउण्ड वाटर आधारित ग्रामीण पेयजल योजना (के0 100 रा0 0 के0)	2,21,200.00	2,21,200.00	100
36.			4702-102-11- ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	709.00	568.78	80
37.			4702-800-12 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	9,210.00	7,397.15	80
38.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-04- ग्रामीण खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा प्रशिक्षण	5.00	5.00	100
39.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-101-07- पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	391.80	229.68	59
40.			2403-103-02- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	197.40	197.40	100
41.			2403-106-02- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	940.49	940.49	100
42.			2403-107-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	32.42	32.42	100

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼ys[kk'kh"kZ½	izko/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
43.			2403-107-02-- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	25.20	25.20	100
44.			2403-104-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	14.66	14.66	100
45.			2403-113-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	476.28	296.11	62
46.			2403-001-03- निदेशालय	13.79	13.79	100
47.			4403-101-07- पशु सेवा केन्द्र / " द " श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)	200.00	108.71	54
48.			4403-101-14- पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर0आई0डी0एफ0)(जिला योजना)	4,627.50	2,355.79	51
49.			4403-101-15- " द " श्रेणी पशु औषधालय का उच्चीकरण करते हुए पशु चिकित्सालय की स्थापना	84.04	59.91	71
50.			4403-107-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	42.85	42.85	100
51.			4403-101-08- पशु चिकित्सालयों का निर्माण (आर0आई0डी0एफ0)(जिला योजना)	4,028.00	2,090.39	52
52.			4403-101-11- पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	50.00	39.08	78
53.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	4059-60-051-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	600.00	500.00	83
54.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-101-11- बन्द चीनी मिल मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना	27,000.00	18,000.00	67
55.			6860-04-101-12- बन्द चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना	23,375.00	18,375.00	79
56.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-11- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में महामारी आदि के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क (केन्द्र–100 / राज्य–0)	279.00	279.00	100
57.			4210-03-105-12- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास (केन्द्र–100 / राज्य–0)	500.00	500.00	100
58.			4210-03-105-64- राजकीय मेडिकल कालेजों में गहन चिकित्सा कक्ष (आई.सी.यू.) की स्थापना	22.51	22.51	100
59.			4210-03-105-69- राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में नशा विमुक्ति केन्द्र	11.00	11.00	100
60.			6075-800-03- एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये रिवॉलविंग फंड	100.00	100.00	100
61.			4210-03-105-36- नेहरु चिकित्सालय, गोरखपुर	3.50	2.96	85
62.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-06- मंडल मुख्यालय पर डायलिसिस यूनिट की स्थापना	1,000.00	920.11	92

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼y?kq 'kh"kZ½	iko/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
63.			2210-01-110-10. उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन	500.00	483.67	97
64.			2210-03-110-05- बी.एम.जी.एफ. के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	4,402.00	2,251.00	51
65.			2210-80-800-06- आरोग्य निधि की स्थापना	500.00	360.76	72
66.			2210-80-800-09- विभागीय वेबसाइटों का संचालन	500.00	500.00	100
67.			2235-60-110-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	20,311.60	20,311.60	100
68.			2210-01-001-03- निर्देशन	20.00	13.57	68
69.	37	नगर विकास विभाग	2215-01-101-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,900.00	1,900.00	100
70.			2215-01-191-04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय	1,000.00	802.94	80
71.			2215-02-106-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,500.00	1,500.00	100
72.			2215-02-107-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	24,000.00	14,703.17	61
73.			2215-02-107-04- फिरोजाबाद में जल निकासी हेतु व्यवस्था	500.00	500.00	100
74.			2217-05-051- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,84,200.00	2,69,385.01	70
75.			2217-05-191- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,08,000.00	62,024.35	57
76.			2217-05-192- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,00,574.00	78,430.60	78
77.			2217-05-800- 07- नगरीय परिवहन निदेशालय	270.75	243.75	90
78.			2217-80-191- 07- नगरीय झील, तालाब, पोखर संरक्षण योजना	1,250.00	1,250.00	100
79.			2217-80-800- 09 राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडीकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण	37,500.00	37,500.00	100
80.			2217-80-800- 12- शहरी यातायात विकास निधि	6,052.93	6,052.93	100
81.			2217-80-800- 14- सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण की ब्याज अदायगी हेतु सहायता	2,956.00	2,956.00	100
82.			2230-02-101- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	16,408.32	11,538.52	70
83.			4216-02-800- 03- आसरा योजना (आवासीय भवन)	15,000.00	11,487.14	77
84.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	3053-01-800-02- रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत वायलिटी गैप फण्डिंग	500.00	500.00	100

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼y[kk'kh"kZ½	izko/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
85.			5053-80-800-03- हेलीकाफ्टर/वायुयान का क्रय	200.00	200.00	100
86.	40	नियोजन विभाग	2575-02-800-03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	15,000.00	13,731.44	92
87.			3425-60-004-03- इनोवेशन सेल की स्थापना	30.00	27.10	90
88.			3454-02-001- 04- स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान	284.00	208.18	73
89.			3454-02-800- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	130.63	88.10	67
90.			4575-02-800-03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं	30,000.00	30,000.00	100
91.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	4202-02-104-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,150.00	1,906.12	89
92.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-06-रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ.प्र. इलाहाबाद	93.02	58.06	62
93.			2070-800-03- उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण	263.92	155.12	59
94.			2071-01-117-03-सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये	1,000.00	1,000.00	100
95.			2202-01-800-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	33,636.90	28,772.73	86
96.			2202-02-800-12- राज्य अध्यापक पुरस्कार योजनाा	7.25	7.25	100
97.			2225-80-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	60,751.43	60,751.43	100
98.			2235-02-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,750.00	3,717.79	99
99.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-06-राज्य एकीकरण परिषद् के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें	6.40	6.40	100
100.			2070-800-08- महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन	26.25	18.59	71
101.			2070-800-09- जिला एकीकरण समितियों पर व्यय	15.00	10.04	67
102.			2070-800-11-गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण/समारोह के आयोजन आदि पर व्यय	2.00	2.00	100
103.			2070-800-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन(नकद पुरस्कार)(राज्यांश 100 प्रतिशत)	10.00	5.50	55
104.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-06- मुख्यमंत्री आवास पर साज–सज्जा एवं अनुरक्षण	505.00	402.93	80

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼y?kq 'kh"kZ½	izko/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
105.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2052-090-03-वित्त विभाग	692.94	501.33	72
106.			4070-800-03- परियोजनाओं के डी.पी.आर. पर होने वाला व्यय	500.00	500.00	100
107.			6075-800-03- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिये ऋण सहायता	10,000.00	6,973.00	70
108.			6003-101-04-गैर ब्याजू बाजार कर्ज	71.58	71.58	100
109.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	6075-800-03-रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु कर्ज	10,000.00	8,905.00	89
110.	68	विधान सभा सचिवालय	2059-80-053-03- विधान सभा सचिवालय में अनावासीय भवनों की मरम्मत	10.00	10.00	100
111.			2011-02-101-03-विधान सभा	143.20	79.92	56
112.			7610-201-03-राज्य विधान सभा के सदस्यों/ ूतपूर्व सदस्यों को आवास हेतु ऋण	20.00	20.00	100
113.			7610-202-03-राज्य विधान सभा के सदस्यों/ भूतपूर्व सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	20.00	20.00	100
114.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-17-कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय की व्यवस्था	15,000.00	7,500.00	50
115.			2230-03-101-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	75.00	75.00	100
116.			4250-203-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	610.00	610.00	100
117.			4250-203-03-अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2,400.00	2,306.61	96
118.			4250-203-11-दस्तकार प्रशिक्षण योजना	10.00	6.00	60
119.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4810-102-04-सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना	1,000.00	549.93	55
120.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2071-01-117-03-प्राथमिक विद्यालय/सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर–I खाते में अंशदान	50,000.00	39,494.64	79
121.			2202-01-105-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	16,000.00	11,008.00	69
122.			2202-01-105-03- अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी का अधिष्ठान व्यय	2,090.63	1,853.45	89
123.			2202-01-105-11- साक्षर भारत मिशन–2012	279.52	159.64	57
124.			2202-01-800-03-गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना के राज्य सरकार का अंशदान	73.00	36.50	50
125.			2202-01-800-09- साक्षरता निकेतन, लखनऊ परिसर छात्रावास का निर्माण	100.00	100.00	100
126.			2202-01-111-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	15,36,620.90	12,76,091.30	83

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (प्रतिशत में)
127.			2202-80-800-04- ''सभी के लिये शिक्षा'' की विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर बजट कार्य तथा अन्य योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोष्ठक की स्थापना	10.69	10.69	100
128.			4202-01-201-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	34,736.16	20,889.20	60
129.			4202-01-201-03- जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण (जिला योजना)	155.35	155.35	100
130.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-107-11- ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9–10) प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	8.00	6.71	89
131.			2202-02-110-08- अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	48.92	98
132.			2202-02-110-11-असेवित विकास खण्डों के लिये निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु अनावर्तक	10.00	10.00	100
133.			2202-02-110-12-एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान (जिला योजना)	50.00	50.00	100
134.			2202-02-800-03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान	23.76	23.76	100
135.			2202-02-800-07- शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग	50.00	45.92	92
136.			2202-02-800- 27- उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय का भुगतान	100.00	100.00	100
137.			2202-05-103- 06-उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को सहायक अनुदान	59.10	36.05	61
138.			2205-105-06-पब्लिक लाइब्रेरी को अनुदान	10.00	10.00	100
139.			2202-01-110- 05-सहायक प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण	5.00	5.00	100
140.			4202-01-202-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	21,693.82	16,212.85	75
141.			4202-01-202-18-ई–बुक्स का क्रय/ई–लाइब्रेरी की स्थापना	500.00	318.97	64
142.			4202-01-202-23- उ.प्र. सैनिक स्कूल	10.00	10.00	100
143.			4202-04-105-03-राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण कार्य	275.00	171.34	62

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼ys[kk'kh"kZ½	izko/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
144.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2071-01-117-03-राज्य सरकार द्वारा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर–I खाते में अंशदान	5,000.00	5,000.00	100
145.			2071-01-117-04-राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर–I खाते में अंशदान	5,000.00	4,909.78	98
146.			2202-03-102-14-प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम	30.00	17.50	58
147.			2202-03-102-25- विकास अध्ययन संस्थान के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को सहायता	8.00	8.00	100
148.			2202-03-102-26- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर	263.08	145.08	55
149.			2202-03-102-32- इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेतु अनुदान	20.00	14.00	70
150.			2202-03-102-48- इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो/गाइडेंस सेल/प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना	40.00	26.50	66
151.			2202-03-102-49- सेण्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना	215.00	130.00	60
152.			2202-03-800-02- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	556.36	556.36	100
153.			2202-03-800-05- अवशेषों का भुगतान	128.10	128.10	100
154.			2202-03-800-12- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था	50.00	50.00	100
155.			2202-03-800-13- प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट	400.00	400.00	100
156.			2202-03-800-17- अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना	2,112.00	2,112.00	100
157.			2202-03-800-18- समस्त कालेजों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा	5,000.00	5,000.00	100
158.			2202-03-800-19- विश्वविद्यालयों/संस्थानों को चांसलर एवार्ड	16.90	16.90	100
159.			2204-102-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,435.01	1,397.85	97
160.			2204-102-03- छात्र कल्याण निधि से पोषित कार्यक्रमों के लिए अनुदान	10.00	10.00	100
161.			4202-01-203-33- राजकीय उपाधि महाविद्यालय	100.00	68.10	68
162.			4202-01-800-03- पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद	1.50	1.50	100
163.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01-103-08- बाल श्रम उन्मूलन	28.92	14.63	51
164.			2230-01-103-09- महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए समिति का गठन	20.00	20.00	100

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼ys[kk'kh"kZ½	izko/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
165.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-800-03- मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय	185.00	141.07	76
166.			2052-090-04- सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एव पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार	8.50	6.11	72
167.			2052-090-05- संसदीय कार्य विभाग	11.70	6.38	55
168.			2052-090-07- सचिवालय का आधुनिकीकरण	631.00	560.65	89
169.			2052-090-11- ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर, लैपटाप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय	2,825.00	2,324.77	82
170.			2052-090-12- आधार तथा बायोमेट्रिक पर आधारित उपस्थिति प्रणाली	65.00	33.34	51
171.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-19- ''सुगम्य भारत अभियान'' योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	50.00	28.36	57
172.			2235-02-101-33- मानसिक रुप से चुनौतीग्रस्त बालिकाओं के लिए राजकीय विद्यालय "ममता"	53.60	51.41	96
173.			2235-02-107-03- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं की सहायता	30.00	25.52	85
174.			2235-02-800-04- असहाय विकलांग व्यक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	620.00	548.03	88
175.			4235-02-101-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	500.00	430.14	86
176.			4235-02-101-04- ''सुगम्य भारत अभियान'' योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधारहित बनाया जाना (के–100/रा.0–के)	6,000.00	3,293.13	55
177.			4235-02-101-06- संकेत राजकीय मूक बधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण	158.72	158.72	100
178.			4235-02-101-10- ''प्रयास'' राजकीय शारीरिक रुप से अक्षम बालकों का विद्यालय, लखनऊ	196.73	196.73	100
179.			4235-02-101-12- संकेत मूक बधिर जूनियर हाई स्कूल, मोहान रोड लखनऊ का इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण	97.89	97.89	100
180.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2202-03-796-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	57.25	57.25	100
181.			2217-05-796-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	5,800.00	4,269.86	74
182.			2401-796-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	84.00	64.52	77
183.			4702-796-02- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	57.00	44.95	79

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	;kstuk dk uke ¼y{[kk 'kh"kZ½	iko/kku	vH;fiZr /kujkf'k	vH;fiZr /kujkf'k ¼izfr'kr esa½
184.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2203-789-03- आई0 टी0 पालीटेक्निकों की स्थापना	600.00	600.00	100
185.			2215-01-789-05- राज्य ग्रामीण पेय जल योजना	300.00	300.00	100
186.			2217-05-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	60,000.00	43,034.26	72
187.			2230-02-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,450.00	3,771.52	69
188.			2235-60-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4,228.40	3,380.00	80
189.			2401-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	13,735.48	7,822.16	57
190.			2401-789-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40–के.+रा.)	20,000.00	17,105.25	86
191.			2403-789-02- राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम	14.14	12.84	91
192.			2501-05-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,287.50	3,039.50	57
193.			2702-80-789-03- लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)	2.50	2.50	100
194.			4210-01-789-03- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सालयों के लिये उपकरणों का क्रय	1,500.00	887.72	59
195.			4210-02-789-04- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण (जिला योजना)	600.00	402.44	67
196.			4210-02-789-09-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय	668.29	350.89	53
197.			4216-02-789-03- आसरा योजना (आवासीय भवन)	5,000.00	4,041.72	81
198.			4702-789-02- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2,000.00	1,463.96	73
199.			5054-04-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4,255.00	4,255.00	100
200.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	2040-800-11- व्यापारी कल्याण बोर्ड	86.40	86.40	100
201.			2040-800-12- जिला मध्यस्थता प्राधिकरण	379.50	223.13	59
			;ksx	31,23,980.46 vFkok **31,239.80** djksM+	25,18,102.53 vFkok **25,181.03** djksM+	

Ikfjf'k"V 2.7

okLrfod cpr ls vf/kd vH;iZ.k ¼₹ 50 yk[k ;k vf/kd½

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.6 पृष्ठ 40)

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku@foHkkx dk uke	dqy vuqnku	cpr	vH;fiZr /kujkf'k	vf/kd vH;fiZr /kujkf'k
		jktLo&nÙker				
1.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2,714.75	248.99	255.59	6.60
2.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	5,940.58	867.16	870.26	3.10
3.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	50,190.43	17,493.77	17,579.40	85.63
4.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9,099.94	620.44	689.03	68.59
5.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,412.61	451.39	462.78	11.39
6.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	989.97	271.32	281.17	9.85
7.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	817.14	71.73	72.33	0.60
		;ksx	**72,165.42**	**20,024.80**	**20,210.56**	**185.76**
		iwathxr&nÙker				
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	610.43	297.75	299.30	1.55
9.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	13,461.61	5,179.06	5,202.62	23.56
10.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	403.41	185.18	215.32	30.14
		;ksx	**14,475.45**	**5,661.99**	**5,717.24**	**55.25**
		egk;ksx	**86,640.87**	**25,686.79**	**25,927.80**	**241.01**

lkfjf'k"V 2.8

vuqnkuksa@fofu;ksxksa dk fooj.k] ftuesa cpr gbZ ijUrq mldk dkbZ Hkkx vH;fiZr ugha fd;k x;k

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.7 पृष्ठ 40)

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	Ckpr	
			jktLo	iwathxr
		I–vuqnku		
1.	01	आबकारी विभाग	14.41	0.15
2.	02	आवास विभाग	453.37	88.45
3.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	79.24	9.00
4.	04	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	7.34	1.35
5.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	16.42	0.00
6.	08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	15.89	0.01
7.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	32.88	0.00
8.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	16.79	0.00
9.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2.46	0.00
10.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	27.28	0.00
11.	22	खेल विभाग	2.84	49.99
12.	25	गृह विभाग (जेल)	62.35	29.99
13.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,215.29	72.20
14.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.82	0.00
15.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	42.61	0.30
16.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	0.87	0.00
17.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.00	225.40
18.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	228.86	0.35
19.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	59.96	0.01
20.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	858.14	26.27
21.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	100.12	8.88
22.	39	भाषा विभाग	3.53	0.00
23.	41	निर्वाचन विभाग	80.31	1.00
24.	42	न्याय विभाग	482.06	855.26
25.	43	परिवहन विभाग	0.00	26.65
26.	44	पर्यटन विभाग	2.52	2,034.83
27.	45	पर्यावरण विभाग	1.75	0.00
28.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.00	106.53
29.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2,247.92	128.85
30.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	145.75	166.06
31.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	816.86	22.50
32.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.00	54.83

Ø0 l0	vunku l[;k	vunku@fofu;kx dk uke	Ckpr	
			jktLo	iwath
33.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	996.61	0.00
34.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	0.00	32.06
35.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	34.69	281.27
36.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	0.00	4,562.53
37.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	0.00	71.91
38.	60	वन विभाग	156.45	15.48
39.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	84.00	2.00
40.	67	विधान परिषद सचिवालय	10.37	0.04
41.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	8.76	1.30
42.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	48.74	6.51
43.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	0.00	0.02
44.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	19.61	0.10
45.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	0.00	16.02
46.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	702.81	0.00
47.	82	सतर्कता विभाग	4.05	0.00
48.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	15.94	11.12
49.	86	सूचना विभाग	17.79	1.00
50.	87	सैनिक कल्याण विभाग	7.16	0.02
51.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	39.86	4.10
52.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	3.87	0.00
53.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	37.86	0.00
54.	92	संस्कृति विभाग	22.89	20.61
55.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	162.39	575.96
56.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	701.41	0.00
		;kx	**10,099.90**	**9,510.91**
		II – fofu;kx		
57.	01	आबकारी विभाग	0.16	0.00
58.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.06	0.00
59.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.01	0.00
60.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	0.05	0.00
61.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	0.55	0.00
62.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	6.31	0.00
63.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.00
64.	25	गृह विभाग (जेल)	0.10	0.00
65.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.89	0.00
66.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	3.10	0.00
67.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.17	0.00
68.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.00
69.	42	न्याय विभाग	18.48	2.03

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूंजीगत
70.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	0.00
71.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.15	0.00
72.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.21	0.13
73.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.00
74.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	0.01	0.00
75.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	0.05	0.00
76.	60	वन विभाग	0.14	0.00
77.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	4.96	0.00
78.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.56	0.00
79.	82	सतर्कता विभाग	0.41	0.00
80.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	0.00	3.74
81.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.32	0.00
		योग	**36.87**	**5.90**
		महायोग	**10,136.77**	**9,516.81**
		राजस्व और पूंजीगत का योग	**19,653.58**	

lkfjf'k"V 2.9
vH;fiZr u dh x;h ₹ ,d djksM+ ,oa mlls vf/kd dh cpr

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.7; पृष्ठ 40)

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	cpr	vH;iZ.k	cpr] ftUgsa vH;fiZr ugha fd;k x;k
		jktLo &nÙker			
1.	01	आबकारी विभाग	14.41	0.00	14.41
2.	02	आवास विभाग	453.37	0.00	453.37
3.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	79.24	0.00	79.24
4.	04	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	7.34	0.00	7.34
5.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	16.42	0.00	16.42
6.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	579.43	4.74	574.69
7.	08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	15.89	0.00	15.89
8.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	69.44	50.91	18.53
9.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	14,633.26	14,621.81	11.45
10.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	573.19	310.51	262.68
11.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	1,080.89	7.51	1,073.38
12.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	214.55	190.41	24.14
13.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	32.88	0.00	32.88
14.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	16.79	0.00	16.79
15.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2.46	0.00	2.46
16.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	27.28	0.00	27.28
17.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	111.37	102.69	8.68
18.	22	खेल विभाग	2.84	0.00	2.84
19.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	33.31	1.37	31.94
20.	25	गृह विभाग (जेल)	62.35	0.00	62.35
21.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,215.29	0.00	1,215.29
22.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.82	0.00	6.82
23.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	42.61	0.00	42.61
24.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	228.86	0.00	228.86
25.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	59.96	0.00	59.96
26.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	858.14	0.00	858.14
27.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	100.12	0.00	100.12
28.	37	नगर विकास विभाग	5,574.84	5,112.68	462.16
29.	39	भाषा विभाग	3.53	0.00	3.53
30.	40	नियोजन विभाग	202.14	186.74	15.40
31.	41	निर्वाचन विभाग	80.31	0.00	80.31
32.	42	न्याय विभाग	482.06	0.00	482.06
33.	44	पर्यटन विभाग	2.52	0.00	2.52

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku@fofu;kx dk uke	cpr	vH;iZ.k	cpr] ftUgsa vH;fiZr ugha fd;k x;k
34.	45	पर्यावरण विभाग	1.75	0.00	1.75
35.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	38.26	35.54	2.72
36.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2,247.92	0.00	2,247.92
37.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	145.75	0.00	145.75
38.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	816.86	0.00	816.86
39.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	416.46	3.05	413.41
40.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	996.61	0.00	996.61
41.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	34.69	0.00	34.69
42.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	19.75	5.72	14.03
43.	60	वन विभाग	156.45	0.00	156.45
44.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	30.99	27.40	3.59
45.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	84.00	0.00	84.00
46.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	68.74	8.82	59.92
47.	67	विधान परिषद सचिवालय	10.37	0.00	10.37
48.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	14.45	2.04	12.41
49.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	8.76	0.00	8.76
50.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	48.74	0.00	48.74
51.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	51.79	27.67	24.12
52.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	19.61	0.00	19.61
53.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	216.85	46.72	170.13
54.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	702.81	0.00	702.81
55.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	150.52	46.11	104.41
56.	82	सतर्कता विभाग	4.05	0.00	4.05
57.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	5,573.74	1,906.04	3,667.70
58.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	15.94	0.00	15.94
59.	86	सूचना विभाग	17.79	0.00	17.79
60.	87	सैनिक कल्याण विभाग	7.16	0.00	7.16
61.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	39.86	0.00	39.86
62.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	3.87	0.00	3.87
63.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	37.86	0.00	37.86
64.	92	संस्कृति विभाग	22.89	0.00	22.89
65.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	162.39	0.00	162.39
66.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	701.41	0.00	701.41
		;ksx	**39,753.00**	**22,698.48**	**17,054.52**
		iwathxr&nÙker			
67.	2	आवास विभाग	88.45	0.00	88.45
68.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	9.00	0.00	9.00

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku@fofu;ksx dk uke	cpr	vH;iZ.k	cpr] ftUgsa vH;fiZr ugha fd;k x;k
69.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	1.35	0.00	1.35
70.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	713.76	0.01	713.75
71.	9	ऊर्जा विभाग	45.20	38.57	6.63
72.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	212.44	0.06	212.38
73.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2,553.31	2,545.40	7.91
74.	22	खेल विभाग	49.99	0.00	49.99
75.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	60.15	0.15	60.00
76.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	380.43	363.75	16.68
77.	25	गृह विभाग (जेल)	29.99	0.00	29.99
78.	26	गृह विभाग (पुलिस)	72.20	0.00	72.20
79.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	225.40	0.00	225.40
80.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	26.27	0.00	26.27
81.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	8.88	0.00	8.88
82.	37	नगर विकास विभाग	515.88	117.14	398.74
83.	40	नियोजन विभाग	354.32	345.26	9.06
84.	41	निर्वाचन विभाग	1.00	0.00	1.00
85.	42	न्याय विभाग	855.26	0.00	855.26
86.	43	परिवहन विभाग	26.65	0.00	26.65
87.	44	पर्यटन विभाग	2,034.83	0.00	2,034.83
88.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	46.14	25.72	20.42
89.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	106.53	0.00	106.53
90.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	128.85	0.00	128.85
91.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	166.06	0.00	166.06
92.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	22.50	0.00	22.50
93.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	54.83	0.00	54.83
94.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	32.06	0.00	32.06
95.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	281.27	0.00	281.27
96.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	4,562.53	0.00	4,562.53
97.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	71.91	0.00	71.91
98.	60	वन विभाग	15.48	0.00	15.48
99.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	702.31	74.73	627.58
100.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2.00	0.00	2.00
101.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	83.97	64.75	19.22
102.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	1.30	0.00	1.30
103.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	6.51	0.00	6.51
104.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	16.02	0.00	16.02
105.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	87.06	37.23	49.83
106.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	74.40	4.25	70.15

Ø0 la0	vuqnku la[;k	vuqnku@fofu;kx dk uke	cpr	vH;iZ.k	cpr] ftUgsa vH;fiZr ugha fd;k x;k
107.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,637.33	1,215.39	421.94
108.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	11.12	0.00	11.12
109.	86	सूचना विभाग	1.00	0.00	1.00
110.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	4.10	0.00	4.10
111.	92	संस्कृति विभाग	20.61	0.00	20.61
112.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	575.96	0.00	575.96
		;ksx	**16,976.61**	**4,832.41**	**12,144.20**
		jktLo- Hkkfjr			
113.	09	ऊर्जा विभाग	1,183.00	15.88	1,167.12
114.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	6.31	0.00	6.31
115.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	3.10	0.00	3.10
116.	42	न्याय विभाग	18.48	0.00	18.48
117.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2,867.40	2,398.16	469.24
118.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	4.96	0.00	4.96
119.	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	22.02	20.50	1.52
		;ksx	**4,105.27**	**2,434.54**	**1,670.73**
		iwathxr – Hkkfjr			
120.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	6,973.52	0.72	6,972.80
		;ksx	**6,973.52**	**0.72**	**6,972.80**
		egk;ksx	**67,808.40**	**29,966.15**	**37,842.25**

lkfjf'k"V 3.1

jkdMcgh vi.k@vuj{k.k u fd;k tkuk

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 46)

(₹ djkM+ e)

Ø- l-	fujh{k.k ifronu l[;k	bdkbZ dk uke	jkdMcgh vi.k@ vuj{k.k u fd;s tkus dh vof/k	jkdMcgh ea /kujkf'k dk vdu u gksuk
1.	09/2018-19	जिला कृषि अधिकारी, जौनपुर	04/2017 से 3/2018	1.87
2.	20/2018-19	उप निदेशक कृषि, कुशीनगर	10/2017 से 03/2018	16.21
3.	03/2018-19	जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा	11/2012 से 03/2018	8.11
4.	18/2018-19	जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, बरेली	04/2013 से 3/2018	839.89
5.	04/2018-19	बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बहराईच	04/2005 से 03/2018	54.70
6.	18/2018-19	बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, जौनपुर	04/2014 से 03/2018	30.59
7.	03/2018-19	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), जौनपुर	06/2017 से 03/2018	710.72
8.	07/2018-19	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आगरा	11/2016 से 03/2018	3.66
9.	08/2018-19	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), बलिया	01/2017 से 03/2018	693.94
10.	12/2018-19	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजीपुर	11/2017 से 03/2018	16.47
11.	16/2018-19	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), गोंडा	04/2014 से 03/2018	1,610.64
12.	24/2018-19	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), अम्बेडकरनगर	04/2014 से 03/2018	1,367.50
13.	19/2018-19	जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर	04/2014 से 03/2018	43.47
			;kx	**5,397.77**

ifjf'k"V 3.2
nk *ifr'kr* vfrfjDr LVkEi M;wVh dk forj.k

(संदर्भ: प्रस्तर 3.10 ; पृष्ठ 52)

₹ djksM+ esa

Ø-l-	ifj"kn@ikf/kdj.kksa dk uke	lforfjr /kujkf'k
1.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–33, अलीगढ़	14.29
2.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–17, कानपुर	5.10
3.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–कैंट इकाई, झांसी	4.81
4.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद इकाई–28, आगरा	14.90
5.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–24, मुरादाबाद	2.59
6.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–13, लखनऊ	3.64
7.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–31, लखनऊ	1.26
8.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–25, मुरादाबाद	0.89
9.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–37, गोरखपुर	5.33
10.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–29, आगरा	0.18
11.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–02, लखनऊ	16.44
12.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–34, वाराणसी	4.76
13.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–32, सहारनपुर	3.56
14.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–34, कानपुर	2.56
15.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–18, गाजियाबाद	44.60
16.	वी.सी., गोरखपुर विकास प्राधिकरण	4.28
17.	वित्त नियंत्रक, आगरा विकास प्राधिकरण	5.27
18.	वी.सी., कानपुर विकास प्राधिकरण	3.28
19.	वी.सी./जिलाधिकारी, हापुड़/पिलकुआ विकास प्राधिकरण	2.60
20.	वी.सी./जिलाधिकारी, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	7.02
21.	वी.सी., खुर्जा विकास प्राधिकरण	3.82
22.	सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण	10.44
23.	वी.सी./जिलाधिकारी, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	1.24
24.	वी.सी., सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2.15
25.	वी.सी., प्रयागराज विकास प्राधिकरण	3.37
26.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड, आजमगढ़	0.97
27.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड–04, लखनऊ	1.81
28.	ई.ई. उत्तर प्रदेश आवास परिषद खंड, इटावा	5.62
29.	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	12.96
30.	सचिव, उरई विकास प्राधिकरण	0.67
31.	सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण	2.14
32.	सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण	8.10
33.	सचिव, मिर्जापुर–विन्ध्यांचल विकास प्राधिकरण	0.21
34.	सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण	1.05
	;kx	**201.91**

lkfjf'k"V 3.3
foHkkxokj@vof/kokj yfEcr izdj.kksa dk fooj.k
¼ftuesa vfUre dk;Zokgh ekpZ 2018 rd yfEcr Fkh½

(संदर्भ: प्रस्तर 3.11; पृष्ठ 53)

(dk"Bd esa vkadM+s ₹ yk[k esa iznf'kZr gSa)

Ø0 l0	foHkkx dk uke	5 o"kZ rd	5 ls 10 o"kZ rd	10 ls 15 o"kZ rd	15 ls 20 o"kZ rd	20 ls 25 o"kZ rd	25 o"kZ ls vf/kd	izdj.kksa dk ;ksx
1.	कृषि विभाग	-	-	2(7.44)	-	-	1(0.18)	3(7.62)
2.	पशुपालन विभाग	-	-	-	2(3.46)	6(1.18)	8(1.91)	16(6.55)
3.	सहकारिता विभाग	-	-	-	1(1.28)	1(0.17)	-	2(1.45)
4.	शिक्षा विभाग	2(53.22)	5(112.94)	-	1(5.00)	-	-	8(171.16)
5.	मत्स्य विभाग	-	1(1.01)	-	-	-	2(1.60)	3(2.61)
6.	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1(3.06)	-	-	8(25.72)	9(28.78)
7.	सिंचाई विभाग	-	6(110.96)	10(0.56)	5(3.60)	20(5.91)	-	41(121.03)
8.	न्याय विभाग	-	-	1(4.44)	-	-	-	1(4.44)
9.	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3(331.78)	3(331.78)
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	-	2(3.95)	9(11.94)	11(15.89)
11.	पुलिस विभाग	-	2(4.00)	-	-	-	4(4.10)	6(8.10)
12.	पी.ए.सी.	-	-	-	1(47.48)	-	1(0.51)	2(47.99)
13.	लोक निर्माण विभाग	-	4(111.96)	4(34.86)	1(0.98)	-	-	9(147.80)
14.	राजस्व विभाग	-	1(6.68)	-	1(1.72)	-	3(6.09)	5(14.49)
15.	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	-	2(1.21)	7(2.07)	9(3.28)
16.	समाज कल्याण विभाग	1(4.44)	-	-	-	1(0.25)	2(0.70)	4(5.39)
17.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	-	1(11.59)	-	-	1(11.59)
18.	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1(1.01)	1(1.01)
19.	उद्यान विभाग	-	-	1(3.59)	-	-	-	1(3.59)
20.	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1(0.67)	1(0.67)
	;ksx	**3(57.66)**	**19(347.55)**	**19(53.95)**	**13(75.11)**	**32(12.67)**	**50(388.28)**	**136(935.22)**

ifjf'k"V 3.4

pkjh] nfoifu;kx] gkfu ,o xcu d dkj.k jkT; ljdkj dk gbl {kfr dk foHkkxokj@J.khokj fooj.k

(संदर्भः प्रस्तर 3.11; पृष्ठ 53)

(₹ yk[k e)

Ø0 l0	foHkkx dk uke	pkjh d i dj.k		nfoifu;kx d i dj.k		'kkldh; lkefx;k dh gkfu d i dj.k		xcu d i dj.k		;kx	
		i dj.k dh l[;k	/kujkf'k	i dj.k dh l[;k	/kujkf'k	i dj.k dh l[;k	/kujkf'k	i dj.k dh l[;k	/kujkf'k	i dj.k dh l[;k	/kujkf'k
1.	कृषि विभाग	-	-	1	5.45	2	2.17	-	-	3	7.62
2.	पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
3.	सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
4.	शिक्षा विभाग	3	6.60	2	59.41	-	-	3	105.15	8	171.16
5.	मत्स्य विभाग	-	-	-	-	1	1.23	2	1.38	3	2.61
6.	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
7.	सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
8	न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
9.	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6	4.13	-	-	1	1.09	4	10.67	11	15.89
11.	पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.00	4	4.10	6	8.10
12.	पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
13.	लोक निर्माण विभाग	3	1.63	-	-	6	146.17	-	-	9	147.80
14.	राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
15.	ग्राम्य विकास विभाग	4	0.94	-	-	1	0.14	4	2.20	9	3.28
16.	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
17.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
18.	बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
19.	उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
20.	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
	;kx	**62**	**33.21**	**9**	**111.95**	**23**	**171.78**	**42**	**618.28**	**136**	**935.22**

ifjf'k"V 3.5

Ok"k 2017-18 e foHkkxokj fuLrkfjr@viyf[kr idj.kk dk fooj.k

(संदर्भ: प्रस्तर 3.11; पृष्ठ 53)

(₹ yk[k e)

Ø0 Lk0	foHkkx dk uke	ikf/kdkjh	Lkkf{kIr fooj.k	idj.kk dh l[;k	/kujkf'k
1	लोक निर्माण	उत्तर प्रदेश सरकार	विभागीय जीप संख्या यू.ए.जे. 2129 एवं यू.पी. 70 डी/5630 हिंसक भीड़ द्वारा जलाया जाना	एक	0.57
				;kx	**0.57**

ifjf'k"V 3.6

foHkkxh; okf.kfT;d miØeksa ds ys[kkvksa dk vfUrehdj.k vkSj fuos'kksa dk fooj.k

(संदर्भ: प्रस्तर 3.12; पृष्ठ 54)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	miØe dk uke	ys[kkvksa ds vfUrehdj.k dk o"kZ	v|ru vfUre ys[kk ds vuqlkj fuos'k
	fl apkbZ foHkkx		
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2017-18	1.78
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2017-18	10.95
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2017-18	11.79
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2017-18	1.59
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2017-18	0.38
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2017-18	3.83
	[kk| ,oa jln foHkkx		
7.	खाद्य आयुक्त एवं मुख्य लेखाधिकारी	2013-14	3,490.22
Lk'kqikyu foHkkx			
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2014-15	27.97
LokLF; foHkkx			
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिसिन विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
		;ksx	**3,548.51**

lkfjf'k"V 3.7

jkT; ljdkj }kjk mu lkoZtfud {ks= miØeksa esa fuos'k ftudss y[ks cdk;s Fks

(संदर्भ: प्रस्तर 3.13; पृष्ठ 55)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 Lk0	ih-,l-;w- dk uke	vof/k tc rd ds y[kkas dk vfUrehdj.k gqvk	vof/k tc rd ds y[ks vfUrehdj.k gsrq yfEcr	v|ru vfrehd`r y[ks ds vuqlkj iznRr iwath	ih-,l-;w- ds y[kksa ds cdk;s vof/k ds nkSjku jkT; ljdkj }kjk iznRr ctV; lgk;rk@ifrHkwfr					
					bfDoVh	_.k	iwathxr vuqnku	vU; vuqnku	lfClMh	ifrHkwfr
v- fØ;k'khy 'kkldh; dEifu;k¡										
	Lkkekftd {ks=									
1	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 से 2017-18	28.67	0.00	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2017-18	230.42	3.31	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
3	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11 से 2017-18	5.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2017-18	5.19	0.00	0.00	0.00	50.62	0.00	0.00
5	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2004-05 से 2017-18	5.25	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	आगरा स्मार्ट सिटी	समाविष्ट तिथि 09.01.2017	2017-18	0.00	0.00	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
	Lkkekftd {ks= dk ;ksx			**274.53**	**14.64**	**0.00**	**170.97**	**50.87**	**0.00**	**0.00**
ifrLi/khZ ifjos'k esa ih-,l-;w-										
7	उत्तर प्रदेश .राज्य एग्रो औद्योगिक निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2017-18	46.30	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	उत्तर प्रदेश के प्रादेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2017-18	135.58	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
9	उत्तर प्रदेश राज्य कताई कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	93.24	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
10	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2017-18	1,648.31	544.59	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Ø0 Lk0	ih-,l-;w- dk uke	vof/k tc rd ds ys[kk dk vfUrehdj.k gqvk	vof/k tc rd ds ys[kk vfUrehdj.k gsrq yfEcr	v|ru vfrehd`r ys[k ds vuqlkj iznRr iwath	ih-,l-;w- ds ys[kk ds cdk;s vof/k ds nkSjku jkT; ljdkj }kjk iznRr ctVh; lgk;rk@ifrHkfr					
					bfDoVh	_.k	iwathxr vuqnku	vU; vuqnku	lfClMh	ifrHkfr
12	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09 से 2017-18	7.24	0.00	5.00	8.84	1.73	0.00	0.00
13	लखनऊ नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	समाविष्ट तिथि 01.02.2010	2009-10 से 2017-18	0.00	17.84	0.00	9.00	41.46	0.00	0.00
14	मेरठ नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2017-18	0.05	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00
15	इलाहाबाद नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2017-18	0.05	0.00	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
16	आगरा मथुरा नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	समाविष्ट तिथि 08.07.2010	2010-11 से 2017-18	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	कानपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड	समाविष्ट तिथि 28.04.2010	2010-11 से 2017-18	0.00	0.05	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00
18	वाराणसी नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	समाविष्ट तिथि 15.06.2010	2010-11 से 2017-18	0.00	0.05	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
ifjogu {ks= dk ;ksx				**1,931.77**	**574.60**	**223.26**	**47.61**	**79.57**	**0.00**	**0.00**
	ÅtkZ {ks=									
19	उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड[1]	2015-16	2016-17 से 2017-18	66,429.38	16,562.10	3,700.32	158.40	9,629.86	12,609.03	41,554.69
20	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2017-18	434.53	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.	2015-16	2016-17 से 2017-18	10,091.20	2,403.22	0.00	0.00	13.56	0.00	972.40
	ÅtkZ {ks= dk ;ksx			**76,955.11**	**18,966.12**	**3,700.32**	**158.4**	**9,643.42**	**12,609.03**	**42,527.09**
	vU;									
22	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13 से 2017-18	1.07	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
	vU; {ks= dk ;ksx			**1.07**	**0.00**	**0.00**	**2.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	fØ;k'khy ih-,l-;w- dk ;ksx			**79,162.48**	**19,555.36**	**3,923.58**	**379.94**	**9,773.86**	**12,609.03**	**42,527.09**

[1] राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में निवेश में इनके सहायक कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि सम्मिलित है।

Ø0 Lk0	ih-,l-;w- dk uke	vof/k tc rd dh y[kk dk vfUrehdj.k gqvk	vof/k tc rd dh y[kk vfUrehdj.k gsrq yfEcr	v|ru vfrehdr y[kk dh vuqlkj iznRr iwath	ih-,l-;w- dh y[kk dh cdk;k vof/k dh nkSjku jkT; ljdkj }kjk iznRr ctV; leFkZu@ifrHkfr					
					bfDoVh	_.k	iwathxr vuqnku	vU; vuqnku	lfClMh	ifrHkfr
lkfof/kd fuxe										
Lkkekftd {ks=										
23	उत्तर प्रदेश जल निगम	2011-12	2012-13 से 2017-18	0.00	0.00	657.69	10,830.75	0.00	0.00	0.00
			Lkkekftd {ks= dk ;ksx	**0.00**	**0.00**	**657.69**	**10,830.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ifjrLi/kh ifjos'k esa lkfof/kd fuxe									
24	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2016-17	2017-18	824.88	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ifrLi/khZ {ks= dk ;ksx	**824.88**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			lkfof/kd fuxe dk ;ksx	**824.88**	**50.00**	**657.69**	**10,830.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			egk;ksx	**79,987.36**	**19,605.36**	**4,581.27**	**11,210.69**	**9,773.86**	**12,609.03**	**42,527.09**

Ikfjf'k"V 3.8
ykHk vftZr djus okys lkoZtfud {ks= miØe lss ykHkka'k

(संदर्भ: प्रस्तर 3.14; पृष्ठ 55)

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	dEiuh dk uke	ys[kk dh vof/k	fuoy ykHk	lxfgr ykHk	iznRr iwath ¼jkT; ljdkj½	?kksf"kr gksus okys ykHkka'k	?kksf"kr ykHkka'k
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18	128.95	1,049.92	10,796.79	539.84	0.00
2	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2009-10	9.97	40.51	5.50	0.28	0.25
3	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	0.36	2.07	5.19	0.26	0.00
4	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	23.08	86.92	6.40	0.32	0.64
5	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	95.22	573.43	24.08	1.20	1.20
6	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13	98.48	800.72	1.00	0.05	0.20
7	उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम लि. के रूप में पूर्व में जाना जाता था)	2016-17	1.62	73.16	0.15	0.01	0.02
8	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2014-15	27.91	188.14	15.00	0.75	3.71
9	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	0.89	6.18	87.66	4.38	0.09
10	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	4.35	11.02	1.00	0.05	0.05
11	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2016-17	38.73	218.79	0.43	0.02	0.02
12	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2012-13	3.51	113.37	6.92	0.35	0.00
13	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2015-16	0.08	0.82	1.50	0.08	0.00
14	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2011-12	1.10	3.83	1.07	0.05	0.00
15	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2015-16	10.53	25.24	3.00	0.15	0.15
16	उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	2017-18	0.22	0.44	0.05	0.003	0.00
17	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2015-16	51.23	473.00	13.37	0.67	2.23
18	ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड	1991-92	0.11	0.00	7.50	0.38	0.00
19	लखनऊ मंडलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	0.01	1.49	0.50	0.03	0.00
20	उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड	2010-11	0.09	0.01	1.23	0.06	0.00
		;ksx	**496.44**	**3,669.06**	**10,978.34**	**548.92**	**8.56**

ifjf'k"V 4
'kCnkoyh ¼vfrfjDr vkdM½

x.kuk dk vk/kkj

in	x.kuk dk vk/kkj
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि) −1] x 100
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का *प्रतिशत*	प्राप्त ब्याज [(प्रारम्भिक अवशेष + ऋण एवं अग्रिम का अन्तिम अवशेष)/2] x 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां − राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम − राजस्व प्राप्तियां − विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा − ब्याज भुगतान

ink dh 0;k[;k

in	0;k[;k
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यो पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर–ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण x दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन

in	0;k[;k
	किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
सिंकिंग फण्ड (निक्षेप निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी, जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती है। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा प्राप्त नियमित ऋणों को आन्तरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकत्र ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम
प्राथमिक राजस्व घाटा/आधिक्य	गैर ऋण प्राप्तियाँ – प्राथमिक राजस्व व्यय
प्राथमिक घाटा/आधिक्य	ब्याज रहित राजकोषीय घाटे से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी इस प्रकार भी व्याख्या की जा सकती है कि राज्य का ब्याज रहित व्यय राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक था।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों, जिसकी जाँच करना यह समिति आवश्यक समझे, की जाँच करें।

iFkek{kjh

iFkek{kjh	i.k foLrkj
ए सी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
सी ए जी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सी ए जी आर	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
सी ई	पूँजीगत व्यय
सी एस एफ	समेकित निक्षेप निधि
डी सी बिल	विस्तृत आकस्मिक बिल
एफ आर बी एम अधिनियम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
जी डी पी	सकल घरेलू उत्पाद
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी एस टी	वस्तु एवं सेवा कर
आई जी एस टी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
एम एच	मुख्य लेखाशीर्ष
एम टी एफ आर पी	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति
एन डी आर एफ	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि
एन टी आर	करेतर राजस्व
ओ टी आर	स्वयं का कर राजस्व
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी डी लेखा	वैयक्तिक जमा खाता
पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस डी आर एफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एस जी एस टी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
यू सी	उपभोग प्रमाण–पत्र
उदय	उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना

सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

डब्लूडब्लूडब्लू.सीएजी.जीओवी.इन

डब्लूडब्लूडब्लू.एजीयूपी.एनआईसी.इन